Index

प्रश्न पत्र – I

भारतीय संविधान, आधुनिक भारत में पुलिस, पुलिस संगठन

कालांश – 100, पूर्णांक – 100

अ – भारतीय संविधान **(कालांश – 15, अंक – 15)**

क्रम सं.	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1	मूल अधिकार	2–17
2	पुलिस बल के अधिकारों पर निर्बन्धन (अनुच्छेद 33)	17
3	मूल कर्त्तव्य	17–19
4	अनुच्छेद 311	19–20

ब – मानवाधिकार **(कालांश – 15, अंक – 15)**

क्रम सं.	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1	मानवाधिकार की अवधारणा और इसका महत्व	1–35
	मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम – 1993 (केन्द्र एवं राज्य) सामान्य जानकारी –धारा–12,13,14,17,18	
	मानव अधिकार संरक्षण में पुलिस की भूमिका	
2	विभिन्न आयोग • राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग • राष्ट्रीय एवं राज्य अल्पसंख्यक आयोग • राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग • राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग • राष्ट्रीय एवं राज्य महिला आयोग • राष्ट्रीय एवं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग • राष्ट्रीय दिव्यांगजन आयोग	

स – आधुनिक भारत में पुलिस (कालांश – 25, अंक – 25)

क्रम सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य में पुलिस की भूमिका एवं मानवाधिकार संरक्षण	1–4
2	पुलिस अवधारणा • सेवा – उन्मुखी दृष्टिकोण • व्यवसायिकता एवं पुलिस छवि सुधारने का उपाय • पुलिस जनता संबंध • राजस्थान पुलिस की आदर्श आचार संहिता व पुलिस ध्येय • पुलिस प्राथमिकताएं	4–6
3	आंतरिक सुरक्षा में पुलिस की भूमिका और आंतरिक सुरक्षा को चुनौतियां	1–4
4	सामाजिक बुराइयां और उनके निवारण में पुलिस की भूमिका	4–12
5	जिला प्रशासन एवं अन्य विभागों के साथ पुलिस के सम्बन्ध	12–13
6	न्यायालयों का परिचय • सर्वोच्च न्यायालय • उच्च न्यायालय • अधीनस्थ न्यायालय	13
7	राज्य अभियोजन विभाग	14

द – पुलिस संगठन (कालांश – 45, अंक – 45)

क्रम सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	भारतीय पुलिस का इतिहास	5
2	केन्द्रीय पुलिस संगठन • सीआरपीएफ • बीएसएफ	12

	• आईटीबीपी • सीआईएसएफ • आरपीएफ • आईबी • सीबीआई • एसएसबी	
3	राज्य पुलिस का संगठन • पुलिस मुख्यालय • रेंज कार्यालय • पुलिस अधीक्षक कार्यालय, वृत कार्यालय, पुलिस थाना (परिचयात्मक अध्ययन) • सीआईडी (सीबी) • सीआईडी (एसएसबी) • राजस्थान सशस्त्र दल (आर.ए.सी./एम.बी.सी.) • राजकीय रेल्वे पुलिस (जी.आर.पी.) • एन्टी टैररिस्ट स्कवॉड (ए.टी.एस.) • स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एस.ओ.जी.) • राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एस.सी.आर.बी.) • एस.डी.आर.एफ. • पुलिस दूरसंचार	12
4	राजस्थान में पुलिस कमिश्नर प्रणाली	6
5	निम्न संगठनों के बारे में संक्षिप्त जानकारी • भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ए.सी.बी.) • विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफ.एस.एल.) • गृह रक्षा दल व नागरिक सुरक्षा • जेल प्रशासन • अग्निशमन सेवा	6
6	• पुलिस के रेंक एवं बैजेज • अधिकारियों, विशिष्ट व्यक्तियों के वाहनों पर लगने वाले झण्डे, तारे एवं चिन्ह	4

प्रश्न पत्र– प्रथम

भाग–अ

भारतीय संविधान

(Constitution of India)

भारत का संविधान

उद्देशिका

"हम, भारत के लोग, भारत को एक**सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न**

समाजवादी पंथ–निरपेक्ष लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए,

तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास,

धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता

बढ़ाने के लिए

दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ईस्वी*

को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।"

*मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी

मूल अधिकार

1. अर्थ एवं विकास :

संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 30 तक तथा 32 से 35 (कुल 23 अनुच्छेदों) मेंव्यक्तियों के मूल अधिकारों के संबंध में व्यापक वर्णन किया गया है। इंग्लैण्ड में मूल

अधिकार ''बिल ऑफ राइट्स' द्वारा प्राप्त जनता के अधिकार कहे जाते है। अमेरिका और फ्रांस में इन अधिकारों कोनैसर्गिक एवं अप्रतिदेय अधिकारों के रूप में स्वीकार किया गया है। भारत में भी "गोलकनाथ"(A.I.R.1967, S.C.1643) के मामले में इन अधिकारों को नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय अधिकार माना है।भारतीय संविधान में इन्हें संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के रूप में ही अंगीकृत किया गया है। मूलअधिकार वे आधारभूत अधिकार हैं, जो नागरिकों के बौद्धिक, नैतिक, और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यन्तही नहीं वरन् अपरिहार्य हैं इन अधिकारों के अभाव में व्यक्ति का सर्वांगीण विकाससंभव नहीं है। संविधान के भाग 3 को भारत का मेग्नाकार्टा कहा जाता है। मेग्नाकार्टा द्वारा हीअंग्रेजों ने सन् 1215 में इंग्लैण्ड के सम्राट जॉन से नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा प्राप्त कीथी। 1689 में "बिल ऑफ राइट्स" नामक दस्तावेज में सभी महत्वपूर्ण अधिकारों को स्वतंत्रता कोसमाविष्ट किया गया।

2. मूल अधिकारों के संवैधानिक सिद्धान्त :

संविधान के अनुच्छेद 13 में मूलाधिकार से संबन्धित निम्नलिखित सिद्धान्त को शामिल कियागया है।

i. **न्यायिक पुनर्विलोकन** :– जब राज्य द्वारा पारित या जारी विधि संविधान के भाग 3 द्वारा व्यक्तियों को प्रदत अधिकारों का उल्लंघन करती है या उन्हें न्यून करती है, तब याचिका दाखिल किये जाने पर न्यायालय उसका न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकते हैं। न्यायालय ऐसे न्यायिक निर्णयों का भी पुनर्विलोकन कर सकते हैं, जो मूलाधिकारों का उल्लंघन करते हैं।

ii. **पृथक्करण का सिद्धान्त** :– यदि राज्य द्वारा निर्मित किसी विधि का कोई भाग मूल अधिकारों के असंगत या विरुद्ध है, तो वह पूर्णतया असंवैधानिक या शून्य घोषित नहीं की जायेगी बल्कि मूल अधिकारों के असगंत या विरुद्ध भाग को ही शून्य घोषित किया जायेगा, बशर्ते कि वह भाग पृथक्करणीय हो। यदि वह भाग पृथक्करणीय न हो, तो पूर्ण विधि को शून्य घोषित किया जायेगा।

iii. **अभित्यजन का सिद्धान्त** :– कोई व्यक्ति, जिसको मूल अधिकार प्रदान किये गये हैं, वह इन अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता।

iv. **आच्छादन का सिद्धान्त** :– अनु० 13(1) के अनुसार संविधान पूर्व विधियां संविधान लागू होने पर उस मात्रा तक अवैध होगी, जिस तक वे मूल अधिकारों से असंगत है। ऐसी विधियां प्रारम्भ से ही शून्य नहीं होती, बल्कि अधिकारों के प्रवर्तित हो जाने के कारण वे मृत प्रायः हो जाती हैं। ऐसे कानून बिल्कुल लुप्त नहीं होते हैं, वे केवल मूल अधिकारों द्वारा आच्छादित हो जाते हैं और सुषुप्तावस्था में रहते हैं। उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि संशोधन के परिणामस्वरूप मृत प्रायः विधि पुनः सजीव हो जाती है, क्योंकि संशोधन से उस पर से मूल अधिकारों के आच्छादन को हटा लिया जाता है और विधि को सभी दोषों व अयोग्यताओं से निर्मुक्त कर दिया जाता है।

3. **मूल अधिकारों का संशोधन–**

मूल अधिकारों का संशोधन किया जा सकता है अथवा नहीं। इस संबंध में संविधान में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया मूल संविधान के अनु0 368 में निहित की गई है। मूल अधिकारों को अनु. 368 में विहित प्रक्रिया का उपयोग कर संशोधित किया जा सकता है या नहीं ? यह प्रश्न विवादास्पद रहा है, क्योंकि अनु 13 (2) में प्रावधान किया गया है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनायेगा, जो मूल अधिकारों को कम करती हो। इस प्रावधान से संविधान निर्माताओं का यही मंतव्य प्रकट होता है कि मूलाधिकारों को संशोधन कर उन्हें कम न किया जाये।संविधान का अन्तिम निर्वचनकर्ता उच्चतम न्यायालय है, इसलिए उसके समक्ष सर्वप्रथम 1951 में "शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ'' के मामले में यह प्रश्न उठाया गया कि क्या संसद अनु 368 में विहित प्रक्रिया द्वारा मूलाधिकारों को संशोधित कर सकती है ? इस मामले में न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया कि अनु. 368 में विहित प्रक्रिया के अनुसार संविधान के संशोधन अनु. 13 (2) में वर्णित विधि के अन्तर्गत नहीं आता है इसलिए संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। यही मत उच्चतम न्यायालय ने ''केशवानन्द भारती बनाम भारत संघ'' के वाद में व्यक्त किया है। लेकिन ''गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य'' के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद को अनु. 368 में मूल अधिकारों में संशोधन की कोई शक्ति नहीं है। इस मामले से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने केलिए 1971 में संसद ने 24वां संशोधन कर यह व्यवस्था की कि–

(क) संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है।

(ख) संसद द्वारा किये गये संशोधनों को अनु. 13 के अन्तर्गत विधि नहीं माना जायेगा।

(ग) राष्ट्रपति संविधान संशोधन पर अनुमति देने के लिए बाध्य होगा।

24वें संविधान संशोधन की संवैधानिकता को ''केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य'' के मामले में चुनौती दी गई। सुनवाई के लिए 13 सदस्यीय खण्डपीठ का गठन किया गया। इस खण्डपीठ ने 7:6 के बहुमत से यह निर्णय दिया कि–

(क) संसद को मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति प्राप्त है और संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त विधि के अन्तर्गत शामिल नहीं है।

(ख) संसद को संविधान में संशोधन की व्यापक शक्ति प्राप्त है, परन्तु वह इस शक्ति का प्रयोग करके संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। संविधान के आधारभूत ढांचे की अवधारणा को ''इन्दिरा गांधी बनाम राजनारायण'' तथा ''मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ'' के मामलों में भी मान्यता दी गई। इसी आधार पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था को असंवैधानिक घोषित किया गया।

4. **भारतीय संविधान के भाग 3 में अन्तर्विष्ट मूल अधिकारों को 6 भागों में विभाजित किया जा सकता है जिसका विवेचन निम्नानुसार है**

1. **समता का अधिकार**–भारतीय संविधान के अनु.14–18 के अन्तर्गत सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार प्रदान किया गया है।

(क) **विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण का अधिकार–**

अनु. 14 द्वारा सभी व्यक्तियों को भारत के राज्यक्षेत्र में कानून के समक्ष समानता एवं कानून केसमान संरक्षण से वंचित नहीं करने का अधिकार प्रदत्त है ।

कानून के समक्ष समानता :– इस शब्दावली को ब्रिटेन की सामान्य विधि से ग्रहण किया गया है, जिसे प्रोफेसर डायसी के अनुसार विधि का शासन (Rule of law) कहते हैं। दूसरा वाक्यांश अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार घोषणा पत्र के अनुच्छेद 7 में उक्त दोनों वाक्यांश प्रयुक्त किये गये हैं। इन दोनों वाक्यांशों का उद्देश्य भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिकल्पित ''प्रतिष्ठा की समानता" (Equality of Status) की स्थापना करना है।

''विधि के समक्ष समानता'' का तात्पर्य व्यक्तियों के बीच पूर्ण समानता से नहीं है, जो व्यवहारतः सम्भव भी नहीं है। इसका तात्पर्य केवल यह है कि जन्म मूलवंश, धर्म, लिंग, जाति आदि के आधार पर व्यक्तियों के बीच अधिकार प्रदान करने एवं कर्तव्यों के अधिरोपण में कोई विभेद नहीं किया जायेगा तथा प्रत्येक व्यक्ति देश की साधारण विधि के अधीन होगा। विधि के समक्ष समता का तात्पर्य समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के बीच समान विधि होनी चाहिये तथासमान रूप से लागू की जानी चाहिये। अनु.14 में निहित ''विधि शासन"संविधान का मूल ढांचा है। अतः इसे अनु. 368 द्वारा संशोधन करके नष्ट नहीं किया जा सकता है। अनु.14 में "नैसर्गिक न्याय" का सिद्धान्त निहित है।

अनु.14 वर्गीकरण की अनुमति देता है, किन्तु वर्ग विधान का निषेध करता है। समानता का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक विधि का सार्वदेशिक प्रयोग होता है, क्योंकि सभी व्यक्ति प्रकृति, योग्यता या परिस्थियों से समान स्थिति में नहीं है। व्यक्तियों के विभिन्न वर्गों की आवश्यकताएँ प्रायः भिन्न–2 व्यवहार की अपेक्षा करती है, इसलिए भिन्न–2 व्यक्तियों व स्थानों के लिए भिन्न–2 विधियों होनी चाहिये। एक ही विधि को असमान परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के लिए लागू करना असमानता होगी। अनु.14 युक्तियुक्त वर्गीकरण की अनुमति देता है। वर्गीकरण के युक्तियुक्त होने के लिए निम्न दो शर्ते हैं–

(1) वर्गीकरण एक बोधगम्य अन्तरक पर आधारित होना चाहिये।

(2) अन्तरक और उस उद्देश्य में तर्कसंगत संबंध होना चाहिये, जिसे प्रश्नगत अधिनियम द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं।

(ख) धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का निषेध :–

अनु. 15 में अनु. 14 तक विहित समता के सामान्य नियम का विशिष्ट उदाहरण है। अनु.15(1)में राज्य पर कर्तव्य अधिरोपित किया गया है कि वह किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म,मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा।

अनु.15 के खण्ड (2) में नागरिकों के मध्य केवल धर्म मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के, इनमें से किसी के आधार पर–

(1) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों या मनोरंजन स्थलों में प्रवेश

(2) राज्य निधि से पूर्णतया या अंशतः पोषित या जनता को समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों व सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में भेदभाव का निषेध किया गया है।

इस अनु. के खण्ड (3) व (4) द्वारा राज्य को संरक्षणात्मक भेदभाव की अनुज्ञा दी गई है। स्त्रियों तथा बालकों के लिए सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार है। सरकारी सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान अनु.15(4) के अधीन है।

(ग) लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता–

संविधान के अनु. 16 में खण्ड (1) में प्रावधान है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी तथा खण्ड (2) में उल्लेख है कि राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, निवास स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर न तो कोई नागरिक अयोग्य होगा और न ही उनमें विभेद किया जायेगा।

<u>अपवाद</u> :–अनु.16 के खण्ड (3),(4) व (5) में ही इस मूलाधिकार के अपवाद अन्तर्विष्ट है :–(1) संसद कानून बनाकर किसी राज्य या स्थानीय प्राधिकारी के अधीन किसी वर्ग या वर्ग के पदों के लिए नियोजन के सम्बन्ध में निवास विषयक प्रावधान कर सकती है।

(2) राज्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में, जिनका राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, नियुक्तियों व पदों के आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। विशेष कारणों के सिवाय आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

(3) राज्य अनुसूचित जाति एवं जन जाति के सदस्यों के लिए सरकारी सेवा में पदोन्नति के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। यह प्रावधान 77वें संविधान संशोधन द्वारा अनु.16 में खण्ड (4क) जोड़कर किया गया है। यह संशोधन "इन्दिरा साहनी बनाम भारत संघ'' (मण्डल वाद) के वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए किया गया है।

(4) राज्य किसी धार्मिक संस्था के क्रियाकलापों का प्रबन्धन करने के लिए किसी विशेष धर्म या संप्रदाय के मानने वाले लोगों को ही नियुक्त करने के कानून का निर्माण कर सकता है।

(घ) अस्पृश्यता का अन्त :—अनु.17 में प्रावधान किया गया है कि "अस्पृश्यता का अन्त किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है।" अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी भी निर्योग्यता को लागू करना "सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955'' के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

(ङ) उपाधियों का अन्त :— अनु.18 में प्रावधान है कि —

(1) राज्य, सेवा या विद्या सम्बन्धी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा।

(2) भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य में कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा।

2. स्वतंत्रता का अधिकार :—

भारतीय संविधान के अनु.19 से 22 तक में स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेखकिया गयाहै।

अनु.19 में भारत के सब नागरिकों को छः मूलभूत स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं।

अनु.19(1) :

(क) —वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

(ख) —शान्तिपूर्ण एवं निरायुध सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता

(ग) —संगम यासंघ बनाने की स्वतंत्रता

(घ)—भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता

(ड़) — भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता

(छ) — कोई वृति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता

अनु.19 द्वारा प्रदत अधिकार केवल नागरिकों को ही प्राप्त हैं।उपर्युक्त स्वतंत्रताएं आत्यन्तिक नहीं हैं। किसी भी देश में नागरिकों के अधिकार असीमित नहीं हो सकते हैं। एक व्यवस्थित समाज में ही अधिकारों का अस्तित्व हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अनु.19 के खण्ड (2) से (6) के अधीन राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, सदाचार आदि के हितों की रक्षा करने के लिए निर्बन्धन लगाने की शक्ति प्रदान की गई है। किन्तु निर्बन्धन युक्तियुक्त होना चाहिये। कोई निर्बन्धन युक्तियुक्त है या नहीं, इस प्रश्न पर अन्तिम निर्णय की शक्ति न्यायालयों को है, विधान मण्डल को नहीं।

निर्बन्धन के आधार (अनु.19(2)) वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निम्न आधारों पर निर्बन्धन लगाये जा सकते हैं

(1) – राज्य की सुरक्षा

(2) – विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के हित में

(3) शिष्टाचार या सदाचार के हित में

(4) – लोक व्यवस्था

(5) – न्यायालय अवमानना

(6) – मानहानि

(7) –अपराध उद्दीपन

(8) – भारत की प्रभुता एवं अखण्डता

सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता के अधिकार पर अनु.19(3) में उल्लेखित निम्न आधारों परनिर्बन्धन लगाये जा सकते हैं–

(1) – सभा शान्ति पूर्ण होनी चाहिये

(2) –सभा बिना हथियार के होनी चाहिये

(3) – अनु.19 के खण्ड (3) के अर्न्तगत लोक व्यवस्था के हित में निर्बन्धन लगाये जा सकते हैं।

अनु.19(1)(ग) के अन्तर्गत संघ की स्वतंत्रता पर अनु.19(4) के आधारों पर लोक व्यवस्था

एवं नैतिकता पर निर्बन्धन लगाया जा सकता है।

अनु.19(1)(घ) एवं 19(1)(ङ) के अन्तर्गत भ्रमण एवं निवास की स्वतंत्रता पर अनु. 19(5) में वर्णित निम्नलिखित आधारों पर युक्तियुक्त निर्बन्धन लगाये जा सकते हैं–

(1) साधारण जनता के हित में (2) किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए।

अनु.19(1)(छ) में प्रदत्त वृति, व्यापार एवं कारोबार की स्वतंत्रता पर राज्य निम्न आधारों पर निर्बन्धन लगा सकता हैः–

(1) साधारण जनता के हित में।

(2) किसी वृति या तकनीकी अर्हताएं निर्धारित करके।

(3) नागरिकों को पूर्णतः या कारोबार से बहिष्कृत करके।

I- अपराधों के लिए दोषसिद्धि के सम्बन्ध में संरक्षण (अनु0 20):–

अनु0 20 उन व्यक्तियों को, जिन पर अपराध करने का अभियोग लगाया गया है, निम्नलिखित संरक्षण प्रदान करता है –

(क) कार्येत्तर विधियों से संरक्षण

(ख) दोहरे दण्ड के विरुद्ध संरक्षण

(ग) आत्म अभिशंसन से संरक्षण

(1) अनु.20(1) यह उपबन्धित करता है कि किसी व्यक्ति को केवल प्रवृत्त विधि के उल्लंघन के अतिरिक्त अन्य अपराध के उल्लंघन के लिए दण्डित नहीं किया जायेगा।

II- दोहरे दण्ड से संरक्षण (Double jeopardy)– अनु.20(2) उपबन्धित करता है कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दण्डित नहीं किया जायेगा। अनु.20(2) के संरक्षण के लिए तीन आवश्यक शर्तें है –

(क) व्यक्ति अभियुक्त होना चाहिए।

(ख) अभियोजन या कार्यवाही किसी न्यायालय या न्यायिक अभिकरण के समक्ष हुई हो तथा वह न्यायिक प्रकृति की रही हो।

(ग) अभियोजन किसी विधि विहित अपराध के सम्बन्ध में हो।

III- <u>आत्म अभिशंसन से संरक्षण (Self Incrimination)</u> :–

अनु.20(3) यह उपबन्धित करता है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने केलिए विवश नहीं किया जायेगा। इस संरक्षण हेतु निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिये–

(क) व्यक्ति पर अपराध करने का आरोप हो।

(ख) उसे स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य किया गया हो या बाध्य किया जाए।

IV- <u>प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता (अनु.21)</u>–

अनु.21 यह उपबन्धित करता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता सेविधि द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जायेगा अन्यथा नहीं।

अनु० 21 विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है।

''मेनका गांधी बनाम भारत संघ'' (AIR 1978 SC 597) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अनु. 21 को एक नया आयाम देकर इसके क्षेत्र को अत्यन्त विशद बना दिया

है। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि प्राण का अधिकार केवल भौतिक अस्तित्व तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि अनु. 21 में प्रयुक्त ''प्रक्रिया'' से तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से है, जो न्यायपूर्ण एवं युक्तियुक्त हो। प्रक्रिया युक्तियुक्त तब ही होगी, जब नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का पालन किया जायेगा।

अनु. 21 (क) :– 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करताहै।

गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण (अनु. 22) :–

अनु.22 के खण्ड (1) और (2) किसी अपराध के सम्बन्ध में गिरफ्तार व्यक्तियों को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करते है –

(क) गिरफ्तारी के आधार अतिशीघ्र बताये जाने का अधिकार।

(ख) अपनी रुचि के वकील से परामर्श एवं बचाव का अधिकार।

(ग) गिरफ्तारी के 24 घण्टे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किये जाने का अधिकार।

(घ) 24 घंटे से अधिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना निरोध से स्वतंत्रता ।

अपवाद– अनु. 22 (3) में उक्त अधिकार के दो अपवाद हैं। शत्रु देश के व्यक्तियों तथा निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार व्यक्तियों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है।

निवारक निरोध विधियां :–

अनु. 22 के खण्ड (4) से (7) किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के अन्तर्गत गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करते हैं। ये प्रावधान निवारक निरोध के अन्तर्गत निरुद्ध व्यक्तियों को निम्नलिखित संरक्षण प्रदान करते हैं–

(1) सलाहकार बोर्ड द्वारा पुनर्विलोकन।

(2) गिरफ्तारी के कारण जानने तथा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अधिकार।

(3) सलाहकार बोर्ड के अनुमोदन के बिना निरोध से विमुक्ति।

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार :–

दुराचारी एवं स्वार्थी व्यक्तियों तथा राज्य द्वारा समाज के कमजोर वर्गों के शोषण को रोकने के लिए अनु. 23 तथा 24 में प्रावधान किया गया है। ये अधिकार निम्नलिखित है –

i. मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध– अनु. 23 के अन्तर्गत मानव के दुर्व्यापार तथा बेगार और इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम प्रतिषिद्ध किया गया है तथा इसका उल्लंघन दण्डनीय घोषित किया गया है। लेकिन राज्य व्यक्तियों पर सार्वजनिक

प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकती है और ऐसा करते समय नागरिकों में धर्म, जाति, मूलवंश, वर्ग या इनमें से किसी आधार पर विभेद नहीं करेगा।

ii. कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध :– अनु. 24 के अनुसार 14 वर्ष से कमआयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जायेगा या किसी अन्य परिसंकटमय कार्य में नहीं लगाया जायेगा।

4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार :– भारत में सभी लोगों को संविधान द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई धार्मिक स्वतंत्रता के सम्बन्ध में अनु0 25 से 28 तक में प्रावधान किये गये हैं, जोनिम्न हैं –

I. **अन्तःकरण की स्वतंत्रता**– अनु. 25 (1) के अनुसार सभी व्यक्तियों को अन्तःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का अधिकार है। लेकिन इस अधिकार पर लोक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है। राज्य धार्मिक आचरण से सम्बद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या अन्य सांसारिक क्रियाकलापों के विनियमन या निर्बन्धन के सम्बन्ध में कानून बना सकता है।

II. **धार्मिक कार्यों के प्रबन्ध की स्वतंत्रता**– अनु. 26 द्वारा धार्मिक कार्यों के प्रबन्ध की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन स्वतंत्रता धार्मिक संप्रदाय के व्यक्तियों द्वारा स्थापित धार्मिक संस्थाओं को दी गई है। इस क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित अधिकारों को शामिल किया गया है–

(क) धार्मिक और मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण।

(ख) धर्म विषयक कार्यों का प्रबन्ध ।

(ग) जंगम और स्थावर सम्पत्ति का अर्जन और स्वामित्व।

(घ) जंगम और स्थावर सम्पत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन

लेकिन उक्त अधिकारों पर राज्य द्वारा लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार परप्रतिबन्ध लगाया जा सकता है।

III.**धार्मिक कर से मुक्ति**– अनु. 27 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, जिसकी आय को किसी विशेष धर्म या धार्मिक सम्प्रदाय की वृद्धि के लिए व्यय किया जाता है। यहां यह ज्ञातव्य है कि कर व शुल्क में अन्तर है। लेकिन राज्य किसी धार्मिक सम्प्रदाय के लिए कार्य करने के प्रयोजनार्थ उस सम्प्रदाय के लोगों से शुल्क वसूल कर सकता है।

IV.**राज्य पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा एवं उपासना का प्रतिषेध**– अनु. 28 में चार प्रकार की शैक्षणिक संस्थाओं का उल्लेख किया है–

(1) राज्य निधि से पूरी तरह पोषित संस्थाएं।

(2) राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाएं।

(3) राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्थाएं।

(4) राज्य प्रशासित, किन्तु किसी धर्म या न्यास के अधीन स्थापित संस्थाएं।

नं. (1) की श्रेणी में आने वाली संस्थाओं में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। नं. (2) व (3) की श्रेणी में आने वाली संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, बशर्ते इसके लिए लोगों ने अपनी सम्मत्ति दे दी हो। नं. (4) की श्रेणी में आने वाली संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने के बारे में कोई प्रतिबन्ध नहीं है। भारतीय संविधान द्वारा धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त को स्वीकार किया गया है। भारतीय धर्म निरपेक्षता की निम्न विशेषताएं हैं –

(1) राज्य किसी धर्म द्वारा नियंत्रित नहीं होगा।

(2) राज्य किसी व्यक्ति के साथ उसके धर्म या आस्था के आधार पर विभेद नहीं करेगा
।

(3) राज्य न तो किसी धर्म का पक्ष लेता है, न ही किसी धर्म का विरोध करता है। राज्य धार्मिकमामलों में तटस्थ है।

(4) संविधान की प्रस्तावना में भी "पंथ निरपेक्ष" शब्द समाविष्ट किया गया है।

"एस० आर० बोम्मई बनाम भारत संघ" के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धर्म निरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है।

5. **<u>संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार</u>**–

अनु. 29 एवं 30 में भारत के नागरिकों को संस्कृति तथा शिक्षा सम्बन्धी निम्नलिखित अधिकार प्रदान किये गये हैं–

(1) अनु. 29 (1) भारत राज्य क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के किसी वर्ग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाये रखने का अधिकार प्रदान करता है। अनु. 30 का खण्ड (2) इस अधिकार को और भी सुदृढ बना देता है, जिसके अनुसार राज्य शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्प संख्यक समुदाय के प्रबन्ध में होने के आधार पर विभेद नहीं करेगा।

(2) अनु. 29 (2) के अनुसार राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि द्वारा सहायता प्राप्त किसी शिक्षण संस्था में प्रवेश पाने से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी भी आधार पर वंचित न किया जायेगा।

(3) अनु. 30 (1) द्वारा धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने और उसका प्रशासन करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

अनु.30 द्वारा प्रदत्त अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, किन्तु अनु. 29 द्वारा प्रदत अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है।

6. **संवैधानिक उपचारों का अधिकार**–

अधिकारों का अस्तित्व ही उपचारों पर आधारित है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचारों का भी समावेश किया गया है। अनु. 32 संविधान के भाग तीन में होने के कारण स्वयं एक मूल अधिकार है।

अनु. 32 (1) नागरिकों को संविधान के भाग तीन द्वारा प्रदत्त मूलाधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को समुचित कार्यवाहियों द्वारा प्रचालित कराने के अधिकार की गारन्टी प्रदान करता है। अनु. 32 (2) उच्चतम न्यायालय को इन अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित निर्देश या रिट, जिनमें **बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण** प्रकार की रिट भी सम्मिलित है, जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।

अनु. 32 (3) के अधीन संसद विधि द्वारा किसी न्यायालय को उसकी सीमाओं के भीतर अनु. 32 (2) की शक्तियां प्रदान कर सकती है।

अनु. 32 (4) में प्रावधान है कि संविधान द्वारा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय इन अधिकारों को निलम्बित नहीं किया जायेगा। अनु. 32 संविधान का ''आधारभूत ढांचा'' है।

रिट्स और उनकी प्रकृति :–

रिट पांच प्रकार की होती है जो निम्नलिखित है:–

1. **बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट(Writ of Habeas Corpas)**– बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpas) एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है "निरुद्ध व्यक्ति को प्रस्तुत करो''। यह रिट एक आदेश के रूप में उन व्यक्तियों के विरुद्ध जारी की जाती है, जो किसी को बन्दी बनाये हुए हैं। संक्षेप में यह रिट निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश है। यदि दिखाये गये कारणों से यह पता चलता है कि निरोध का कोई विधिगत औचित्य नहीं है, तो न्यायालय निरुद्ध व्यक्ति को छोड़ देता है। इस प्रकार इस रिट का मुख्य उद्देश्य गैरकानूनी रूप से निरुद्ध किये गये व्यक्ति को शीघ्र उपचार प्रदान करना व व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना है। इस रिट के अन्तर्गत निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना एक आवश्यक शर्त थी, किन्तु "कानू सान्याल बनाम जिला मजिस्ट्रेट दार्जलिंग (AIR 1974 SC 510) के मामले में उच्चतम न्यायालय में यहअभिनिर्धारित किया है कि इस रिट के अन्तर्गत निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। व्यक्तियों को बिना सामने लाये न्यायालय उसे छोड़ने का आदेश दे सकता है।

बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट की शर्तें:– इस रिट को जारी करने की दो मुख्य शर्ते हैं–

1. न्यायालय को यह सुनिश्चित हो जाये कि बन्दीकरण अवैध है। यदि बन्दीकरण किसी विधि के उपबन्धों के अनुसार है, तो यह लेख जारी नहीं किया जा सकता। अतुल चन्द बनाम बंगाल राज्य (AIR 1974 SC 2285)

2. रिट जारी करने के समय तक बन्दी रिहा न किया गया हो। यदि बन्दी को पहले ही
छोड़ दिया गया हो तो रिट से कोई लाभ नहीं हो सकता, इसलिए व्यर्थ में लेख जारी नहीं करेगा। मोहित चन्द बनाम जिला मजिस्ट्रेट कलकता (AIR 1974 SC 2287)

2. परमादेश रिट(Writ of Mandamus) :– परमादेश का अर्थ है– "हम आदेश देते हैं।" इस प्रकार परमादेश उच्चतम अथवा उच्च न्यायालय का एक आदेश है, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या लोक–प्राधिकारी, जिसके अन्तर्गत सरकार और निगम भी शामिल है, को उनके विधिक या लोक कर्त्तव्य या किसी विधि के अधीन दिये गए कर्त्तव्य को करने का आदेश दिया जाता है। इस रिट का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को विधि द्वारा विहित कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए विवश किया जाना है। विभागीय अनुदेश, जो विधि नहीं होते, का पालन कराने के लिए इस लेख का उपयोग नहीं किया जा सकता। जे.आर. रघुपति बनाम आंध्र प्रदेश (AIR 1988 SC 1681)

परमादेश रिट जारी करने की शर्तें :–

1. परमादेश के लिए याचना करने वाले का कोई न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय विधिक अधिकार होना चाहिये। सी. टी. कॉलेज बनाम चन्द मोहन (AIR 1978 इलाहाबाद 93)

2. परमादेश किसी वर्तमान अधिकार के प्रवर्तन के लिए जारी किया जा सकता है। किसी अधिकार को घोषित या सिद्ध करने के लिए नहीं। लेश राम मनोबी सिंह बनाम कम्पूथांग्जाम (AIR 1978 गौहाटी 131)

3. परमादेश केवल लोक कर्तव्य के प्रवर्तन के लिए जारी किया जा सकता है। किसी सविंदा द्वारा अधिरोपित कर्त्तव्य के प्रवर्तन के लिए नहीं। दूबर गोला बनाम भारत संघ (AIR1952 कलकत्ता 496)

3. प्रतिषेध रिट (Writ of Prohibition):–प्रतिषेध रिट मुख्यतया अधीनस्थ न्यायालयों या न्यायाधिकरणों को अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाने या प्राकृतिक न्याय के नियमों के विरुद्ध कार्य करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। संक्षेप में प्रतिषेध रिट का मुख्य उद्देश्यअधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा की गई न्यायिक त्रुटियों को ठीक करना है।

यह रिट दोनों अवस्थाओं में जारी किया जाता है –जहाँ अधिकारिता से बाहर कार्य किया जाता है और जहाँ अधिकारिता है ही नहीं।

प्रतिषेध रिट जारी करने की शर्तें :–

1. यह लेख केवल ऐसे प्राधिकारी के खिलाफ जारी हो सकता है, जिसके कार्य न्यायिक या न्यायिक सदृश (Quasi judicial) हो ।

2. यह लेख तभी जारी हो सकता है, जबकि ऐसा प्राधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के बाहर कोई कार्य करता है, जो विधि या प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ हो। मानिक लाल बनाम प्रेमचन्द (AIR 1957 SC 431)

3. जहाँ कुछ कार्यवाही अधिकारिता के अन्दर और कुछ बाहर है, वहां लेख केवल कार्यवाही के उस भाग के खिलाफ जारी किया जायेगा, जो अधिकारिता के बाहर है। शिवपूजन राय इन्द्रासन राय बनाम कलेक्टर ऑफ कस्टम (AIR 1988SC845)

4. उत्प्रेषण रिट (Writ of Certiorari):– उत्प्रेषण रिट द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों या न्यायिकअथवा अर्द्ध न्यायिक कार्य करने वाले निकायों में चलने वाले वादों में वरिष्ठ न्यायालयों के पास भेजनेका आदेश दिया जाता है, जिससे उनके निर्णय की जाँच की जासके और यदि वे दोषपूर्ण हो तोउन्हें रद्द किया जा सके। केवल वही व्यक्ति इस लेख के लिए आवेदन कर सकता है, जिसके किसीमूल अधिकार या अन्य विधि का अतिक्रमण हुआ हो ।

उत्प्रेषण लेख जारी करने की शर्तें :–

1. उत्प्रेषण लेख जारी करने की यह आवश्यक शर्त है कि ऐसी गलती होनी चाहिये जोअभिलेख देखने से ही प्रकट हो, उसको खोजने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये। हरी विष्णु कामथ बनाम अहमद ईशाक (AIR 1955 SC 233)

2. गलती विधि की होनी चाहिये, तथ्यों की नहीं। स्वर्ण सिंह बनाम पंजाब राज्य (AIR 1976 SC 232)

3. यदि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की उपेक्षा की गई हो तो उत्प्रेषण लेख जारी कियाजा सकता है। भारत बैंक बनाम भारत बैंक कर्मचारी (AIR 1950 SC 188)

प्रतिषेध (Prohibition) और उत्प्रेषण (Certiorari) में अन्तर

प्रतिषेध बहुत कुछ उत्प्रेषण से मिलता–जुलता है। ये दोनों रिट मुख्यतया अधीनस्थ न्यायालयों को अपनी अधिकारिता से बाहर जाने से रोकने के लिए जारी की जाती है। उच्चतम न्यायालय ने हरि विष्णु कामथ बनाम अहमद इसहाक (AIR 1955 SC 233) के मामले में दोनों रिटों के अन्तर को निम्न शब्दों में व्यक्त किया है–

"जब कोई अधीनस्थ न्यायालय ऐसे मामले की सुनवाई करता है, जिस पर उसे अधिकारिता नहीं प्राप्त है, तो वरिष्ठ न्यायालय प्रतिषेध–रिट जारी करके अधीनस्थ न्यायालय को उन कार्यवाहियों को आगे बढ़ाने से रोक सकता है। दूसरी और यदि

अधीनस्थ न्यायालय मुकदमें की सुनवाई कर चुका है और निर्णय दे चुका है तो उत्प्रेषण रिट जारी किया जायेगा और उक्त कार्यवाहियों को रद्द कर दिया जायेगा।"

5. अधिकार–पृच्छारिट (Writ of Quo-warranto)–

अधिकार– पृच्छा का शाब्दिक अर्थ है– "आपका प्राधिकार क्या है?" यह रिट किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है, जो किसी सार्वजनिक पद को अवैध रूप से धारण किये हुए है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति को उस पद के धारण करने से रोकना है, जिसे धारण करने का उसे कोई वैध अधिकार प्राप्त नहीं है। ''यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर बनाम गोविन्द राव'' (AIR 1985 SC 491)

अधिकार पृच्छा रिट प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित शर्त पूरी होनी चाहिये –

1. प्रश्नगत पद एक सार्वजनिक पद हो।
2. व्यक्ति को विधिक रूप से उस पद को धारण करने का अधिकार न हो।

अधिकार– पृच्छा रिट किसी निजी प्रकृति के पद धारण करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। 'जमालपुर समाज सभा बनाम डा. डी. राम' (AIR 1954 पटना 297)

पुलिस बल के अधिकारों पर निर्बन्धन (अनु0 33)

अनु. 33ः–इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को, बलों आदि को लागू होने में, उपान्तरण करने की संसद की शक्ति

संसद अपनी इस शक्ति के प्रयोग में निम्नलिखित व्यक्तियों के संबंध में मूलाधिकारों को उपान्तरित करके यह व्यवस्था कर सकती है कि किस सीमा तक इन व्यक्तियों को मूल अधिकार प्राप्त होंगे–

(क) सशस्त्र बलों के सदस्यों को,

(ख) लोक व्यवस्था बनाये रखने के लिए उत्तरदायी सुरक्षा बलों के सदस्यों को,

(ग) आसूचना या प्रति आसूचना के उद्देश्य के लिए राज्य द्वारा स्थापित किसी ब्यूरो या अन्य संगठन में नियोजित व्यक्तियों को,

(घ) खण्ड (क) से खण्ड (ग) में निर्दिष्ट किसी बल, ब्यूरो या संगठन के प्रयोजनों के लिए स्थापित दूरसंचार प्रणाली में या उसके संबंध में नियोजित व्यक्तियों को लागू होने में किस विस्तार तक निर्बंधित या निराकृत किया जाए, जिससे उनके कर्तव्यों का उचित पालन और उनमें अनुशासन बना रहना सुनिश्चित रहे।

मूल कर्तव्य

अनुच्छेद 51 (क)

संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 के पश्चात् एक नया भाग 4–क जोड़ा गया है, जिसके द्वारा पहली बार संविधान में नागरिकों के मूल कर्त्तव्यों को समाविष्ट किया गया है। नये अनुच्छेद 51 (क) के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह–

(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे,

(ख) स्वतन्त्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोये रखे और उसका पालन करे,

(ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करे और अक्षुण्ण बनाये रखे,

(घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करे.

(ड़) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे, जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं,

(च) हमारी सामासिक (Composite) संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे,

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण (environment) की, जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव भी हैं, रक्षा करे, उनका संवर्द्धन करे ताकि प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रहे,

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे,

(झ) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे,

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरन्तर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाईयों को छू ले,

(ट) छः वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु तक के बालकों के माता–पिता या संरक्षकों का यह कर्तव्य होगा कि वे उन्हें शिक्षा का अवसर दें।

संविधान में मूल कर्तव्यों की आवश्यकता :

सरकार द्वारा नियुक्त संविधान संशोधन समिति का मत था कि जहाँ संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है, वहीं मूल कर्तव्यों का भी समावेश

होना चाहिये। अधिकार और कर्तव्य एक–दूसरे के अन्योन्याश्रित होते हैं। प्रस्तुत संशोधन संविधान में इसी कमी को दूर करने के लिए पारित किया गया है। समिति के सदस्यों का यह विचार था कि भारत में लोग केवल अधिकारों पर जोर देते हैं, कर्तव्यों पर नहीं। किन्तु संविधान समिति के सदस्यों का यह मत बिल्कुल गलत है। प्रारम्भ से ही भारत में कर्तव्यों के पालन पर विशेष बल दिया जाता रहा है। भारत के सभी धर्मग्रन्थों में कर्तव्य पालन का ही उपदेश प्रमुख है। गीता और रामायण जैसे महान ग्रन्थ हमें अपने अधिकारों की परवाह किये बिना अपने कर्तव्यों के पालन करने का ही उपदेश देते हैं। कर्तव्यों का पालन करना व्यक्ति के हित में है और इससे समाज का भी हित होता है।

संशोधन समिति के सदस्यों का यह कहना भी गलत है कि भारतीय संविधान में केवल मूल अधिकारों पर ही बल दिया गया है और समाज के प्रति नागरिकों के मूल कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान के उपबन्धों पर ध्यान देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे संविधान ने जहाँ नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किये हैं, वहीं मूल कर्तव्यों को भी अधिरोपित किया है। नागरिक अपने मूल अधिकारों का प्रयोग सार्वजनिक हित के विरुद्ध नहीं कर सकता है। राज्य को लोकहित में उसके मूल अधिकारों पर निर्बन्धन लगाने की शक्ति प्राप्त है।

अनुच्छेद (311)

संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना

(1) किसी व्यक्ति को, जो संघ की सिविल सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का या राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है अथवा संघ या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, उसकी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जाएगा या पद से नहीं हटाया जाएगा।

(2) यथोपूर्वक किसी व्यक्ति को, ऐसी जांच के पश्चात् ही, जिसमें उसे अपने विरुद्ध आरोपों की सूचना दे दी गई है और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दे दिया गया है, पदच्युत किया जाएगा या पद से हटाया जाएगा या पंक्ति में अवनत किया जाएगा, अन्यथा नहीं,

परन्तु जहाँ ऐसी जांच के पश्चात् उस पर ऐसी कोई शास्ति अधिरोपित करने की प्रस्थापना है, वहाँ ऐसी शास्ति ऐसी जांच के दौरान दिए गए साक्ष्य के आधार पर अधिरोपित की जा सकेगी और ऐसे व्यक्ति को प्रस्थापित शास्ति के विषय में अभ्यावेदन करने का अवसर देना आवश्यक नहीं रहेगा।

परन्तु यह और कि यह खंड लागू नहीं होगा–

(क) जहाँ किसी व्यक्ति को ऐसे आचरण के आधार पर पदच्युत किया जाता है या पद से हटाया जाता है या पंक्ति में अवनत किया जाता है, जिसके लिए आपराधिक आरोप पर उसे सिद्धदोष ठहराया गया है या

(ख) जहाँ किसी व्यक्ति को पदच्युत करने या पद से हटाने या पंक्ति में अवनत करने के लिए सशक्त प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी कारण से, जो उस प्राधिकारी द्वारा लेखबद्ध किया जाएगा, यह युक्तियुक्त रूप से साक्ष्य नहीं है कि ऐसी जांच की जाए, या

(ग) जहाँ, यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल का यह समाधान हो जाता है कि राज्य की सुरक्षा के हित में समीचीन नहीं है कि ऐसी जांच की जाए।

(3) यदि यथापूर्वोक्त किसी व्यक्ति के संबंध में यह प्रश्न उठता है कि खंड (2) में निर्दिष्ट जांच करना युक्तियुक्त रूप से साक्ष्य है या नहीं, तो उस व्यक्ति को पदच्युत करने या पद से हटाने या पंक्ति में अवनत करने के लिए सशक्त प्राधिकारी का उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

भाग–ब मानवाधिकार

मानवाधिकार की अवधारणा एवं महत्व

मानवाधिकार का अभिप्राय उन सभी अधिकारों से है, जो मानव होने के नाते व्यक्ति के विकास और कल्याण के लिए अनिवार्य है।

मानवाधिकारों की परिधि में केवल प्रकृति प्रदत्त उपहार जैसे हवा, पानी आदि ही नहीं आते हैं, बल्कि ससम्मान जीने, पोषण और रक्षा प्राप्त करने के वे सभी साधन आते हैं, जो व्यक्तित्व विकास के लिए भी अनिवार्य हैं। जैसे– रोटी, कपड़ा, और मकान, चिकित्सा, शिक्षा, संस्कृति आदि भी मानवाधिकार की परिधि मे आते हैं।

इसका अभिप्राय स्वाभिमान के साथ जीवन जीने की व्यवस्था को प्राप्त करना है, मात्र जीने के जरूरी साधन प्राप्त करना नहीं है।

मानवाधिकार व्यक्ति की उन अनिवार्य आवश्यकताओं से सम्बंधित भी है, जिसके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है, न ही अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। मानवाधिकार के अभाव में तो व्यक्ति के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। वैसे भी किसी भी समाज का विकास आर्थिक या अन्य किसी आधार पर नहीं मापा जाता है, बल्कि मानव कल्याण के लिए दी जाने वाली सुविधाओं को मापा जाता है।

मानवाधिकारों का सम्बंध जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से है। प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्तर पर न्याय प्रदान करना मानवाधिकार हैं। ये मनुष्य के स्वाभाविक अधिकार हैं।

इसी दृष्टि से देखें तो राज्य का यह दायित्व है कि वह व्यक्ति को जीवन जीने तथा विकास एवं कल्याण के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवस्था करे। वैसे भी व्यक्ति वर्तमान में जिन अधिकारों का उपयोग कर रहा है, उनमें से अधिकांश उसे जन्म से ही प्रकृति–प्रदत होते हैं। इन अधिकारों का उपयोग वह सभ्यता के आरंभ से प्रथा, परम्परा व रीति–रिवाजों के अनुसार करता है। जैसे –जीवन जीने और सुरक्षा प्राप्त करने, विचारों को अभिव्यक्त करने, हवा, पानी आदि का उपयोग करने, परन्तु राज्य द्वारा समय –समय पर इन अधिकारों को मान्यता और सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस प्रकार इन्हें और अधिक परिष्कृत और व्यापक बनाया जाता है।

मानव अधिकार

मानवाधिकार इस दौर का बहुचर्चित विषय है और विशेष रूप से पुलिस संगठनों के संदर्भ में इसका उपयोग अक्सर किया जा रहा है। मानवाधिकार संगठनों, जनसंचार माध्यमों और जनता के द्वारा पुलिस संगठनों पर मानवाधिकार हनन के आरोप लगाये जाते रहे हैं। पुलिस बल पर लगते हुये आरोपों और न्यायालयों द्वारा पुलिस के विरुद्ध

मानवाधिकार हनन के निर्णयों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है जबकि पुलिस संगठनों के निम्नतम से उच्चतम स्तर के अधिकारी मानवाधिकार की अवधारणा को समझें। यह आवश्यक हो गया है कि पुलिस संगठनों द्वारा इन आरोपों की सत्यता और मानवाधिकारों को लागू करने के उपायों के बारे में सार्थक चर्चा की जाए ताकि जनमत को पुलिस संगठनों के विरुद्ध होने से रोका जा सके।

अधिकार को अनेक रूप में परिभाषित किया गया है। एक तथ्य पर सभी विचारक सहमत हैं कि अधिकार कुछ करने या रखने की स्वाधीनता है, जो विधि द्वारा मान्यता प्राप्त और संरक्षित है। अधिकार की अवधारणा की प्राप्ति कदम दर कदम हुई है। इसका अगला कदम है– विधिक अधिकार, जो किसी विशेष विधि के दायरे में आने वाले व्यक्ति को उस विधि द्वारा प्राप्त होते हैं। ये अधिकार आत्यंतिक नहीं है और उस विधि द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों से सीमित होते हैं। मूल अधिकार इस अवाधरणा का अगला कदम है। ये ऐसे आधारभूत अधिकार हैं, जो किसी नागरिक के बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अनिवार्य हैं। इन अधिकारों के अभाव में व्यक्ति का विकास अवरुद्ध हो जायेगा और उसकी शक्तियां अविकसित रह जायेंगी। लेकिन यह अधिकार किसी देश के नागरिक को ही उपलब्ध होते हैं और कोई अनागरिक इन अधिकारों को प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकता है। मूल अधिकारों पर भी तर्कसंगत प्रतिबंध लगाये जा सकते हैं। अधिकार की अवधारणा का विकास और आगे जाकर मानवाधिकार के रूप में हुआ है।

सारांश में कहा जाये, तो मानवाधिकार ऐसे अधिकार हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव प्राणी होने के नाते प्राप्त हैं, भले ही उसकी राष्ट्रीयता, लिंग, व्यवसाय, वर्ग और सामाजिक–आर्थिक स्थिति कुछ भी हो।

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में मानवाधिकारों को परिभाषित किया गया है, जो धारा 2(डी) में वर्णित हैं। इसके अनुसार मानवाधिकार का अर्थ व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता व गरिमा से संबंधित उन अधिकारों से है, जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत हैं या अंतर्राष्ट्रीय करारों में वर्णित हैं और भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है।

इन अधिकारों के बिना व्यक्ति की स्थिति पशु की भांति हो जायेगी। इनके माध्यम से ही व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक और आत्मिक आवश्यकताएं पूरी कर पाता है और अपने व्यक्तित्व का विकास करने में समर्थ हो पाता है। मानव होने की धारणा के साथ ही कुछ अधिकार व स्वतंत्रताएं जुड़ी हुई हैं, जिनसे वंचित होने पर मानव अपनी मानवता से ही वंचित हो जाता है, इसलिये मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को मानव जाति का महाधिकार पत्र ठीक ही कहा गया है ।

मानवाधिकार की विश्वव्यापी घोषणा

इस आयोग द्वारा जून, 1948 में मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा तैयार की गई। इस घोषणा को 10 दिसम्बर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। सन् 1950 में महासभा ने प्रस्ताव पारित किया कि 10 दिसम्बर मानवाधिकार

दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 10 दिसम्बर का दिन हथियार की बर्बरता के विरुद्ध शांति और सह–अस्तित्व की भावना का प्रतीक माना गया।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी घोषणा पत्र में नागरिक, राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकारों को प्रतिपादित किया गया है। इस घोषणा पत्र को अन्तर्राष्ट्रीय जनमत का समर्थन प्राप्त है। यही कारण है कि इसे विश्वभर में राजनीतिक और कानूनी, दोनों प्रकार की शक्तियां यथास्थान प्रदान की गई हैं।

इस घोषणा पत्र की प्रस्तावना इस प्रकार है –

''क्योंकि मानव परिवार के सभी सदस्यों के अन्तर्निष्ठ गौरव तथा सम्मान एवं असंक्राम्य अधिकारों की मान्यता विश्व में स्वतंत्रता, न्याय और शांति की आधारशिला है।''

मानवाधिकार के क्रियान्वयन के लिए संगठनात्मक व्यवस्था

मौलिक अधिकारों को स्वीकार करने के पश्चात् राष्ट्रसंघ द्वारा सन् 1966 में दो संविदाओं को स्वीकार किया गया –

- आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय संविदा, जो 3 जनवरी, 1976 को लागू की गई।
- नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय संविदा, इसे 23 मार्च, 1976 से लागू किया गया।

इन संविदाओं के द्वारा मानवाधिकारों की रक्षा के लिए एक मानवाधिकार समिति का गठन किया गया, जो सम्बन्धित सदस्य देशों तथा अन्य देशों के मानवाधिकार हनन सम्बन्धी शिकायतों को स्वीकार करती है। साथ ही इस संविदा को उस राज्य में लागू कराने के लिए सम्बन्धित राष्ट्र से बातचीत करती है।

भारतीय संविधान में मानवाधिकार

भारतीय संविधान में मानवाधिकारों को मुख्यतः मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों वाले भाग में स्थान दिया गया है।

मगर इसका अभिप्राय यह नहीं है कि मौलिक अधिकार और मानवाधिकार एक ही हैं। दरअसल दोनों में मूलभूत अंतर है। सभी अधिकार मानवाधिकार नहीं माने जा सकते हैं, जबकि सभी मानवाधिकारों को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखा जा सकता है। मौलिक अधिकारों में मानवाधिकारों के साथ नागरिक अधिकार भी शामिल होते हैं। जैसे– अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या मताधिकार। इनके बगैर मनुष्य का अस्तित्व कायम रह सकता है। जबकि जीवन जीने और सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार मानवाधिकार भी है और मौलिक अधिकार भी क्योंकि इसके बगैर मनुष्य का अस्तित्व समाप्त हो सकता है।

मौलिक अधिकार और मानवाधिकार

भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार वस्तुतः मानवाधिकार ही है। प्रो० लास्की के अनुसार मौलिक अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं, जिनके बिना साधारणतः कोई मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता। प्रो० लास्की का यह कथन इसी बात का प्रमाण है कि मौलिक अधिकारों के रूप में भारतीय नागरिकों को मानवाधिकार ही दिए गए हैं। मानवाधिकार भी व्यक्ति के विकास की परिस्थितियां ही निर्मित करते हैं। मौलिक अधिकारों का संबंध भी मानवाधिकारों की तरह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से है।ये भी व्यक्ति की उन अनिवार्य आवश्यकताओं से संबंधित हैं, जिनके बगैर न तो वह जीवित रह सकता है, न अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। भारतीय संविधान में दिए मौलिक अधिकार नागरिकों के जीवन जीने तथा विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवस्था करके मानवाधिकारों का ही विस्तार करते हैं।

इस तथ्य को मानवाधिकारों के घोषणा पत्र और भारतीय संविधान में लिए गए मौलिक अधिकारों की तुलना के द्वारा भली–भांति जाना जा सकता है।

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993

Sec. 2(D) – मानव अधिकार से अभिप्राय संविधान द्वारा राष्ट्रीकृत तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं में सम्मिलित एवं भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं गरिमा से है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन व कार्य

भारतीय संविधान द्वारा दिए गए व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा से संबंधित मूलभूत अधिकारों के उपयोग को सुनिश्चित कराने और इन अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिएभारत में 12 अक्टूबर, 1993 को मानवाधिकार आयोग की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश के द्वारा की गई।

भारतीय संसद द्वारा इस अध्यादेश के स्थान पर एक अधिनियम बनाया गया। यह 8 जनवरी,1994 से लागू किया गया। आयोग का प्रमुख उद्देश्य मानवाधिकारों की रक्षा करना और देश में मानवाधिकारों की संस्कृति का विकास करना है।

आयोग के अनुसार मानवाधिकारों की परिभाषा इस प्रकार है–

'मानवाधिकारों का संबंध स्वतंत्रता, समानता और प्रत्येक व्यक्ति को गरिमामय जीवन जीने के अधिकार से है, जो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के अन्तर्गत तथा मानवाधिकार के विश्व घोषणा पत्र में दिए गए हैं।'

गठन

- ❖ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल तेरह सदस्य होते हैं। इनमें एक अध्यक्ष तथा बारह अन्य सदस्य होते हैं।
- ❖ आयोग के अध्यक्ष पद पर उच्चतम न्यायलय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है।

- ❖ सात सदस्यों में से एक सदस्य उच्चतम न्यायालय के वर्तमान या पदमुक्त न्यायाधीश होते हैं।
- ❖ एक सदस्य उच्च न्यायालय के वर्तमान या पद मुक्त न्यायाधीश होते हैं।
- ❖ तीन सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे, जिन्हें मानवाधिकारों से संबंधित पर्याप्त अनुभव और ज्ञान हो, जिनमें से एक सदस्य महिला होगी।
- ❖ सात पदेन सदस्यों में एक राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा, एक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, एक राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं एक दिव्यांग जनों के लिए आयोग के मुख्य आयुक्त सदस्य होते हैं।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है। आयोग अपने कार्यों का संचारण सेक्रेटरी जनरल के माध्यम से करता है, जो आयोग के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष का है।

अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति के अधिकार–

1. प्रधानमंत्री –अध्यक्ष की नियुक्ति का अधिकार
2. स्पीकर लोकसभा –सदस्य
3. गृहमंत्री भारत सरकार –सदस्य
4. लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता –सदस्य
5. राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता –सदस्य
6. राज्यसभा के उपसभापति – सदस्य

मानवाधिकार आयोग के प्रमुख कार्य

भारत जैसे देश में, जहाँ मानवाधिकारों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, मानवाधिकार आयोग की भूमिका और कार्य अत्यन्त चुनौती पूर्ण हैं। सामाजिक–आर्थिक विषमता समाप्त करके सभी के लिए खुशहाल जीवन की व्यवस्था करना चुनौती भरा काम है।

1. तथ्यों का पुनरीक्षण

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्य कार्य उन तथ्यों का पुनर्निरीक्षण करना होता है, जो मानवाधिकारों के उपयोग में आने वाले तथ्यों की उपेक्षा से संबंधित होते हैं।

2. शिकायतों की जाँच

पीड़ित व्यक्ति या उसकी ओर से किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई मानवाधिकार हनन की शिकायत की जाँच करना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्य है। यह शिकायत पुलिस, चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, श्रमिक संबंधित, महिला व बच्चों या विकलांगों, किसी से भी संबंधित हो सकती है।

3. संविधान प्रदत्त मानवाधिकारों को लागू करना

संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के रूप में नागरिकों को मानवाधिकार ही दिए गये हैं। ये मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 से 32 तक है। इन्हें समुचित ढंग से लागू कराने तथा इसके उल्लंघन के दोषी व्यक्तियों पर कार्यवाही करने की अनुशंसा भी मानवधिकार आयोग के ही कार्यों का महत्वपूर्ण भाग है।

4. मानवाधिकार के लिए कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों को बढ़ावा देना

देश के अनेक स्वैच्छिक संगठन मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। इनमें कई तो अन्तराष्ट्रीय स्तर के भी हैं। जैसे– रेडक्रॉस सोसायटी। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय, प्रादेशिक स्तर पर भी कई संस्थाएँ यह कार्य कर रही हैं। ये संस्थाएँ एक तरह से मानवाधिकार आयोग का सहयोग ही कर रही हैं। प्राकृतिक पर्यावरण व अन्य वन्य प्रणाली संरक्षण, स्त्रियों व बच्चों के हितों की रक्षा करना, श्रमिकों के हित की रक्षा करना, कमजोर वर्गों को कानूनी सहायता प्रदान करना, उनके आर्थिक हितों की रक्षा करना, उन्हें जागरूक बनाना, इन वर्गों के कल्याण के लिए बनाई गई विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकरी देना व संस्थाओं के प्रत्यनों एवं कार्यों को प्रोत्साहित करना भी मानवाधिकार आयोग का कार्य है, क्योंकि आयोग मानवाधिकारों की उन्नति के लिए आवश्यक समझे जाने वाले कार्यों को पूरा करने के लिए कृत संकल्प है।

5. अधिकारों के अनुपालन की सुरक्षा

समाज के प्रत्येक व्यक्ति के मानवाधिकारों का सम्मान किया जाने से ही अधिकारों के अनुपालन की सुरक्षा प्राप्त हो सकती है। इस दृष्टि से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सभी राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को राज्य स्तरीय मानवाधिकारों का आयोग बनाने के लिए निर्देश दिए हैं।

इसी तरह आयोग ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों तथा सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए है कि हिरासत में होने वाली मौतों तथा बलात्कार आदि की घटनाओं की जानकारी 24 घंटे के भीतर किसी भी हालत में उन तक भेज दी जानी चाहिए। मानवाधिकार आयोग की इस भूमिका के संबंध में उल्लेखनीय है कि विवादास्पद टाडा अधिनियम को असंगत करवाने का साहस मानवाधिकार आयोग ने ही किया है।

पुलिस द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के तुलनात्मक रूप से अधिक मामले पाए जाने के कारण आयोग ने पुलिस संगठन में सुधार तथा उनके पाठ्यक्रम में मानवाधिकारों संबंधी प्रशिक्षण जोड़ने की अनुशंसा की है।

6. अदालत में लंबित मामलों में हस्तक्षेप

मानवाधिकार आयोग अदालत के अनुमोदन से अदालत में लंबित मानवाधिकार उल्लंघन संबंधी किसी मामले की कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकता है।

7. जेल आदि संस्थाओं की स्थिति को देखना

आयोग राज्य सरकार को सूचित कर उसके नियंत्रण में कोई भी जेल या अन्य किसी भी संस्था, जहाँ व्यक्तियों को सुधार या इलाज आदि करने के उद्देश्य से रखा जाता है, वहां की स्थिति को देख सकता है और उस पर अपनी संस्तुति भी दे सकता है।

8. रक्षा उपायों का पुनर्निरीक्षण

संविधान में दिए गये मानवाधिकारों की रक्षा के लिए लागू किसी अन्य कानून द्वारा दिए गये रक्षा उपायों का पुनर्निरीक्षण करने और उन्हें प्रभावी तरीके से लागू कराने के लिए कार्यवाही करना आयोग के कार्यों की सूची में शामिल है।

9. मानवाधिकारों के उपयोग की रुकावट को दूर करने का प्रयत्न

आयोग आतंकवादी कार्यों के समेत उन सभी कार्यों का पुनर्निरीक्षण भी करता है, जो मानवाधिकारों का उपयोग करने में बाधा डालते हैं। आयोग उन्हें दूर करने के लिए उचित कार्यवाही करने के लिए भी अनुशंसा करता है।

10. मानवाधिकारों का प्रचार–प्रसार

मानवाधिकारों के संबंध में नागरिकों में सजगता बढ़ने से वे न केवल अपने अधिकारों के उपयोग के लिए जागरूक होंगे, बल्कि दूसरों के मानवाधिकारों का हनन भी नहीं करेंगे। इसके लिए आयोग–

(अ) साक्षरता कार्यक्रमों, पाठ्यक्रमों आदि स्तरों पर मानवाधिकार विषयों को शामिल करने का आग्रह करता है।

(ब) मानवाधिकार विषय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी करता है।

(स) विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशाला आदि भी आयोजित करवाता है।

(द) मानवाधिकारों की रक्षा के लिए उपायों का प्रकाशन संचार माध्यम व अन्य माध्यमों के जरिए जन–जन तक पहुंचाकर जागरूकता बढ़ाना भी आयोग का कार्य है।

(ई) मानवाधिकारों के क्षेत्र में शोध करवाना और ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करना भी आयोग का महत्वपूर्ण कार्य है।

इसके अतिरिक्त मानवाधिकारों के क्षेत्र में शोध की उन्नति के लिए आवश्यक समझे जाने वाले सभी कार्य करना मानवाधिकार आयोग का दायित्व है। इस सार्थक प्रयत्न के

सकारात्मक परिणाम भी सामने हैं। आयोग की कार्यप्रणाली पूर्णतया पारदर्शी है। जिस भी व्यक्ति के मानवाधिकारों का हनन हो, वह आयोग को शिकायत कर सकता है। आयोग द्वारा प्रत्येक शिकायत की गंभीरतापूर्वक जाँच–पड़ताल और कार्यवाही की जाती है। वस्तुतः मानवाधिकार आयोग का प्रमुख कार्य दमन की स्थितियों को ही कम करना है, ताकि स्वस्थ सामाजिक परिवेश में मानव जीवन का विकास और आवश्यकताओं की पूर्ति गरिमामय तरीके से संभव हो सके।

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन "मानव अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1993" की धारा 21 के अनुसार किया गया है। आयोग में एक अध्यक्ष, चार सदस्य एवं एक सचिव नियुक्त किया जाएगा। अध्यक्ष के रूप में ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा, जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रहा है, आयोग का एक सदस्य राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो जबकि दूसरा सदस्य जिला न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहा हो या हो। इसके अतिरिक्त आयोग में दो ऐसे सदस्यों को नियुक्त किया जाएगा, जिन्हें मानव अधिकारों से सम्बन्धित विषयों का व्यवहारिक ज्ञान हो। आयोग की नियुक्ति मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 22 (1) के अनुसार एक विधान मंडलीय समिति द्वारा की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे –

(क) मुख्यमंत्री	– अध्यक्ष
(ख) विधान सभा के अध्यक्ष	– सदस्य
(ग) राज्य का गृहमंत्री	– सदस्य
(घ) विधानसभा के विपक्ष का नेता	– सदस्य

आयोग के कार्य–

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 12 के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य निम्न प्रकार है –

1. किसी पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर निम्नलिखित मामलों की जाँच करना –

   (क) मानव अधिकार उल्लंघन या दुष्प्रेरण के लिए दंड।

   (ख) मानव अधिकार के उल्लंघन को रोकने में उपेक्षा के लिए लोक सेवक के विरुद्ध

   कार्यवाही।

2. आयोग ऐसे मामले की कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकता है जो किसी न्यायालय में लम्बित है, लेकिन हस्तक्षेप करने से पूर्व सम्बन्धित न्यायालय से अनुमति लेना जरूरी है।

3. राज्य सरकार के अधीन किसी कारागार या अन्य संस्था में रखे गये व्यक्ति को यातना से संरक्षण दिलाने हेतु उसका निरीक्षण करना।

4. मानवाधिकारों की सुरक्षा हेतु संविधान या उस समय प्रचलित किसी कानून द्वारा प्रदत्त प्रक्रिया को सुचारू रूप से कार्यान्वित करना।

5. मानव अधिकार में बाधक होने वाले कार्यों, विशेषकर आतंकवाद सम्बन्धी कार्य का पुनः अवलोकन करना।

6. मानव अधिकारों से सम्बन्धित किसी अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि या प्रसंविदाओं का अध्ययन करना।

7. मानव अधिकार के क्षेत्र में होने वाली खोजों को प्रोत्साहित करना।

8. मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने वाले संचार माध्यमों को सुलभ कराने के संदर्भ में प्रयास करना।

9. गैर सरकारी संगठनों एवं संस्थाओं द्वारा मानव अधिकारों के क्षेत्र में किये जाने वाले कार्यों को प्रोत्साहित करना।

10. ऐसे अन्य कार्यों को करना, जिन्हें आयोग मानव अधिकारों के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए किया जाए।

11. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा या सरकार द्वारा सौंपे गए अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करना।

पुलिस का दायित्व

पुलिस का कर्तव्य है कि राज्य में कानून एवं शान्ति व्यवस्था कायम रखने के साथ–साथ आम नागरिकों के मानव अधिकारों की सुरक्षा करे। आयोग द्वारा पुलिस को जो निर्देश/आदेश दिये जायें, उन्हें बिना किसी लापरवाही व पक्षपात के पूर्ण करे। आयोग पुलिस से किसी मामले की अन्वेषण या जाँच करने की अपेक्षा कर सकता है या किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने या उसके कथन दर्ज करने के लिए निर्देश दे सकता है। अतः पुलिस का कर्त्तव्य बनता है कि वह आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों/आदेशों का पालन कर उसके अनुसार कार्य करते हुए सहयोग करें। पुलिस के लिए यह जरूरी है कि वह आम नागरिकों के मानव अधिकारों के सरंक्षण, उन्नति और विकास में पर्याप्त सहयोग दे और स्वयं भी किसी नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन न करें व न ही किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने के लिए उत्प्रेरित करें। किसी पुलिस अधिकारी को नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन होते हुए देखने पर अनदेखी नहीं करनी चाहिए। आयोग को अधिकार है कि वह मानव अधिकारों के उल्लंघन के दौरान लापरवाही बरतने वाले या उपेक्षा करने वाले या उत्प्रेरित करने वाले पुलिस अधिकारी के विरुद्ध जाँच या अन्वेषण कर सकता है और दोषी पाये जाने पर उसके विरुद्ध कार्यवाही की सिफारिश कर सकता है। अतः पुलिस का कर्तव्य है कि आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए हर सम्भव उपाय करें और मानव

अधिकारों की सुरक्षा करने वाले कानून की पूरी निष्ठा, तत्परता, निष्पक्षता एवं ईमानदारी से पालन करें।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

इस आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत किया गया है, जिसके अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए एक आयोग होगा, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के नाम से जाना जायेगा। यह आयोग एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा और इस प्रकार नियुक्त किए गये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होगी, जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करें तथा इनका कार्यकाल तीन वर्ष होगा।

आयोग के कार्य–

1. अनुसूचित जातियों के लिए संविधान के अधीन या किसी अन्य विधि के अधीन प्रदत अधिकारों के सभी मामलों में जाँच करना।
2. आयोग का कार्य इन जातियों के सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए योजना प्रक्रिया में भाग लेना।
3. इनके विकास के लिए तैयार की जाने वाली योजनाओं में सलाह देना।
4. इनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

पुर्व में राष्ट्रीय अनुसुचित जाति एवं जनजाति आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 338 के द्वारा किया गया था लेकिन वर्ष 2004 में इन आयोगों को प्रथक कर दिया गया एवं राष्ट्रीय अनुसुचित जनजाति आयोग का गठन 89 वाँ संविधान संशोधन के तहत संविधान के अनुच्छेद 338ए के तहत किया गया है, जिसके अनुसार अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग होगा, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से जाना जायेगा। यह आयोग एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा और इस प्रकार नियुक्त किए गये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष औरअन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होगी, जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करें तथा इनका कार्यकाल तीन वर्ष होगा।

आयोग के कार्य–

1. अनुसूचित जनजातियों के लिए संविधान के अधीन या किसी अन्य विधि के अधीन प्रदत अधिकारों के सभी मामलों में जाँच करना।

2. आयोग का कार्य इन जातियों के सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए योजना प्रक्रिया में भाग लेना।

3. इनके विकास के लिए तैयार की जाने वाली योजनाओं में सलाह देना।

4. इनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।

राष्ट्रीय महिला आयोग

इस आयोग का गठन राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के अन्तर्गत किया गया है। महिला आयोग अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को वही वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

आयोग के कार्य –

1. भारतीय संविधान एवं अन्य कानून के अधीन महिलाओं से सम्बंधित उपबंधों से सम्बंधित सभी मामलों का अन्वेषण व परीक्षण करना।

2. शिकायतों की सुनवाई करना तथा महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना।

3. महिला सुधार गृह, जेल तथा महिला संस्थाओं का निरीक्षण एवं उनमें सुधार कार्य करवाना।

4. महिलाओं से सम्बंधित कानूनों तथा संविधान में उपबंधित अधिकारों के उल्लंघन के मामलों कोउचित अधिकारियों के साथ अपने हाथ में लेना।

राजस्थान महिला आयोग

राजस्थान महिला आयोग का गठन राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अधीन किया गया है। महिला आयोग अध्यक्ष एवं सदस्यों को वही वेतन और भत्ते दिये जाते हैं, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। महिला आयोग को आवश्यकतानुसार सरकार द्वारा अधिकारी एवं कर्मचारी उपलब्ध कराये जाते हैं। आयोग अपनी आवश्यकतानुसार कर्तव्यों का निर्वहन करता है।

आयोग के मुख्य कार्यः–

1. भारतीय संविधान एवं अन्य कानून के अधीन महिलाओं से सम्बन्धित किये गये उपबंधों से सम्बन्धित सभी मामलों का अन्वेषण व परीक्षण करना।

2. शिकायतों की सुनवाई करना तथा महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना।

3. संघ और राज्यों के अधीन महिलाओं के विकास की प्रक्रिया का मूल्यांकन एवं उनके लिए कल्याण कार्य सुनिश्चित करना।

4. महिला सुधारगृह, जेल तथा महिला संस्थाओं का निरीक्षण एवं उनमें सुधार कार्य करवाना।

5. महिलाओं से सम्बन्धित संविधान एवं अन्य कानूनों के उपबंधों के उल्लंघन के मामलों को उपयुक्त अधिकारियों के साथ अपने हाथ में लेना।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR)

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के अन्तर्गत वर्ष 2007 मार्च महीने में की गई। कमीशन का कार्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि भारतीय संविधान में दिए गए बाल अधिकारों के प्रावधानों के अनुसार सरकार द्वारा वैधानिक नीतियों व आयोजना एवं प्रशासनिक मशीनरी द्वारा बाल कल्याण एवं बाल अधिकारों को सुनिश्चित किया जा रहा है।किसी मामले की जाँच के समय आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। आयोग का कार्यालय दिल्ली में है।

आयोग निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा,
एक अध्यक्ष, जो विख्यात व्यक्ति हो और जिसने बालकों के कल्याण के संवर्धन के लिए उत्कृष्ट कार्य किया हो।
केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले छह सदस्य, जिनमें से कम से कम दो स्त्रियां होंगी और प्रत्येक निम्नलिखित क्षेत्रों में श्रेष्ठता, योग्यता, सत्यनिष्ठा, प्रतिष्ठा और अनुभव रखने वाला व्यक्ति होगा –

- शिक्षा
- बाल स्वास्थ्य देख–रेख, कल्याण या बाल विकासरू
- किशोर न्याय या उपेक्षित या तिरस्कृत बालकों या निःशक्त बालकों की देखरेख
- बालक श्रम या बालकों के कष्टों का आहरण
- बालक मनोविज्ञान या समाजशास्त्र और
- बालकों से संबंधित विधिया

केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को नियुक्त करेगी। परन्तु अध्यक्ष की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा महिला और बाल विकास मंत्रालय या विभाग के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यों वाली चयन समिति की सफारिश पर की जाएगी। अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी। परन्तु कोई भी अध्यक्ष या सदस्य दो पदावधियों से अधिक के लिए पद धारण नहीं करेगा। अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य अध्यक्ष की दशा में पैसठ वर्ष की आयु और सदस्य की दशा में साठ वर्ष की आयु प्राप्त होने के पश्चात् उस हैसियत में अपना पद धारण नहीं करेगा। अध्यक्ष या सदस्य केन्द्रीय सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा किसी भी समय अपना पद त्याग सकेगा।

आयोग के कृत्य– आयोग, निम्नलिखित सभी या किन्हीं कृत्यों का निर्वहन करेगा

• बालक अधिकारों के संरक्षण के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा पा उसके अधीन उपबंधित रक्षोपायों की परीक्षा और पुनर्विलोकन करना तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना

• केन्द्रीय सरकार को वार्षिक रूप से और ऐसे अन्य अंतरालों पर, जिन्हें आयोग उचित समझे उन रक्षोपायों के कार्यकरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

• बालक अधिकारों के अतिक्रमण की जांच करना और ऐसे मामलों में कार्यवाहियां आरंभ करने की सिफारिश करना।

• उन सभी पहलुओं की परीक्षा करना जो आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, दंगे, प्राकृतिक आपदा, घरेलू हिंसा एचआईवी/एड्स, अवैध व्यापार, दुर्व्यवहार, उत्पीड़न और शोषण साहित्य और वेश्यावृत्ति से प्रभावित बालक
अधिकारों के उपयोग को रोकते हैं और समुचित उपचारी उपायों की सिफारिश करना।

• उन बालकों से, जिन्हें विशेष देख–रेख और संरक्षण की आवश्कता है, जिनके अंतर्गत कष्टों से पीडित बालक, तिरस्कृत और असुविधाग्रस्त बालक, विधि का उल्लंघन करने वाले बालक, किशोर, कुटुम्ब रहित बालक और कैदियों के बालक भी हैं, संबंधित मामलों की जांच पड़ताल करना और उपयुक्त उपचारी उपायों की सिफारिश करना।

• बालक अधिकारों से संबंधित संधियों और अन्य अन्तरराष्ट्रीय लिखतों का अध्ययन करना और विद्यमान नीतियों कार्यक्रमों और अन्य क्रियाकलापों का कालिक पुनर्विलोकन करना तथा बालकों के सर्वोत्तम हित में उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिशें करना।

• बालक अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसे अग्रसर करना।

• समाज के विभिन्न वर्गों के बीच बालक अधिकार संबंधी जानकारी का प्रसार करना और प्रकाशनो, मीडिया विचार गोष्ठियों और अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध रक्षोपायों के प्रति जागरुकता का संवर्धन करना।

• केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन किसी किशोर अभिरक्षागृह या किसी अन्य निवास स्थान या बालकों के लिए बनाई गई संस्था, जिसके अंतर्गत किसी सामाजिक संगठन द्वारा चलाए जाने वाली संस्था भी है, का निरीक्षण करना या करवाना ; जहां बालकों को उपचार सुधार या संरक्षण के प्रयोजनों के लिए निरुद्ध किया जाता है या रखा जाता है, निरीक्षण करना या करवाना और किसी उपचारी कार्रवाई के लिए, यदि आवश्यक हो, संबंधित प्राधिकारियों से बातचीत करना।

निम्नलिखित से संबंधित मामलों के परिवादों की जांच करना और इन मामलों पर स्वप्रेरणा से विचार करना –

• बालक अधिकारों से वंचन और उनका अतिक्रमण

• बालकों के संरक्षण और विकास के लिए उपबंध करने वाली विधियों का क्रियान्वयन

• बालकों की कठिनाइयों को दूर करने और बालकों के कल्याण को सुनिश्चित करने तथा ऐसे बालको को अनुतोष प्रदान करने के उद्देश्य के लिए नीतिगत, विनिश्चयों, मार्गदर्शनों या अनुदेशों का अननुपालन या ऐसे विषयों से उद्भूत मुद्दों पर समुचित पदाधिकारियों के साथ बातचीत करना और

• ऐसे अन्य कृत्य करना, जो बालकों के अधिकारों के संवर्धन और उपर्युक्त कृत्यों से आनुषंगिक किसी अन्य मामले के लिए आवश्यक समझे जाएं।

• आयोग ऐसे किसी मामले की जांच नहीं करेगा जो किसी राज्य आयोग या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सम्यक रूप से गठित किसी अन्य आयोग के समक्ष लंबित है।

राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग

राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन

• राज्य सरकार इस अध्याय के अधीन एक निकाय का राज्य आयोग को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उसे सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए जो बालक अधिकार संरक्षण आयोग के नाम से ज्ञात होगा गठन कर सकेगी। (राज्य का नाम)

राज्य आयोग निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा. अर्थात :–

• एक अध्यक्ष जो विख्यात व्यक्ति हो और जिसने बालकों के कल्याण के संवर्धन के लिए उत्कृष्ट कार्य किया हो।

• राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले छह सदस्य, जिनमें से कम से कम दो स्त्रियां होंगी और प्रत्येक निम्नलिखित क्षेत्रों में श्रेष्ठता, योग्यता, सत्यनिष्ठा, प्रतिष्ठा और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से –

• शिक्षा

• बाल स्वास्थ्य, देख–रेख, कल्याण या बाल विकास

• किशोर न्याय या उपेक्षित वा तिरस्कृत बालकों या निःशक्त बालकों की देखरेख

• बालक श्रम या बालकों के कष्टों का आहरण

• बालक मनोविज्ञान या समाजशास्त्र और

• बालकों से संबंधित विधियां

• राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेगी । परंतु अध्यक्ष की नियुक्ति, राज्य सरकार द्वारा बालकों से संबंधित विभाग के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यों वाली समिति की सिफारिश पर की जाएगी।

• अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य उस रूप में उस तारीख से, जिसको से अपना पदभार ग्रहण करते हैं, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

परंतु कोई भी अध्यक्ष या सदस्य दो पदावधियों से अधिक के लिए पद धारण नहीं करेगा। परंतु यह और कि कोई अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य अध्यक्ष की दशा में पैसठ वर्ष की आयु और सदस्य के की दशा में साठ वर्ष की आयु प्राप्त होने के पश्चात् उस हैसियत में अपना पद धारण नहीं करेगा। अध्यक्ष या कोई सदस्य राज्य सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा किसी भी समय अपना पद त्याग सकेगा।

राष्ट्रीय दिव्यांग जन आयोगः–

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 60 के अनुसार केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय निःशक्तता सलाहकार बोर्ड के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एवं सौपे गए कृत्यों का निर्वहन करने के लिए करेगी।

केन्द्रीय निःशक्तता सलाहकार बोर्ड के कार्य –

• केंद्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड, दिव्यांगता विषयों पर राष्ट्रीय स्तर का परामर्शदाता और सलाहकार निकाय होगा और दिव्यांगजनों और अधिकारों के पूर्ण उपयोग के लिए समग्र नीति के सतत् विकास को सुकर बनाएगा।

• केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को दिव्यांगता के बारे में नीतियों, कार्यक्रमों, विधान और परियोजनाओं पर सलाह देना।

• दिव्यांगजनों से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने के लिए एक राष्ट्रीय नीति का विकास करना।

• सरकार के सभी विभागों तथा सरकारी और अन्य गैर–सरकारी संगठनों के, जो दिव्यांगजनों से संबंधित मामलों से संबंधित है, कार्यों का पुनर्विलोकन और समन्वयन करना।

• राष्ट्रीय योजनाओं में दिव्यांगजनों के लिए स्कीमों और परियोजनाओं का उपबंध करने की दृष्टि से संबंधित प्राधिकारियों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ दिव्यांगजनों के मामलों पर विचार करना।

• सूचना, सेवाओं के प्रति दिव्यांगजनों की पहुंच युक्तियुक्त वास और भेदभावहीनता को सुनिश्चित करने के लिए और उसके लिए वातावरण तैयार करना तथा सामाजिक जीवन में उनकी भागीदारी के लिए उपायों की सिफारिश करना।

• दिव्यांगजनों की संपूर्ण भागीदारी की सफलता के लिए विधियों, नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावी पर्यवेक्षण और मूल्यांकन करना और

• ऐसे अन्य कृत्य करना जो समय–समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सौपे जाएं।

दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त और आयुक्तों की नियुक्ति –

• दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 74 के तहत केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त नियुक्त कर सकेगी।

• केन्द्रीय सरकार मुख्य आयुक्त की सहायता करने के लिए अधिसूचना द्वारा दो आयुक्तों की नियुक्ति कर सकेगी, जिनमें से एक आयुक्त दिव्यांगजन होगा।

• कोई व्यक्ति मुख्य आयुक्त या आयुक्त के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि उसे पुनर्वास से संबंधित विषयों के संबंध में विशेष जानकारी या व्यावहारिक अनुभव न हो।

• मुख्य आयुक्त की एक सलाहकार समिति द्वारा सहायता की जाएगी, जो विभिन्न दिव्यांगताओं के क्षेत्र से ग्यारह से अन्यून सदस्यों से ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, मिलकर बनेगी।

दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त के कार्य –

• स्वप्रेरणा से या अन्यथा किसी विधि के उपबंध या नीति, कार्यक्रम और प्रक्रियाओं की पहचान करेगा, जो इस अधिनियम से असंगत है और आवश्यक सुधारकारी उपायों की सिफारिश करेगा।

• स्वप्रेरणा से या अन्यथा दिव्यांगजनों को अधिकारों से वंचित करने और उन विषयों के संबंध में उन्हें उपलब्ध सुरक्षोपायों की जांच करेगा और सुधारकारी कार्रवाई के लिए समुचित प्राधिकारियों के पास मामले को उठाएगा।

• इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा दिव्यांगजनों के अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षोपायों का पुनर्विलोकन करेगा और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करेगाय

• उन कारकों का पुनर्विलोकन करेगा, जो दिव्यांगजनों के अधिकारों का उपभोग करने में बाधा उत्पन्न करते हैं तथा समुचित सुधारकारी उपायों की सिफारिश करेगा।

• दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संधियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय लिखतों का अध्ययन करेगा और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करेगा।

• दिव्यांगजनों के अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करेगा और उसका संवर्धन करेगा।

• दिव्यांगजनों के अधिकारों और उनके संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरझोपायों पर जागरुकता का संवर्धन करेगा।

• दिव्यांगजनों के लिए आशयित इस अधिनियम के उपबंधों, स्कीमों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की पर्यवेक्षण करेगा।

• दिव्यांगजनों के फायदे के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा संवितरित निधियों के उपयोजन का पर्यवेक्षण करेगा और

• ऐसे अन्य कृत्यों को करेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा सौंपे जाएं।

• मुख्य आयुक्त कृत्यों का निर्वहन करते हुए किसी भी विषय पर आयुक्तों में परामर्श करेगा।

भाग स – आधुनिक भारत में पुलिस

1. लोकतान्त्रिक कल्याणकारी राज्य में पुलिस की भूमिका एवं मानवाधिकार संरक्षण :–

मानव अधिकार संरक्षण में पुलिस की भूमिका

कानून एवं शांति व्यवस्था कायम रखना पुलिस का प्रथम एवं महत्वपूर्ण कार्य है। राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा का भार सरकार के कंधों पर है। सरकार ने इस कार्य के लिए सशस्त्र बलों की नियुक्ति की है। आन्तरिक अव्यवस्था से निपटने के लिए सरकार ने पुलिस बल की नियुक्ति की है। पुलिस बल की नियुक्ति राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। राज्य पुलिस बलों का संगठन सम्बन्धित राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर किया गया है। राज्य के पुलिस बल के सदस्य कई बार मानव अधिकारों का उल्लंघन जाने अनजाने में कर बैठते हैं, जो अपने आप में एक अपराध है। सिपाही पुलिस विभाग के एक सम्पर्क अधिकारी के रूप में कार्य करता है। अतः उसे अपने कर्तव्यों एवं अधिकारों की सीमाओं का पूरा–पूरा ज्ञान होना चाहिए ताकि किसी भी व्यक्ति के मानव अधिकारों का उल्लंघन न करें।

कर्तव्य पालन सही ढंग से करने के लिए कुछ बातों पर ध्यान देना अत्यावश्यक है, क्योंकि जब तक एक सिपाही को यह नहीं मालूम होगा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिये, तब तक वह अपना कर्तव्य पालन अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा। अतः एक सिपाही को निम्न बातों का पालन करना चाहिए –

1. संविधान को सर्वोच्च मानते हुए उसे उचित सम्मान दें और संविधान में नागरिक को दिये मौलिक अधिकारों की रक्षा करे।
2. कर्तव्यपालन करते समय पुलिस आचरण के सिद्धान्तों का पालन करे।
3. कर्तव्यपालन के दौरान शिष्टाचार के नियमों का भी पालन करें, ताकि किसी नागरिक को कोई पीड़ा न हो।
4. अपने आचरण को शिष्ट एवं शालीन रखें और जनता का विश्वास एवं सहायता प्राप्त करने के लिए हर संभव उचित प्रयास करे।
5. कानून व्यवस्था लागू करने को प्राथमिकता दे ताकि आपराधिक तत्वों को बढ़ावा न मिल सके।
6. प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करें और उसे उचित सम्मान दें।
7. कर्त्तव्य का पालन निष्पक्षता, ईमानदारी, बिना डर या भेदभाव के दृढ़ता से करें।
8. कर्त्तव्य पालन के दौरान अपने अहम् या बदले की भावना को नियंत्रित रखें।
9. कानूनी अधिकारों एवं शक्तियों का प्रयोग कानून की सीमाओं में रहकर करें।
10. गिरफ्तारी, तलाशी, जब्ती एवं पूछताछ करते समय प्रत्येक नागरिक के मानव अधिकारों तथा कानूनी प्रावधानों का ध्यान रखें।
11. प्रत्येक व्यक्ति से साथ सहानूभूतिपूर्ण व्यवहार करें।
12. शिकायकर्ता को उचित सम्मान देते हुए तुरन्त पुलिस कार्यवाही करें ताकि पुलिस में विश्वास बना रहे।
13. प्रत्येक व्यक्ति को जान व माल की सुरक्षा के लिए पर्याप्त एवं यथासम्भव उपाय करें, चाहे वह आम नागरिक हो या एक अपराधी, अमीर हो या गरीब।
14. बल प्रयोग करने से पूर्व चेतावनी अवश्य दें और यदि बल प्रयोग करना ही पड़े तो कम से कम बल का प्रयोग प्रभावशाली ढंग से किया जाये। हथियारों का प्रयोग केवल उसी अवस्था में किया जाये, जब किसी जान या माल की सुरक्षा खतरे में हो। बल प्रयोग का प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को कम से कम हानि पहुँचाना होना चाहिये न कि जान से मारना।
15. गिरफ्तार करते समय प्रत्येक नागरिक के साथ सभ्यता से व्यवहार करें। यदि वह गिरफ्तारी से बचता है या बल प्रयोग करता है, तब सभी साधनों का प्रयोग करे।

16. पुलिस हिरासत में सभी नागरिकों के साथ अच्छा व्यवहार करे।
17. गिरफ्तारी के बाद यदि जमानत पर छोड़ा जा सकता हो तो जमानत पर छोड़ दे, अन्यथा चौबीस घंटों के भीतर जमानत हेतु मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश कर दे।
18. यदि कोई गिरफ्तारशुदा व्यक्ति बीमार हो जाता है, तो अविलम्ब उसका उपचार करायें।
19. पूछताछ के दौरान मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करें।
20. न्यायालय, सरकार तथा उच्च अधिकारियों द्वारा जारी किये गये आदेशों का तुरन्त पालन करें।
21. अनुशासन में रहते हुए सद्भावना से कर्त्तव्यपालन करें।
22. प्रत्येक धर्म का आदर करें।
23. हमेशा स्वच्छ वर्दी पहने।
24. महिलाओं, वृद्ध एवं असहाय व्यक्तियों का सम्मान व सहायता करें।

क्या नहीं करना चाहिए ?

1. संविधान या किसी अन्य प्रचलित कानून का उल्लंघन न करे।
2. किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न करे।
3. किसी भी नागरिक, शिकायतकर्ता, गवाह, संदिग्ध व्यक्ति और दोषी के साथ दुर्व्यवहार (अपमान) या अत्याचार न करे।
4. किसी भी व्यक्ति से साथ धर्म, जाति, लिंग, वर्ण, स्थान, वर्ग या समुदाय के आधार पर भेदभाव न करें।
5. किसी भी कमजोर व्यक्ति, संदिग्ध, गवाह या दोषी की असहाय स्थिति का अनुचित लाभ न उठाये।
6. किसी व्यक्ति के साथ थर्ड डिग्री मैथड्स का प्रयोग न करें, यह गैरकानूनी है, चाहे वह हिरासत में है या नहीं है।
7. किसी व्यक्ति को आर्थिक या अन्य हानि न पहुँचाये।
8. किसी व्यक्ति से किसी कार्य को करने या न करने के लिए किसी प्रकार का इनाम, पारितोषिक या धन तथा कीमती वस्तु न लें।
9. कानून को अपने हाथ में न लें और अपनी शक्तियों व अधिकारों प्रयोग अनुचित ढंग से न करें।
10. किसी व्यक्ति के धर्म, पूजा स्थल, रीति–रिवाज या परम्परा का अपमान करके उसके मन को ठेस न पहुँचाये।
11. बोलचाल के दौरान असभ्य ढंग से पेश न आये और किसी के साथ गाली–गलौच न करें।
12. कर्त्तव्यपालन के दौरान गुस्से या चिड़चिड़ेपन वाला रुखा व्यवहार न करें।
13. अपने कर्तव्यों का पालन पक्षपातपूर्ण ढंग या बदले की भावना से न करें।
14. आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग न करें।
15. किसी भी व्यक्ति या जीव के साथ अन्याय न करें और उसे किसी अधिकार से वंचित न करें।
16. किसी महिला का अपमान न करें और उसके साथ व्यवहार में सम्यक शिष्टता रखें।
17. किसी मामले में स्वयं सजा न दें, सजा देने का कार्य न्यायपालिका का है।
18. गन्दी या गलत वर्दी न पहने।
19. प्रेस व अन्य विभागों के साथ असहयोग की नीति न अपनाएँ।
20. बिना वजह अफवाहें न फैलायें।
21. असामाजिक एवं गुंडा तत्वों का सहयोग न करें।

2. पुलिस अवधारणा

सेवा –उन्मुखी दृष्टिकोण

अपराध का कोई भी स्वरूप क्यों न हो, उसके लिए एक महत्त्वपूर्ण सरकारी एजेन्सी पुलिस ही है जो लोगों को सुरक्षा और आश्वासन प्रदान कर सकती है। इसके लिए यह आवश्यक है कि पुलिस विश्वास के काबिल बनी रहे। शांति और सुरक्षा किसी भी देश के नागरिक का बुनियादी अधिकार है, जिसे महसूस करते हुए पुलिस को चाहिए कि वह संविधान को सर्वोपरि माने तथा वैयक्तिक स्वतंत्रता एवं सामाजिक न्याय के प्रति वचनबद्ध रहे। वर्तमान अनिश्चितता युक्त समाज में पुलिस का यह पुनीत दायित्व यकीनन चुनौतीभरा है, मगर अपने महत्त्व एवं बहुत हद तक अस्तित्व को भी बनाए रखने हेतु इस कर्तव्य के निर्वहन का दूसरा कोई विकल्प भी नहीं।

पुलिस को लीक से हटकर जनता से दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। अभी के हालात में यह उक्ति और भी प्रासंगिक है, क्योंकि हमारे देश की सुरक्षा व एकता को चुनौती देने वाली ताकतें देश के अंदर ही इतनी मजबूती से जड़ जमा चुकी हैं, ऐसे ऐसे अत्याधुनिक हथियारों, तकनीकों व हथकंड़ों से लैस हो चुकी हैं, कि आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के अपने दायित्व में बगैर व्यापक जन सहयोग के पुलिस सफल हो ही नहीं सकती। इसके अलावा भी अन्य अनेकानेक कार्य मसलन अनुसंधान, यातायात प्रबंधन, महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों, प्रतिष्ठानों की सुरक्षा, कृषकों, छात्रों, मजदूरों, महिलाओं की आन्दोलन की समस्याओं से निपटना, साम्प्रदायिक तनावों, दंगो की चुनौतियों का सामना पुलिस बल पुलिस को ही करना हैं। इनका संपादन, कुशलता व सफलतापूर्वक किया जा सके यह तभी संभव है जब आम जनता के साथ पुलिस का बेहतर संबंध हो।

अतः प्रत्येक स्तर के पुलिसकर्मी जब तक इस वर्तमान हालात की गंभीरता तथा उसमें अपनी जिम्मेदारों को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक वे इसके समाधान हेतु प्रयत्नशील भी नहीं होंगे, जिसके बगैर हम सुधार की कल्पना कर ही नहीं सकते।

जनता के साथ संबंध जन–संबंध एक प्रबंधकीय कार्य हैं। इसके अंतर्गत जनता की मनोवृत्तियों का मूल्यांकन करना, पुलिसकर्मी या संगठन की जनहित संबंधी नीतियों व प्रक्रियाओं की पहचान करना तथा उन नीतियों व कार्यक्रमों का क्रियान्वयन ताकि जनता का विश्वास जीता जा सके।

पुलिस जनप्रिय, लोकप्रिय व अधिक प्रभावी हो इसके लिए राष्ट्रीय पुलिस कमीशन की आचरण संहिता के अनुसार पुलिस समाज का ही अंग है, समाज की सेवा करना पुलिस का कर्तव्य है।

- समाज से मिलकर, जनता के सेवक बनकर काम करना, अपराध की सही रिपोर्ट लिखना, रिपोर्ट लिखाने वाले की सहायता करना और रिपोर्ट की प्रतिलिपि तुरन्त उपलब्ध कराना पुलिस का कर्तव्य है।

हमारे देश में पुलिस का पारम्परिक कार्य अपराधों की रोकथाम तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना रहा है। इससे भी पुलिस जनता की एक दोस्त के बजाए विरोधी के रूप में सामने आई है। इस जन विरोधी स्वरूप को खत्म करने हेतु पुलिस के पारंपरिक कार्यों में सेवा सुधार कार्य और गंभीर परिस्थितियों में सहायता के कार्यों को जोड़ दिया गया है। राष्ट्रीय पुलिस आयोग के अनुसार भूकम्प, बाढ़, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सामूहिक नुकसान होता है, जिसमें पुलिस को वे अन्य कई तरह के कार्य करने पड़ते हैं, जिनका कानून और व्यवस्था लागू करने से कोई संबंध नहीं होता है। आपदा ग्रस्त लोगों

के बचाव घायलों को प्राथमिक चिकित्सा, मलवे की सफाई, सड़कों को आवागमन के लिए खोलने, मृतकों को उठाने, दाह–संस्कार करने तथा लोगों के बीच भोजन कपड़े आदि का वितरण करने संबंधी अच्छे कार्य पुलिस को करने पड़ते है। इन कार्यों के अच्छी तरह संपादन करने से पुलिस का सेवाभाव लोगों में स्पष्ट होगा तथा जन–उद्धारक को छवि बनेगी। इनके अलावा निराश्रयों को सहायता, गुमशुदा बच्चों अथवा औरतों की तलाश सदृश निजी परेशानियों में भी पुलिस सहयोग प्रदान कर सकती है। जनता पुलिस संबंध अच्छा हो, ताकि जनता में पुलिस की विश्वसनीयता बढ़ सके, इसके लिए पुलिस को जनता का मालिक न समझकर जनता का सेवक समझकर कार्य करना सर्वजन हिताय तथा सर्वजन सुखाय की भावना के अनुरूप कार्य करने की आवश्यकता है। प्रायः लोग पुलिस के पास अपने दुःखों को ही लेकर जाते हैं। अतः उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार कर तत्काल उनके दुःखों को कुछ हल्का करना।

समाज के हर वर्ग के लोगों से समान व्यवहार करना। धर्म, जाति, निवास स्थान आदि के आधार पर या संपन्नता विपन्नता के आधार पर लोगों में विभेद नहीं करना। आम जनता का विश्वास जीतने के लिए अपनी छवि का निष्पक्ष होना अत्यावश्यक है। अतः वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप पुलिस को अपने कार्य निष्पादन में जनता के साथ सेवा –उन्मुखी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जिससे सच्चे अर्थों में पुलिस अपने कर्तव्य के प्रति न्याय कर सकें।

व्यवसायिकता एवं पुलिस छवि सुधारने का उपाय

पुलिस प्रशिक्षण में सुधार की आवश्यकता

पुलिस की छवि को सुधारने हेतु पुलिस प्रशिक्षण में चहुंमुखी परिवर्तन, सुधार एवं उसके स्तर में वृद्धि की जाये। प्रशिक्षण के समय आपराधिक व्यवहार को पढ़ाते समय यदि मनोवैज्ञानिक बातों पर अधिक बल दिया जाये तो अपराधों के नियंत्रण में मदद मिलेगी, जिससे पुलिस की छवि सुधरेगी।

पुलिस बल की संख्या में वृद्धि

वर्तमान समय में समाज में अपराधों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हो गई है तथा नये–नये तरीकों से अपराध घटित होने लगे हैं, लेकिन पुलिसकर्मियों की संख्या अपराधों की तुलना में शून्य के बराबर है। अतः पुलिस बल में वृद्धि अपरिहार्य है।

पुलिस का आधुनिकीकरण

पुलिस की छवि को सुधारने के लिये पुलिस को आधुनिकतम उपकरणों से सुसज्जित करने की आवश्यकता है। यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को अभियोजित करने के लिये टी.वी. – रेडियो से शिक्षित करने के साथ – साथ उनको पकड़ने के लिए सी.सी.टी.वी. सिस्टम लगाये जाने चाहिए। आपराधिक प्रकरणों की विवेचना को वैज्ञानिक स्वरूप देने के लिये फोरेन्सिक साइन्स एवं वाहनों से सुसज्जित कर अपराधों की रोकथाम की जा सकती है, जिससे जनता में पुलिस की छवि सुधर सके।

न्याय व्यवस्था में सुधार

वर्तमान समय में न्याय न केवल महंगा ही है बल्कि काफी विलंब से भी मिलता है। पुलिस को न्याय दिलवाने में पहल करनी चाहिये तथा जनता द्वारा दी गई रिपोर्ट पर तुरंत कार्यवाही कर जनता में छवि को सुधारने का प्रयास करना चाहिए।

प्रशासनिक हस्तक्षेप में कमी

व्यक्ति और विभाग के मनोबल पर स्थानांतरण का बहुत ही बुरा असर पड़ता है। अधिक मात्रा में प्रशासनिक वरन् राजनैतिक हस्तक्षेप पर भी अंकुश लगाने की आवश्यकता है। सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि पुलिस को राजनैतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखा जाए और उसे स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने दिया जाये। जिससे पुलिस की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस मिल सकें।

कठोर अनुशासन

अनुशासन भ्रष्टाचार, चोरी, अनैतिकता, कार्य में विलंब, मनोबल में गिरावट और अन्यायपूर्ण कार्य को रोकता है और संगठन में नैतिकता, चारित्रिक एवं आत्ममार्मिक उत्थान करता है।

शासक नहीं, सेवक

जनता के लिये पुलिस को शासक नहीं, सेवक के रूप में कार्य करना चाहिए। आपसी समन्वय की आवश्यकता है। समन्वयता प्रशासन की कुंजी है। जनता के साथ पुलिस का आचरण शासक का न होकर सेवक का होना चाहिए। इसके लिए पुलिस को शिष्ट व विनम्र होना चाहिए।

शिकायतों पर तुरंत कार्यवाही करना

जनता की आशा मात्र पुलिस ही होती है। वह चाहती है कि पुलिस उसकी शिकायतों पर तुरंत कार्यवाही करे, लेकिन सच तो यह है कि जनता थानों पर जाने से डरती है। कार्यवाही में विलम्ब अपराधी को बच निकलने का अवसर प्रदान करता है। तुरंत कार्यवाही कर, अपराधी को तुरंत पकड़ कर जनता में छवि को सुधारा जा सकता है।

पुलिसकर्मियों में सद्‌गुणों का विकास

पुलिसकर्मियों में कुछ गंदी आदतें होती हैं, जैसे सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करना, वर्दी में शराब पीना, जुआ खेलना। ऐसी गंदी आदतों को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए।

संचार माध्यमों में मधुर व्यवहार

पुलिस का संबंध संचार माध्यमों से भी रहता है। संचार माध्यमों के द्वारा ही पुलिस की अकर्मण्यता एवं कार्य कुशलता का प्रचार – प्रसार होता है, यही पुलिस के अच्छे व बुरे कार्यों को जनता तक पहुँचाते हैं। अतः संचार माध्यमों से अच्छे संबन्ध स्थापित करें। इस कार्य के लिए विभाग में जनसंपर्क अधिकारी रखे जाने चाहिये, जो पुलिस उपलब्धियों, सफलताओं व कार्यकुशलता के बारे में सच्ची जानकारी जनता में सीधी पहुँचा सकें।

राजस्थान पुलिस की आदर्श आचार संहिता व पुलिस ध्येय

1. पुलिस के लिए संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा और जैसा कि संविधान में गारंटी दी गई है, नागरिकों के प्रति सम्मान तथा उनके अधिकारों को बनाए रखना आवश्यक है।
2. पुलिस को नियमानुसार पारित किसी भी कानून के औचित्य या उसकी आवश्यकता के बारे में प्रश्न नहीं करना चाहिए। उन्हें कानून दृढता पूर्वक और भेद–भाव, डर, पक्षपात, दुर्भावना या बदले के भाव के बिना लागू करने चाहिए।
3. पुलिस को अपने अधिकार क्षेत्र और अपने कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए और इनका पालन करना चाहिए। उन्हें न्यायपालिका के अधिकार नहीं हथियाने चाहिए और न ही यह लगना चाहिए कि वे ऐसी कोशिश कर रहे हैं और न ही व्यक्तियों से बदला लेने तथा अपराधी को दंड देने के लिए फैसले को रोके रहना चाहिए।
4. कानून का पालन करवाने के लिए जहाँ तक व्यावहारिक हो, समझा–बुझा कर और सलाह या चेतावनी देकर काम चलाना चाहिए। जब ताकत का इस्तेमाल जरूरी हो ही जाए तो परिस्थितियों के अनुसार कम से कम ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए।
5. पुलिस का प्रथम कर्तव्य है कि अपराध और अशांति को रोकें। पुलिस को पक्के तौर पर समझ लेना चाहिए कि उनकी कुशलता की परख इसी में है कि अपराध और अशांति हो ही नहीं न कि इस बात में कि पुलिस की कारवाई दिखाई पड़े।

6. पुलिस को यह महसूस कर लेना चाहिए कि वे जनता में से ही हैं। अंतर केवल इतना है कि समाज के हित में और समाज की ओर से उन्हें नियुक्त किया है ताकि वे उन कर्तव्यों के प्रति पूरे समय ध्यान दे सकें, जो अन्यथा सभी नागरिकों को भी निर्वाह करने होते हैं।
7. पुलिस को यह अनुभव करना चाहिए कि जितना सहज सहयोग उन्हें जनता से मिलेगा उतना ही उन्हें कुशलता से अपना काम करने में मदद मिलेगी। फिर यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे अपने आचरण और कार्यों के बारे में लोगों का कितना विश्वास प्राप्त कर सकते हैं।
8. पुलिस को हमेशा लोगों की भलाई दिमाग में रखनी चाहिए, उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाना चाहिए। उन्हें लोगों की आर्थिक, सामाजिक प्रतिष्ठा की ओर ध्यान दिए बिना सबकी सेवा और सहायता करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
9. पुलिस को स्वयं से पहले कर्त्तव्य को रखना चाहिए। खतरों के समय किसी के भला बुरा कहने पर या किसी के खिल्ली उड़ाने जैसी परिस्थितियों में शांत रहना चाहिए तथा दूसरों की प्राणरक्षा में अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
10. पुलिस को हमेशा शिष्ट और सदाचारी रहना चाहिए। उन्हें ऐसा होना चाहिए कि लोग उन पर भरोसा करें। उन्हें पक्षपात से अलग रहना चाहिए, उनमें उदारता और साहस होना चाहिए तथा उन्हें उच्च चरित्र बनाना चाहिए ताकि वे लोगों का विश्वास प्राप्त कर सकें।
11. पुलिस की प्रतिष्ठा का मूल आधार ईमानदारी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्हें अपना निजी जीवन सादा और संयमित रखना चाहिए और उनका निजी तौर पर या सरकारी नौकर के रूप में, विचारों और कार्यों में सच्चा व ईमानदार होना जरूरी है ताकि लोग उन्हें आदर्श नागरिक के रूप में सम्मान दे सकें।
12. पुलिस को महसूस करना चाहिए कि राज्य के लिए वे पूरी तरह से तभी उपयोगी हो सकते हैं, जब वे कानून के अनुसार अनुकरणीय अनुशासन और निष्ठा के साथ कर्तव्य निर्वाह कर सकें तथा अपने उच्चाधिकारियों के कानूनी निर्देशों का सही – सही अनुपालन करें। अपने बल अर्थात पुलिस संगठन के प्रति पूरी वफादारी रखें तथा अपने को लगातार प्रशिक्षित तथा तैयारी में रखें।
13. धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक देश के नागरिक होने के नाते पुलिस को हमेशा व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से ऊपर उठने की कोशिश करनी चाहिए। भारत के सभी लोगों के बीच एकता और भाईचारे की भावना पैदा करनी चाहिए, चाहे वे किसी भी धर्म, भाषा, क्षेत्र अथवा वर्ग के हो और ऐसी रीतियों को त्यागना चाहिए, जो नारी जाति तथा समाज के दलित वर्ग की प्रतिष्ठा के प्रति अपमानजनक हो।

पुलिस प्राथमिकताएं वर्ष 2021

अपराध संबंधी प्राथमिकताएं –

1. महिलाओं, बच्चों व कमजोर वर्गों के विरूद्ध अपराधों का त्वरित अनुसंधान एवं उन पर प्रभावी नियंत्रण
2. पेशेवर, संगठित अपराधियों तथा साईबर अपराधियों के विरूद्ध कारगर व्यूह रचना एवं प्रभावी कार्रवाई

3. उप–खण्ड मुख्यालयों पर सुगम यातायात व्यवस्था

प्रशासनिक प्राथमिकताएं –

1. पुलिस परिसरों का सौन्दर्यीकरण एवं उनमें स्वच्छता व सौहार्दपूर्ण वातावरण विकसित करना
2. पुलिस कार्यों में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग का प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन

3. आन्तरिक सुरक्षा में पुलिस की भूमिका एवं आंतरिक सुरक्षा को चुनौतियाँ –

देश की सुरक्षा व्यवस्था को मोटे तौर पर दो रूपों में विभक्त किया जाता है :–

(1) बाह्य सुरक्षा व्यवस्था

(2) आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था

(1) बाह्य सुरक्षा व्यवस्था :–

एक राष्ट्र को उसके बाह्य पड़ौसी व दुश्मन राष्ट्रों द्वारा जो खतरा उत्पन्न होता है एवं बाहरी सीमाओं पर जो सुरक्षा व्यवस्था इसकी हिफाजत के लिए प्रयोग में लायी जाती है, वह बाह्य सुरक्षा व्यवस्था कहलाती है। इसके लिए हमारे पास राष्ट्र की तीनों सेनाओं (जल, थल, वायु) का समान रूप से दायित्व निर्धारित है। साथ ही साथ बी.एस.एफ. एवं आई.टी.बी.पी. जैसे केन्द्रीय संगठन भी पूरी सहायता करते हैं तथा व्यापक गुप्तचर व्यवस्था भी रखी जाती है।

(2) आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था :–

किसी भी देश में कानून व्यवस्था, लोक व्यवस्था बनाए रखने हेतु सुरक्षा व्यवस्था के लिए कुछ उपाय किये जाते हैं। जहाँ किसी देश की बाह्य सुरक्षा आवश्यक है, वहीं किसी भी राज्य के लिए उसके आन्तरिक भागों में कानून एवं व्यवस्था, लोक व्यवस्था जन–जीवन को अस्त–व्यस्त होने से बचाने के लिए जो कार्य किये जाते हैं, उन्हें उस देश की आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था कहते हैं। देश में शासन करने वाली सरकार का यह दायित्व है कि वह उस देश में ऐसी व्यवस्था करे कि आम व्यक्ति स्वतंत्रतापूर्वक अपना जीवनयापन कर सके, उसे असुरक्षा की भावना न सताये।

आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की चुनौतियाँ :–

भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में उसके धर्म निरपेक्ष, समाजवादी व सामाजिक न्याय के स्वरूप के कारण आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था को भी खतरा है। अनियंत्रित रूप से बढ़ती आबादी, तीव्र औद्योगीकरण, शहरीकरण की समस्या, सामाजिक व नैतिक मूल्यों का ह्रास, सामाजिक न्याय की मांग, बढ़ते जन–आन्दोलन व अपराधों के कुप्रभावों से बचाव हेतु भी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता होती है। आज बढ़ता आतंकवाद, साम्प्रदायिक आन्दोलन, अन्तर्राष्ट्रीय जासूसी व गुप्तचरी, धर्म व भाषावाद देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। देश की सुरक्षा व्यवस्था का उन सभी छोटे – बड़े तत्वों, क्षेत्रों आदि से गहरा सम्बन्ध है, जो मिलकर एक राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्माण करते हैं। कट्टर धार्मिकता, क्षेत्रीयता, साम्प्रदायिक असन्तोष, बढ़ता आतंकवाद, पूर्वोत्तर का असंतोष, शहरी औद्योगीकरण के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न उच्च व निम्न वर्गों व जातियाँ के मध्य असमानता, राजनैतिक असंतोष, सामाजिक असंतोष आदि मुख्य तत्त्व हैं, वहीं आंतरिक सुरक्षा के लिए खुली चुनौतियाँ भी हैं। जनसमूह में किसी कारण उत्पन्न हुआ असंतोष ही एक मुख्य तत्त्व है, जिसके इर्द–गिर्द अन्य तत्त्व कार्य करते हैं। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के अध्ययन में मुख्यतः यह पाया गया कि समस्याओं के ट्रेंड्स विशालता व आयामों के अनुसार

कुछ न कुछ परिवर्तित होते रहते हैं। हर समस्या यथा साम्प्रदायिकता, भाषावाद, क्षेत्रीयता, औद्योगिकता, कृषि, आतंकवाद या युवा असंतोष आदि समय व परिस्थितियों के अनुसार अनेक प्रकार के रूप धारण कर लेते हैं। समय – समय पर देश में गृह व रक्षा मंत्रालय द्वारा अनेक आयोग, समितियाँ नियुक्त कर आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने हेतु उपाय किये गये हैं, जिसके अनुसार पाक समर्थित गतिविधियों, जन असंतोष, आतंकवाद, विघटनकारी गतिविधियाँ व इनके फलस्वरूप उत्पन्न अव्यवस्थाएँ आंतरिक सुरक्षा के लिए मुख्य खतरें (Threats) हैं।

1. बाहरी आक्रमण :– दुश्मन राष्ट्रों द्वारा हमारे देश पर आक्रमण करना एवं अपने एजेन्ट्स भेज कर आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को खतरा पहुँचाने वाले कार्य, जैसे आतंकवाद, बम विस्फोट जैसी गतिविधियों के द्वारा छद्‌मयुद्ध आदि बाहरी आक्रमण में शामिल हैं।

2. आर्थिक कारण :–

(क) कृषक असंतोष,
(ख) औद्योगिक श्रमिक आंदोलन,
(ग) आर्थिक अपराध, बैंक फ्रॉड्स, स्मगलिंग व जाली करेन्सी का प्रचलन।

3. राजनैतिक कारण :–

(क) क्षेत्रीय आन्दोलन,
(ख) भाषायी आन्दोलन,
(ग) आवश्यक सेवाओं के कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को मनवाने के लिए धरना, हड़ताल
(घ) राज्य कर्मचारियों की हड़ताल।

4. सामाजिक कारण :–

(क) शासकीय सेवाओं में भ्रष्टाचार,
(ख) जातिवाद,
(ग) नस्लवाद एवं रंग भेद

5. साम्प्रदायिक असंतोष

6. आतंकवाद

7. विदेशी एजेन्ट्स द्वारा जासूसी एवं विध्वंसकारी गतिविधियाँ

आंतरिक सुरक्षा योजना का पूर्वाभ्यास :–

योजना का पूर्वाभ्यास करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निम्नांकित बिन्दुओं की व्यवस्थाएँ किस प्रकार व कैसे रखी जाएँगी –

1. लोक खाद्य आपूर्ति की व्यवस्था।
2. डी.एम., एस.पी. द्वारा क्षेत्र में तैनात सैनिक अधिकारियों व अन्य आवश्यक विभागों के अधिकारियों की मीटिंग बुलाई जावे।
3. प्रतिबंधित, संरक्षित व सुरक्षित स्थानों का विवरण, जहाँ फोटोग्राफी व आवागमन निषेध है।
4. उन व्यक्तियों की सूची, जिन्हें गोपनीय दस्तावेज बाँटे जाने हैं।
5. जिला व उपखण्ड मुख्यालय पर कन्ट्रोलरूम की व्यवस्था।
6. डी.एस.बी. व एस.एस.बी. द्वारा इंटेलीजेंस एकत्रण संबंधी Guide Lines
7. विश्वसनीय Source व Agents तैयार करना।
8. प्रेस प्रकाशन व लाइव मीडिया पर पूर्ण नियंत्रण तथा जिलाधीश, पुलिस अधीक्षक व डी.एस.बी. स्टाफ का संवाददाताओं से सम्पर्क।
9. डाक अन्तावरोध व टेलीफोन टेपिंग की व्यवस्था।
10. प्राप्त आसूचनाओं का मूल्यांकन व उन पर कार्यवाही।
11. सुरक्षा बलों की उपलब्धता व उसकी तैनाती।

12. जनता को आवश्यक सेवाएँ उपलब्ध कराने वाले विभागों व उनके स्टाफ की उपलब्धता व ऐसे समय में उनकी कार्य योजना।

इस प्रकार रिहर्सल के दौरान उपरोक्तानुसार व्यवस्थाऐं सुनिश्चित करने पर हडबडाहट व अफरा तफरी नहीं होगी।

महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों की सूची :–

आन्तरिक सुरक्षा योजना की तैयारी हेतु निम्नांकित दस्तावेज तैयार कर रखने चाहिए –

1. जिले का नक्शा
2. हथियार विक्रेताओं के नाम व पते।
3. पेट्रोल पम्पों, रसोई गैस, मिट्टी के तेल आदि के डीलरों के नाम पते व उनका विवरण।
4. पुलिस थानों, चौकियों की सूची।
5. डाक तार, दूरभाष, विद्युत व पी.एच.ई.डी. विभाग के कर्मचारियों की सूची।
6. उस क्षेत्र के शस्त्रागारों की सूची।
7. जिले में रहने वाले विदेशियों की सूची।
8. बाँधों, नहरों, नदियों, पुलों, रेल व सड़क मार्गों की सूची।
9. सैन्य स्थानों व सैन्य आपूर्ति के ठेकेदारों की सूची।
10. फोटोग्राफर्स, मुख्य मीडियाकर्मियों एवं मीडिया चैनल्स के प्रमुखों की सूची।

4. सामाजिक बुराईयाँ और उनके निवारण में पुलिस की भूमिका

जतिवाद – प्रत्येक व्यक्ति को अपनी विरासत में मिली चीजों पर गर्व होता है, लेकिन जातिवाद एक ऐसी समस्या है, जिस पर कोई गर्व नहीं कर सकता है क्योंकि इसके कारण लोगों को शिक्षा से वंचित होना, निर्धनता में रहना, महिलाओं को शोषण एवं उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। जातिवाद देश के लिए एक गम्भीर समस्या है, इससे देश का विघटन होता है। व्यक्तिगत स्वार्थ ही जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। पुलिस को अपने कर्तव्यों का पालन निष्पक्षता एवं ईमानदारी से करते हुए जनसाधारण के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए।

बालविवाह – बालविवाह के कारण देश की जनसंख्या में वृद्धि होने के साथ महिलाओं के साथ शोषण भी बढ़ा है। बालविवाह देश के विकास पर भंयकर प्रभाव डालता है। बालविवाह के कारण अनेक समस्याएँ पैदा हो रही हैं, जैसे – बेरोजगारी, जन्मदर व मृत्युदर में वृद्धि तथा प्रसूति के समय महिलाओं की मृत्यु दर में वृद्धि। पुलिस को चाहिए कि बालविवाह कानून का सख्ती से पालन करे तथा उल्लंघन करने वाले को गिरफ्तार कर सजा दिलाये तथा कानून के बारे में समाज में जन चेतना पैदा करे।

दहेज प्रथा – विवाह के समय वधू के माता–पिता द्वारा दिया गया सामान या धन, दहेज कहलाता है। दहेज प्रथा वर्तमान में काफी विकराल रूप ले चुकी है, जिससे देश की प्रगति भी बाधित होती है। इसके कारण स्त्रियों की दशा में काफी गिरावट आई है तथा इसके कारण स्त्रियों का विकास काफी कम हो गया है तथा उनके अधिकारों का भी हनन होता है। पुलिस को दहेज प्रथा को रोकने के लिए बनाये गये दहेज विरोधी कानून का कठोरता से पालन करना चाहिए तथा सजातीय वर – वधू परिचय समारोहों का आयोजन करवाने में अपना सहयोग प्रदान करना चाहिए। पुलिस को दहेज के लोभियों द्वारा सताई गई स्त्रियों की रक्षा तथा अन्य सामाजिक संस्थाओं से सहायता दिलवानी चाहिए।

मद्यपान – मद्यपान भी एक सामाजिक बुराई है। इससे भी समाज तथा देश का पतन होता है। शराब स्वास्थ्य, समाज, परिवार तथा देश सभी के लिए काफी हानिकारक है। मद्यपान करके व्यक्ति अपराध करते हैं। सरकार ने मद्यपान विरोधी कानून बनाये हैं, परन्तु सरकार को इसके विक्रय से आय होने के कारण इसे सख्ती से लागू नहीं किया जाता है। पुलिस

को चाहिए कि इस कानून का सख्ती से पालन करे ताकि भावी पीढ़ियों को एक स्वस्थ सामाजिक वातावरण प्रदान किया जा सके।
मादक द्रव्य सेवन – आजकल मादक द्रव्यों एवं नशीले पदार्थों का सेवन निरन्तर बढ़ रहा है। मादक पदार्थों का सेवन पुरुष अधिक मात्रा में करते हैं। मादक द्रव्य सेवन न केवल व्यक्ति अपितु समाज और परिवार के लिए हानिकारक है। मादक पदार्थों का सेवन व्यक्ति दवा के रूप में, नशेबाजों की संगत में, थकान दूर करने, आनन्द प्राप्त करने, आर्थिक व सामाजिक समस्याओं से घिरे होने के कारण, मनोरंजन के लिए तथा सामाजिक प्रतिष्ठा इत्यादि कारणों से करता है। पुलिस को रोकथाम करने के लिए एन.डी.पी.एस. एक्ट को सख्ती से लागू करना चाहिए। इसके अतिरिक्त नशे की लत वाले व्यक्ति को अस्पताल में इलाज करवाकर, कॉलेज स्कूल के आसपास निगरानी रखकर तथा इससे होने वाले नुकसान का प्रचार करके, मादक पदार्थों के विज्ञापनों पर रोक, नशामुक्ति शिविर लगाकर इस भयावह बीमारी को दूर करने के प्रयास करने चाहिए।
वेश्यावृति – वेश्यावृति मानव के विनाश का मूल कारण बनती जा रही है। इससे एड्स जैसी गम्भीर बीमारी फैलने की आशंका बनी रहती है। वेश्याएँ सामाजिक जीवन को प्रभावित तथा कलुषित करती हैं। सरकार ने अनैतिक व्यापार अधिनियम बनाया है। पुलिस को वेश्यावृति से सम्बन्धित कानून को सख्ती से लागू करना चाहिए तथा इसके साथ – साथ समाजसेवी संस्थाओं के साथ जनचेतना अभियान चालू करवाना चाहिए।

जुआ– भारतीय समाज में कुछ लोग जुए को सामाजिक प्रतिष्ठा मानते हैं जबकि कुछ लोग पैसा कमाने के लिए। जुआ खेलने वाले कभी–कभी अपने घर–बार, जमीन जायदाद ही नहीं अपितु अपनी स्त्री तक को भी दाँव पर लगा देते हैं। सरकार द्वारा जुआ अधिनियम बनाया हुआ है। पुलिस को इसका कठोरता से पालन करना चाहिए।

पुलिस का दायित्व

एक कल्याणकारी राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की अत्यधिक

आवश्यकता है क्योंकि लोगों को न्याय दिलवाने, उनके हितों की रक्षा करने और उनकी सुरक्षा का

दायित्व पुलिस पर ही होता है। अतः एक कल्याणकारी राज्य में पुलिस का विशेष योगदान एवं महत्व होता है। इसलिए एक कल्याणकारी राज्य में पुलिस की भूमिका इस प्रकार से होनी चाहिए – पुलिस का कर्तव्य है कि वह संविधान को सर्वोच्च मानकर उसका सम्मान करें और उसके

1. आदर्शों एवं सिद्धांतों का पालन करे ताकि सभी को समान रूप से न्याय मिल सके और कल्याणकारी राज्य की धारणा को मजबूत किया जा सके।

2 यदि कोई नागरिक अपनी समस्या लेकर पुलिस के पास आता है तो पुलिस को चाहिए कि वह बिना किसी भेदभाव के उसकी सहायता करते हुए उसकी समस्याओं का हल ढूँढने में उसकी मदद करें और उसकी सुरक्षा करें।

3. पुलिस का कर्तव्य है कि वह कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए संविधान में दिये गये मौलिक अधिकारों की रक्षा करे ताकि प्रत्येक नागरिक अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके और प्रसन्नतापूर्वक अपना जीवन निर्वाह कर सके।

4. पुलिस को चाहिए सरकार द्वारा सामाजिक कल्याण एवं विकास के सम्बन्ध में लागू की गई
नीतियों एवं कार्यक्रमों को तुरन्त बिना किसी भेदभाव के करे।

5. समाज के पिछड़े व कमजोर वर्ग के लोगों की उनके सामाजिक स्तर को ध्यान में रखे बिना सहायता करे व उन्हें उचित सम्मान देते हुए अपना कार्य निष्पक्षता से करे ताकि सभी लोगों को न्याय मिल सके और उनको अधिकारों का उपयोग करने में कोई कठिनाई न हो।

6. समाज में फैली अनेक कुरीतियों एवं सामाजिक बुराईयों की रोकथाम करने में सरकार एवं

समाज की सहायता करे।

7. पुलिस को प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों का उचित सम्मान करते हुए उन्हें लागू करने में और उपयोग करने में सहायता प्रदान करे।

8. प्रत्येक नागरिक के साथ सहयोग करे ताकि यदि कोई नागरिक शिकायत लेकर आता है तब उस पर तुरन्त कार्यवाही करके सहायता करे।

9. अपने कर्तव्यों का पालन एक लोक सेवक के रूप में करने का भरसक प्रयास करें। स्वयं किसी नागरिक को पीड़ा नहीं पहुँचाए और ना ही किसी नागरिक के अधिकारों का अतिक्रमण करे।

10. अपने कर्तव्यों का पालन साहस, निष्पक्षता, ईमानदारी के साथ करना चाहिए।

पुलिसकर्मियों में जातिवाद दुर्भावना के दुष्परिणाम हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाने के साथ ही जब वयस्क मताधिकार प्रणाली को प्रारम्भ किया गया तो जातिगत संस्थाएँ अधिक महत्वपूर्ण बन गई तथा जाति का राजनीतिकरण हो गया है। जातिवाद ने देश की व्यवस्था के हर पक्ष को प्रभावित किया है। जाहिर है कि पुलिस भी इससे अछूती नहीं है और पुलिसकर्मियों में भी जातिवाद नासूर की तरह फैलता जा रहा है जो किसी भी संगठन की तरह पुलिस संगठन के लिए अत्यन्त हानिकारक है जिसके केवल दुष्परिणाम ही सामने आते हैं।

1. वर्तमान में पुलिसकर्मी अपने संगठन में विश्वास करने की अपेक्षा जातिवाद में विश्वास अधिक करने लगे हैं तथा अपनी जाति विशेष के लाभकारी पदों पर बैठे लोगों के प्रति अपनी सम्बद्धता दिखाते हैं तथा सांगठनिक कमजोरी (Organistional Weakness) को बढ़ावा देते हैं।

2 पदस्थापन, स्थानान्तरण, मेडल, पदोन्नति आदि सभी कार्यों में जातिगत लाभ प्राप्त करने की चेष्टा की जाती है। जिसके कारण वास्तविक व योग्यतापरक भावना को दरकिनार किया जाता है तथा असन्तुष्ट वातावरण पैदा होता है।

3. बहुत बार पुलिसकर्मियों में पल रही जातिवाद की दुर्भावना किसी बड़ी समस्या का कारण बनती है तथा साम्प्रदायिक तनाव तक की समस्या पैदा हो जाती है। अतः

पुलिसकर्मियों में बढ़ रही जातिगत दुर्भावना को कम करने हेतु पदसोपान ढांचा को मजबूत कर उसमें विश्वास कायम करने की महती आवश्यकता है। राजनीतिज्ञों के प्रति सम्बद्धता को खत्म करने के प्रयास करने चाहिए। पुलिसकर्मियों व अधिकारियों को एक दूसरे की भावनाओं को व समस्याओं को समझ कर उपाय करने चाहिए। जातिगत आरोपों के साबित होने पर सम्बन्धित व्यक्ति को दण्डित भी किया जाना चाहिए।

पुलिसकर्मियों के अपराध में लिप्त होने पर समाज पर पड़ने वाला बुरा प्रभाव –

समाज, नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों का वह दर्पण है जिसमें अपराध, दुर्गुण एवं बुराईयों को घृणात्मक दृष्टिकोण से देखा जाता है। समाज में रहने वाले अन्य व्यक्ति व्यवहार को अच्छा या बुरा बताते हैं क्योंकि वे सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों के आधार पर मूल्यांकन करने के बाद व्यक्ति के व्यवहार को अच्छा या बुरा बताते हैं। अपराधी व्यक्ति को समाज में घृणात्मक दृष्टि से देखा जाता है। जिस प्रकार से अच्छाई समाज में लोगों पर प्रभाव डालती है उसकी प्रकार अपराधी भी समाज पर समान रूप से प्रभाव डालता है। अपराध एवं अच्छाई दोनों एक साथ परिस्थितियों के अनुसार प्रभाव डालते है।

जब एक पुलिसकर्मी अपराध करता है तो उसका दुष्प्रभाव तीव्र गति से पड़ता है और अन्य लोगों की आलोचना का शिकार होता है। एक अपराधी पुलिसकर्मी का समाज पर निम्नलिखित दुष्प्रभाव पड़ता है।

1. समाज के द्वारा निर्धारित किये गये नैतिक मूल्य, आदर्शों, नियमों एवं कानून का उल्लंघन होता है।
2 समाज में आलोचना का शिकार होता है जिससे पुलिस की छवि खराब होती है।
3. सामज में जनता व पुलिस सम्बन्धों को ठेस पहुँचती है और जनता की नजरों में पुलिस गिर जाती है।
4. अपराधों में लिप्त होने के कारण व्यक्तित्व का विघटन होने लगता है।
5. सामाजिक व आर्थिक हितों को ठेस पहुँचती है और समाज को आर्थिक हानि होती है।
6. अन्य व्यक्ति भी अपराधी पुलिस आफिसर को देखकर उसकी नकल करने लगते हैं जिसमें अपराधों को बढ़ावा मिलता है।
7. समाज के सामाजिक व आर्थिक विकास का मार्ग अवरुद्ध होने लगता है और नागरिकों को अनेक जन सुविधाओं से वंचित होना पड़ता है।
8 समाज में भ्रष्टाचार, बेईमानी, हेराफेरी तथा कालाबाजारी जैसे अपराधों में वृद्धि होने लगती है।
9. आम नागरिकों को भ्रष्टाचार के फलने फूलने से न्याय नहीं मिल पाता है और उनके अधिकारों का अतिक्रमण होता है।

आम जनता नागरिक उत्तरदायित्वों की उपेक्षा करने लगती है जिससे समाज में आलस्य, कामचोरी, मुफ्तखोरी और अपराधों की वृद्धि होने लगती है जिससे समाज में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। इससे मद्यपान, मादक द्रव्य व्यसन एवं वेश्यावृति को बढ़ावा मिलता है जो समाज को धीरे–धीरे खोखला करके विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर देता है।

जिला प्रशासन – जिला स्तर जिला प्रशासन राज्य की मूल इकाई है। यह नागरिकों और सरकार के बीच सहयोग की कड़ी तथा प्रशासन की रीढ़ है। जिले का प्रशासनिक प्रमुख जिलाधीश होता है, जो जिले में कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए जिम्मेदार है। वह जिले का दण्डनायक भी होता है।

उपखण्ड स्तर – उपखण्ड स्तर पर प्रशासन का प्रमुख सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट (SDM) होता है। यह जिला एवं उपखण्ड के बीच कड़ी का काम करता है। यह अपने इलाके का कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है। जो अपने उपखण्ड क्षेत्र में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने का कार्य करता है तथा उपखण्ड दण्डनायक होता है।

तहसील एवं ग्राम स्तर – तहसील भारतीय प्रशासन का केन्द्र बिन्दु है। तहसील प्रशासन बहुआयामी है। तहसील में प्रमुख तहसीलदार होता है जिसके अधीन नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारी, कर्मचारी व चौकीदार होते हैं। भू–राजस्व, सामान्य प्रशासन, कोषालय तथा भूमि रिकॉर्ड आदि के लिए तहसील को एक मूल इकाई माना गया है। तहसीलदार भू–राजस्व अधिकारी के रूप में, न्यायिक अधिकारी के रूप में तथा प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य करता है। तहसील के नीचे उपतहसील, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक एवं ग्राम स्तर पर पटवारी अधिकारी होते हैं। जो भू–राजस्व का कार्य करते हैं।

भारतीय न्याय व्यवस्था

उच्चतम न्यायालय –

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय कि स्थापना एवं गठन का कार्य किया गया है। जिसके अनुसार भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा तथा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति एवं संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती तब तक सात से अनधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के तथा राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात् राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा और वह न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक वह 65 वर्ष आयु प्राप्त नहीं कर लेता अथवा उसे उसके पद से हटाया नहीं जाता है तथा अन्य 33 न्यायाधीश कार्यरत हैं। भारत का उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है।

उच्च न्यायालय –

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति एवं अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय–समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से, उस राज्य के राज्यपाल से और मुख्य न्यायाधीश से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्ति करेगा। वह न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक वह 62 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता अथवा उसको पद से हटाया नहीं जाता है। राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित है तथा जयपुर में इसकी बैंच है। वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 49 न्यायाधीश कार्यरत हैं।

जिला न्यायालय – भारतीय संविधान के अध्याय 6 में अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्ति होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीशों की पद स्थापना व पदोन्नति उस राज्य का राज्यपाल ऐसे राज्य के सम्बंध में अधिकारिता का उपयोग करने वाले उच्च

न्यायालय से परामर्श करके करेगा। जिला स्तर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा उनके अधीन अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्य करते हैं।

राज्य अभियोजन विभाग –

प्रत्येक राज्य में एक राज्य अभियोजन विभाग होता है जिसका प्रमुख जिला न्यायाधीश स्तर का अधिकारी होता है। यह विभाग कानून मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। जिला स्तर पर उप निदेशक अभियोजन (डी.डी.पी.)/सहायक निदेशक अभियोजन (ए.डी.पी.), अभियोजन अधिकारी अभियोजन शाखा के अधिकारी है, जिनका कार्य पुलिस को कानूनी राय देना, जिला प्रशासन को कानूनी राय देना है इसके अलावा सरकार की तरफ से न्यायालयों में पैरवी करना तथा मुल्जिमों को सजा दिलाना शामिल है।

भाग द पुलिस संगठन

भारतीय पुलिस का इतिहास

पुलिस के उद्भव एवं विकास की दृष्टि से 800 से 300 ई० पू० का काल महत्वपूर्ण माना जाता है। इस काल में मनु, गौतम, नारद तथा अन्य ऋषियों ने कानून को धर्मशास्त्रों में विधि का रूप प्रदान किया तथा अपराधों के अन्वेषण की जिम्मेदारी धर्मपालकों पर डाली। मनु ने लिखा है कि पुलिस प्रशासन उन्हीं लोगों के हाथों में रहे जिन्हें स्थानीय लोगों और क्षेत्रों का पूरा ज्ञान हो।

मौर्यकाल में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है कि राजा हिंसा को रोके। कौटिल्य दण्ड के प्रति जागरूक था एवं उनके अर्थशास्त्र में "नागरक" (Nagrak) शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका अभिप्राय नगर पुलिस के मुखिया से है। वह गोपों यानि वार्ड प्रधानों की सहायता से नगर को नियंत्रित करता है एवं महत्वपूर्ण पुलिस कार्य सम्पादित करता है। यूनानी नागरिक मैगस्थनीज द्वारा अपनी पुस्तक "इंडिका में तत्कालीन पाटलीपुत्र शहर का वर्णन करते हुए पुलिस जिसे उसने "दंडपाशिन" नाम दिया है। यातायात व्यवस्था, अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों को दंड दिलवाने की व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है। शुद्रक की कृति "मृच्छकटिकम' में भी पुलिस के कार्यों, अनुशासन, सेवा का वर्णन करते हुए, रात्रिगस्त, तलाशी, परिपत्र जारी करना एवं यात्रा की सुरक्षा की गारन्टी आदि पुलिस कार्यों का वर्णन किया गया है।

गुप्त काल में आकर पुलिस एक पृथक संगठन के रूप में स्थापित हो गया। विशाखादत्त द्वारा रचित "मुद्राराक्षस" में उसकी पुष्टि होती है। मुद्राराक्षस में "गुलामस्थाना" शब्द आया है। जिसमें "स्थाना" का अर्थ प्राकृत थाना अर्थात आधुनिक थाना या पुलिस थाना से लिया गया है। वानचांग चीनी यात्री ने अपनी भारत यात्रा के वर्णन में हर्षकालीन पुलिस संगठन का जिक्र किया है। इसी क्रम में आगे के साम्राज्यों में भी पुलिस संगठन का जिक्र आता है। हिन्दू साम्राज्यों में देवराय द्वितीय के काल में पुलिस संगठन में "प्रिफेक्ट" की नियुक्ति का वर्णन आया है, जिसे हम आज के समय में पुलिस कमिश्नर के नाम से जानते हैं। अध्ययन से स्पष्ट है कि विभिन्न कालों में पुलिस व्यवस्था क्रमशः विकसित होती गयी। प्रत्येक राज्य में आन्तरिक सुरक्षा एवं गृहनीति का कुशलता पूर्वक निर्धारण व क्रियान्वयन होता रहा है। भारत में पुलिस प्रशासन विश्व में सबसे प्राचीन है।

मुस्लिमकाल के दौरान पुलिस पद्धति का विकास हुआ। लोकशांति की दृष्टि से नगर पुलिस के प्रधान के रूप में कोतवाल की नियुक्ति की गयी थी। कोतवाल का कार्य नगर में शांति व कानून व्यवस्था बनाना, अपराधों की रोकथाम करना एवं अपराधियों को पकड़कर दण्ड दिलवाना था। कोतवाल जन सहयोग से पुलिस के कार्य सम्पादित करता था। जिसे वर्तमान में हम सामुदायिक पुलिस प्रणाली कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस सम्बन्धी शक्तियों का प्रयोग फौजदार करता था। शेरशाह सूरी के द्वारा प्रथम बार पुलिस थानों की व्यवस्था की गई एवं इंचार्ज थाने को प्रथम बार थानेदार शब्द से सम्बोधित किया गया।
ब्रिटिश काल में मुगलों के पतन के बाद कानून व्यवस्था भंग हो गयी तथा अराजकता फैल गयी। अंग्रेजों ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी के रूप में भारत में व्यापार के लिए प्रवेश किया एवं धीरे–धीरे यहाँ की सत्ता अपने कब्जे में कर ली। सत्ता में आने के साथ ही 1672 में बम्बई में पहली बार पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर की। सन् 1808 में डकैती उन्मूलन हेतु कलकत्ता, ढाका एवं मुर्शीदाबाद में जिला पुलिस अधीक्षकों की

नियुक्ति की गई। पुलिस व्यवस्था में सुधार हेतु अनेक प्रयोग होते रहे एवं 1858 में सभी जिलों में पुलिस अधीक्षकों की नियुक्ति की गयी।

अगस्त 1860 में ब्रिटिश भारत में पुलिस प्रशासन की जाँच हेतु एक आयोग की नियुक्ति की गई एवं इसी आयोग की सिफारिश पर 1861 का पुलिस अधिनियम पारित किया गया। सन् 1920 में भारतीय पुलिस का कार्य भारतीयों के हाथों में सौपा गया। 1947 में जब भारत आजाद हुआ उस वक्त कुल 516 IPS में से मात्र 193 IPS भारत और पाक के थे। भारत में वर्तमान पुलिस व्यवस्था का स्वरूप पुलिस अधिनियम, 1861 पर आधारित है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वर्तमान में विभिन्न राज्यों में 1861 के पुलिस अधिनियम के स्थान पर अपना—अपना पुलिस अधिनियम बनाने का आदेश पारित हुआ जिसकी क्रियान्विति में राजस्थान सरकार द्वारा भी राज० पुलिस अधिनियम, 2007 एवं राज0 पुलिस नियम 2008 बनाये गये हैं। वर्तमान में उपरोक्त की अनुपालना में पुलिस संगठन कार्य कर रहा है।

केन्द्रीय पुलिस संगठन—

दूसरा विश्वयुद्ध शुरू होने के बाद भारत को अप्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में शामिल होना पड़ा क्योंकि यूनाइटिङ किंगडम इस युद्ध में एक पक्ष था और भारत उसके अधिकार क्षेत्र में था। जैसे—जैसे यह युद्ध आगे बढ़ा, भारत सरकार ने देखा कि युद्ध सम्बन्धी इसका खर्च मजबूरन बहुत अधिक बढ़ गया था। इससे ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिसमें अनैतिक तथा समाज विरोधी व्यक्तियों, सरकारी तथा गैरसरकारी दोनों ही राजकोष की कीमत पर बेईमानी पूर्वक अपनी जेबें गरम करनी शुरू कर दी। इस स्थिति का सामना करने के लिए भारत सरकार ने युद्ध सम्बन्धी कारवाई के मामले में अपराधों की जांच हेतु दिल्ली क्षेत्र के लिए एक अलग पुलिस संगठन स्थापित करने का निर्णय लिया। इस निर्णय के परिणामस्वरूप 1941 में केन्द्रीय सरकार के एक प्रशासनिक आदेश द्वारा विशेष पुलिस का गठन किया गया था। इस संगठन को एक पुलिस उपमहानिरीक्षक के अधीन रखा गया था जिसका मुख्यालय लाहौर में और शाखाएँ बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, जबलपुर, रांची, पेशावर कोटा तथा रावलपिण्डी में थी। शुरू में इस संगठन को ऐसे मामलों में घूसखोरी तथा भ्रष्टाचार की जाँच का काम सौंपा गया था, जिनका सम्बन्ध भारत सरकार के युद्ध तथा आपूर्ति विभागों से था। ऐसी उम्मीद की जाती थी कि अधिकतर मामले युद्ध विभाग (रक्षा विभाग को उस समय इसी नाम से जाना जाता था) से संबंधित होंगे, इसलिए इस संगठन के अधीक्षक को युद्ध विभाग में ही तैनात कर दिया गया था।

1942 के अंत तक इस संगठन के कार्याकलापों में विस्तार करके रेल विभाग में भ्रष्टाचार के मामलों को भी इसके अन्तर्गत लाया गया क्योंकि सामरिक दृष्टि से परिवहन और युद्ध सामग्री को होने का सम्बन्ध रेल विभाग से था। 1943 में, जब विशेष पुलिस स्थापना में कार्यरत पुलिस अधिकारियों की कानूनी क्षमता को लेकर कुछ सवाल उठ खड़े हुए तो 1943 के अध्यादेश सं० 22 के द्वारा एक विशेष पुलिस बल का गठन किया गया और इसे ब्रिटिश भारत में कहीं भी केन्द्रीय सरकार के विभागों के मामलों में किये गए कुछ अपराधों की जाँच करने का अधिकार सौंपा गया। यह अध्यादेश जिससे विशेष पुलिस स्थापना को कानूनी आधार प्राप्त हुआ था 30 सितम्बर, 1946 को समाप्त हो गया जिसकी वजह से 1946 में अध्यादेश संख्या—22 की घोषणा करनी पड़ी जिसका स्थान अन्ततः दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25वां अधिनियम) ने ले लिया। इस अधिनियम के फलस्वरूप विशेष पुलिस स्थापना की देखरेख तत्कालीन गृह विभाग को स्थानान्तरित

कर दी गई थी और भारत सरकार के सभी विभागों को इसके कार्यक्षेत्र में ले आया गया था।

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 ने अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत गृह विभाग द्वारा अधिसूचित अपराधों के सम्बन्ध में मुख्य आयुक्त के प्रांतों और राज्यपालों के प्रान्तों की सरकार की सहमति से राज्यपाल के प्रांतों में विशेष पुलिस स्थापना को अधिकार प्रदान किए। प्रांतीय सरकारों की सहमति प्राप्त की गई और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों तथा अधिकार क्षेत्र को 1 अक्टूबर 1946 को जारी एक अधिसूचना के जरिए सभी प्रान्तों तक बढ़ा दिया गया। तथापि, विशेष पुलिस स्थापना को पूर्व भारतीय राज्यों में कोई अधिकार प्राप्त नहीं था।
स्वतंत्रता प्राप्त होने पर विशेष पुलिस स्थापना के कार्य क्षेत्र को राजसी राज्यों में उनकी सहमति प्राप्त करने के बाद बढ़ा दिया गया था। यह सहमति उन्होंने इस समझौते की शर्त पर दी थी कि विशेष पुलिस स्थापना केवल केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध मामलों तथा भारत सरकार के हितों से सम्बन्धित मामलों में ही जाँच करेगा।
1947 तक विशेष पुलिस स्थापना लाहौर स्थित अपने मुख्यालय से कार्य करती रही। स्वतंत्रता तथा विभाजन से कुछ ही पहले इसके मुख्यालय को नई दिल्ली स्थानान्तरित कर दिया गया और इस संगठन को निदेशक आसूचना ब्यूरो के अधीन रखा गया जो फरवरी, 1948 तक जब इसे अलग किया गया, महानिरीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना के रूप में अतिरिक्त पद भी संभाले हुए थे। इसके साथ ही स्थापना को गृह मंत्रालय से संलग्न कर दिया गया।

टेकचन्द समिति–

1949 में सरकार द्वारा अन्य बातों के साथ–साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने, भ्रष्टाचार मिटाने में विशेष पुलिस स्थापना की सफलता का मूल्यांकन करने और इसे जारी रखने सुदृढ़ बनाने आदि के बारे में सिफारिशें करने के लिए बक्शी टेकचन्द की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इस समिति ने 1952 में यह सिफारिश की कि विशेष पुलिस स्थापना को जारी रखा जाना चाहिए और इसकी उपयोगिता तथा कार्यक्षमता को बढ़ाया जाना चाहिए।
दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम, 1946 में 1952 के अधिनियम 26 द्वारा संशोधन करके इसे नये संवैधानिक ढांचे के अनुरूप बनाया गया। तब से विशेष पुलिस स्थापना 1952 के अधिनियम 28 द्वारा यथा संशोधित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के संवैधानिक अधिकार के अधीन कार्य कर रही है। 25.09.1956 को लागू हुए जम्मू कश्मीर, 1956 की धारा 2 के अनुसार दिल्ली पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 को जम्मू और कश्मीर राज्य में भी लागू कर दिया गया है। इस विस्तार के बाद से यह अधिनियम अब पूरे भारत में लागू है।

1953 में आयात एवं निर्यात विनियमों के उल्लंघन से सम्बन्धित अपराधों से निपटने के लिए विशेष पुलिस स्थापना में एक प्रवर्तन विंग जोड़ा गया। शुरू में इस विंग का प्रभारी एक अलग पुलिस अधीक्षक था जिसका मुख्यालय, दिल्ली में था और बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता के पुलिस उपाधीक्षक और अन्य स्टॉफ उसके कार्य में उसकी सहायता करते थे।

सन्धानम समिति –

6 जून, 1962 को गृह मंत्रालय की मांगों पर चर्चा के दौरान जब कुछ संसद सदस्यों ने प्रशासन में बढ़ते भ्रष्टाचार के खतरे का उल्लेख किया तो तत्कालीन गृह मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने यह प्रस्ताव रखा कि कुछ संसद सदस्यों और यदि संभव हो तो अन्य लोगों से अनुरोध किया जाए कि भ्रष्टाचार की समस्या की समीक्षा करने और सुझाव देने के लिए वे उनके मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक करें। इस घोषणा के अनुसरण में श्री के० सन्धानम, संसद सदस्य की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई। इस समिति, जिसमें कुछ संसद सदस्य और 2 केन्द्रीय सरकारी अधिकारी शामिल थे, ने विशेष पुलिस स्थापना को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक सुझाव दिए और सरकार द्वारा अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया।

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ)

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का इतिहास–

आंतरिक सुरक्षा के लिए भारत संघ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) आंतरिक सुरक्षा के लिए भारत संघ का प्रमुख केंद्रीय पुलिस बल है। मूल रूप से 1939 में क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में गठित, यह सबसे पुराने केंद्रीय अर्ध सैन्य बलों (अब केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के रूप में जाना जाता है) में से एक है। 1936 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मद्रास प्रस्ताव के बाद भारत की तत्कालीन रियासतों में राजनीतिक अशांति और आंदोलन की अगली कड़ी के रूप में सीआरपीएफ का गठन किया गया था और क्राउन प्रतिनिधि की विशाल बहुमत की मदद करने की बढ़ती इच्छा थी। देशी राज्यों को शाही नीति के एक भाग के रूप में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए संसद के एक अधिनियम द्वारा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्वतंत्रता के बाद, 28 दिसंबर, 1949 को संसद के एक अधिनियम द्वारा बल का नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया। इस अधिनियम ने संघ के सशस्त्र बल के रूप में सीआरपीएफ का गठन किया। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक नए स्वतंत्र राष्ट्र की बदलती जरूरतों के अनुरूप इसके लिए एक बहुआयामी भूमिका की कल्पना की थी। सीआरपीएफ अधिनियम में परिकल्पित सीआरपीएफ नियम 1955 में बनाए गए थे और 25 मार्च, 1955 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे। श्री वी.जी.कानेतकर को सीआरपीएफ के पहले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

1950 के दशक की शुरुआत में भुज, तत्कालीन पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ (PEPSU) और चंबल के बीहड़ों में सीआरपीएफ की टुकड़ियों के प्रदर्शन की सभी तिमाहियों ने सराहना की। भारतीय संघ में रियासतों के एकीकरण के दौरान बल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने जूनागढ़ की विद्रोही रियासतों और गुजरात में काठियावाड़ की छोटी रियासत को अनुशासित करने में केंद्र सरकार की मदद की, जिन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था। सीआरपीएफ को कच्छ, राजस्थान और सिंध सीमा पर भेजा गया। आजादी के तुरंत बाद, घुसपैठ और सीमा पार अपराधों की जांच के लिए सीआरपीएफ की टुकड़ियों को कच्छ, राजस्थान और सिंध सीमाओं पर भेजा गया था। बाद में, उन्हें पाकिस्तानी घुसपैठियों द्वारा शुरू किए गए हमलों के बाद जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान की सीमा पर तैनात किया गया था। 21 अक्टूबर, 1959 को हॉट स्प्रिंग्स (लद्दाख) में भारत पर पहले चीनी हमले का खामियाजा सीआरपीएफ को भुगतना पड़ा। सीआरपीएफ के एक छोटे से गश्ती दल पर चीनियों ने घात लगाकर हमला किया जिसमें

उसके दस लोगों ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। 21 अक्टूबर को उनकी शहादत को पूरे देश में हर साल पुलिस स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाता है।1962 के चीनी आक्रमण के दौरान, सेना ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना की सहायता की। कार्रवाई में सीआरपीएफ के आठ जवान शहीद हो गए। 1965 और 1971 में भारत–पाक युद्धों में भी सेना ने पश्चिमी और पूर्वी दोनों सीमाओं पर भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी।

भारत में अर्धसैनिक बलों के इतिहास में पहली बार, महिलाओं की एक टुकड़ी सहित सीआरपीएफ की तेरह कंपनियों को आतंकवादी कैडरों से लड़ने के लिए श्रीलंका में भारतीय शांति सेना में शामिल होने के लिए एयरलिफ्ट किया गया था। इसके अलावा, सीआरपीएफ के जवानों को हैती, नामीबिया, सोमाली, मालदीव, कोसोवो और लाइबेरिया में भी वहां की, एक अन्य संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के रूप में कानून–व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए भेजा गया था ।

सत्तर के दशक के उत्तरार्ध में, जब चरमपंथी तत्वों ने त्रिपुरा और मणिपुर में शांति भंग की, सीआरपीएफ बटालियनों को बलपूर्वक तैनात किया गया था। साथ ही ब्रह्मपुत्र घाटी में कोहराम मच गया न केवल कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बल्कि संचार की लाइनों को व्यवधान से मुक्त रखने के लिए भी सीआरपीएफ को ताकत में शामिल किया जाना था। उत्तर पूर्व में उग्रवाद से निपटने के लिए बल की प्रतिबद्धता बहुत अधिक है। सीआरपीएफ सबसे बड़ा सीएपीएफ है जिसमें 01 बल मुख्यालय, 04 क्षेत्रीय मुख्यालय, 21 प्रशासनिक क्षेत्र, 02 संचालन क्षेत्र, 39 प्रशासनिक क्षेत्र, 17 संचालन क्षेत्र, 43 समूह केंद्र, 22 प्रशिक्षण संस्थान, 04 समग्र अस्पताल (100 बिस्तर वाले), 18 समग्र अस्पताल हैं। 50 बिस्तर वाले), 06 फील्ड अस्पताल 03 सीडब्ल्यूएस, 07 एडब्ल्यूएस, 03 मेगावाट और एसडब्ल्यूएस, 203 जीडी बटालियन, 05 वीआईपी सुरक्षा बटालियन, 06 महिला बटालियन, 15 आरएएफ, 10 कोबरा बटालियन, 05 सिग्नल बीएनएस, 01 पीडीजी और 01 एसडीजी। सीआरपीएफ का एक राष्ट्रीय चरित्र और संरचना है। इसे मिनिएचर इंडिया के नाम से जाना जाता है। यहां तक कि अनुभाग स्तर पर भी, देश के सभी भागों के व्यक्तियों को मिलाया जाता है। वे भारत की अखंडता के शांति रक्षक और प्रहरी हैं। सीआरपीएफ एक वीर, गौरवशाली, जीवंत और लचीला बल है। इसका अतीत कई क्षेत्रों में शिखर प्रदर्शन और सफलता से परिपूर्ण है। इसे जनता मानती है। इस प्रकार, सीआरपीएफ कर्तव्यों के मिथक ने खतरनाक कर्तव्यों को सफलतापूर्वक करने की एक छवि को संजोया है।कारगिल युद्ध के बाद, सरकार द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। भारत के जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक ही सीमा पर बलों की बहुलता ने भी बलों की ओर से जवाबदेही की कमी को जन्म दिया है। जवाबदेही को लागू करने के लिए सीमा पर बलों की तैनाती पर विचार करते समय 'एक सीमा एक बल' के सिद्धांत को अपनाया जा सकता है।

तदनुसार, भारत–पाकिस्तान सीमा और भारत–बांग्लादेश सीमा बीएसएफ को दी गईय असम राइफल्स को दी गई भारत–म्यांमार सीमाय भारत–नेपाल सीमा एसएसबी को दी गई हैय और प्ज्ठच को दी गई भारत–चीनी सीमा। इन बलों में से प्रत्येक को अन्य अर्धसैनिक बलों और सेना के साथ साझा करने के लिए उस विशेष सीमा के लिए प्रमुख खुफिया एजेंसी के रूप में भी नामित किया गया है, जो कि भीतरी इलाकों में हो सकती है और सभी अभियानों का समन्वय करने में सक्षम है। इस अभ्यास के एक हिस्से के रूप में, यह भी तय किया गया है कि सीआरपीएफ प्रमुख बल होगा जो पूरे देश में काउंटर इंसर्जेंसी या आंतरिक सुरक्षा अभियानों से निपटेगा।

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संगठनात्मक ढांचा

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का बल मुख्यालय ब्लॉक नंबर 1, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली में स्थित है। इसका नेतृत्व महानिदेशक करते हैं, जिनकी सहायता के लिए 3 अतिरिक्त हैं। महानिदेशक, 9 पुलिस महानिरीक्षक, एक वित्तीय सलाहकार और निदेशक (चिकित्सा)।

संरचना निम्नानूसार है:

महानिदेशालय

I शासन प्रबंध

प्रशासन निदेशालय एलजी (प्रशासन) के समग्र पर्यवेक्षण में कार्य कर रहा है। उन्हें डीआईजी (प्रशासन) और डीआईजी (कल्याण) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

ii कार्मिक

कार्मिक निदेशालय एलजी (कार्मिक) के समग्र पर्यवेक्षण में कार्य कर रहा है। उन्हें डीआईजी (कार्मिक), डीआईजी (सीआर और विग), डीआईजी (संगठन), डीआईजी (स्था) और कॉमरेड (स्था) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

iii प्रशिक्षण

प्रशिक्षण निदेशालय महानिरीक्षक (प्रशिक्षण) के समग्र पर्यवेक्षण में कार्य कर रहा है। उन्हें DIG (प्रशिक्षण–I), DIG (प्रशिक्षण–II) और DIG (खेल) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

iv संचालन

संचालन निदेशालय आईजी (ओपीएस) के समग्र पर्यवेक्षण में कार्य कर रहा है। उन्हें DIG (OPS&I) और DIG (OPS&II) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

v प्रोविजनिंग

प्रावधान निदेशालय महानिरीक्षक (प्रावधान) के समग्र पर्यवेक्षण में कार्य कर रहा है। उन्हें DIG (Prov), DIG (Mod–Ord), DIG (MT), Comdt द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। (मॉड) और सहायक। निदेशक (अं.)

vi संचार

आईजी (संचार) संचार निदेशालय को देख रहे हैं। उन्हें DIG (Eqpt), DIG (Tech) और DIG (IT) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

vii बुद्धि

खुफिया निदेशालय आईजी (खुफिया) के समग्र पर्यवेक्षण में कार्य कर रहा है। उन्हें डीआईजी (मैक), कमांडेंट (इंट) और पीआरओ द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

Viii स्थापना

स्थापना शाखा महानिरीक्षक (स्था.) के समग्र पर्यवेक्षण में कार्य कर रही है। उन्हें डीआईजी (कानून) और डीआईजी (रेक्ट) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

Ix वित्त

वित्त शाखा और वेतन एफए के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के तहत कार्य कर रहा है। उन्हें क्ल.१। द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

X मेडिकल

चिकित्सा शाखा महानिरीक्षकधनिदेशक (चिकित्सा) के समग्र पर्यवेक्षण में कार्य कर रही है। उन्हें 2 उप द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। निदेशक (चिकित्सा)।

पर्यवेक्षी और सहायता प्रतिष्ठान फील्ड फॉर्मेशन/इकाइयाँ

1. जोन –4 कार्यकारी बटालियन –208
2. एडमिन सेक्टर –19 महिला बटालियन –6
3. आरएएफ सेक्टर –1 आरएएफ बटालियन –15
4. कोबरा सेक्टर –1 कोबरा बटालियन –10
5. ओपीएस सेक्टर –2 सिग्नल बटालियन –5
6. एडमिन रेंज –35 स्पेशल ड्यूटी ग्रुप –1
7. आरएएफ रेंज–3 पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप –01
8. संचार रेंज–01
9. ओपीएस रेंज –17
10. समूह केंद्र –43
11. केंद्रीय हथियार स्टोर –3
12. शस्त्र कार्यशाला –7
13. स्टेटिक (मोबाइल वर्कशॉप) –3

सीआरपीएफ की भूमिका

यह परिनियोजन और इसकी संरचना दोनों में, चरित्र में अखिल भारतीय है। विभिन्न परिस्थितिजन्य आवश्यकताओं को शीघ्रता से अनुकूलित करने की अपनी अनूठी क्षमता के कारण, और राज्य पुलिस के साथ पूर्ण सामंजस्य में काम करने के लिए, सीआरपीएफ ने वर्षों से, लोगों और राज्य द्वारा शायद सबसे स्वीकार्य बल होने का गौरव प्राप्त किया है।

सीआरपीएफ द्वारा किए गए कर्तव्यों के व्यापक हैं:

- भीड़ पर नियंत्रण
- दंगा नियंत्रण
- काउंटर मिलिटेंसी/उग्रवाद संचालन।
- वामपंथी उग्रवाद से निपटना
- विशेष रूप से अशांत क्षेत्रों में चुनाव के संबंध में बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था का समग्र समन्वय।
- वीआईपी और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा।
- पर्यावरणीय क्षरण की जाँच और स्थानीय वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा
- युद्ध के समय में आक्रामकता से लड़ना
- संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में भाग लेना
- प्राकृतिक आपदाओं के समय बचाव और राहत कार्य।
- कानून और व्यवस्था और उग्रवाद विरोधी कर्तव्यों के अलावा, पिछले कुछ वर्षों के दौरान बार–बार हुए आम चुनावों में सीआरपीएफ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण रही है। यह जम्मू–कश्मीर, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों के संकटग्रस्त राज्यों के लिए विशेष रूप से सच है। संसदीय चुनावों और राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान, सीआरपीएफ ने सुरक्षा व्यवस्था में एक प्रमुख भूमिका निभाई।
- सीआरपीएफ की महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक, जो बहुत स्पष्ट नहीं है, महत्वपूर्ण केंद्रीय सरकार की रखवाली कर रही है। उग्रवाद प्रभावित राज्यों में हवाई अड्डे, बिजलीघर, पुल, दूरदर्शन केंद्र, आकाशवाणी केंद्र, राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों के आवास, राष्ट्रीयकृत बैंक और अन्य सरकारी प्रतिष्ठान जैसे प्रतिष्ठान। सीआरपीएफ इन अत्यधिक अशांत क्षेत्रों में लोकतांत्रिक संस्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है, और उग्रवादियों द्वारा नागरिक समाज को अपने कब्जे में लेने से रोक रही है।

सीआरपीएफ का यह योगदान हालांकि बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी बहुत महत्वपूर्ण है।

- 7.5 प्रतिशत बल ज्यादातर पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू–कश्मीर, बिहार और आंध्र प्रदेश में वीआईपी की सुरक्षा के लिए तैनात है, जिसमें जम्मू–कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड, त्रिपुरा के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री, एमएसपी और एमएसएलए शामिल हैं। और मिजोरम। सीआरपीएफ भारत के प्रधान मंत्री, विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों और एमएसपी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के आवास ध् कार्यालय में सुरक्षा (स्टेटिक गार्ड) भी प्रदान कर रहा है।
- बल का 17.5 प्रतिशत केंद्र और राज्य सरकारों के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है, जिनमें से ज्यादातर उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में हैं, जिनमें सचिवालय, दूरदर्शन केंद्र, टेलीफोन एक्सचेंज, बैंक, जलविद्युत परियोजनाएं, जेल आदि शामिल हैं। सीआरपीएफ को संसद भवन की सुरक्षा के लिए भी तैनात किया जाता है। .
- सीआरपीएफ के 10 कोय तीन संवेदनशील मंदिरों यानी कृष्ण जन्म भूमि, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर (मथुरा), राम जन्म भूमि– बार्बी मस्जिद परिसर (अयोध्या) और काशी विश्वनाथ मंदिर– ज्ञानवापी मस्जिद (वाराणसी) की सुरक्षा के लिए तैनात हैं। माता वैष्णो देवी तीर्थ, कटरा, जम्मू (जम्मू–कश्मीर) की सुरक्षा के लिए बल के 4 सदस्य तैनात हैं।

सुरक्षा गतिविधियां

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है और इसका गौरवशाली अतीत और एक घटनापूर्ण वर्तमान है। इतिहास असंख्य ''साहस की गाथाओं'' से भरा हुआ है जो इस बल के लिए प्रेरणादायक और मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में कार्य करता है। 1939 में इसकी स्थापना के बाद से इसने छोटी रियासतों के भारतीय संघ में विलय और विभाजन के दंगों से निपटने के दौरान सहायता प्रदान करने से एक लंबा सफर तय किया है। आज यह माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में पूर्ण पैमाने पर गुरिल्ला युद्ध लड़ रही है। सीआरपीएफ ने वर्षों से कुछ कठिन लड़ाइयाँ लड़ी हैं और युद्ध के दौरान सेना के साथ खड़ी रही हैं। सीआरपीएफ के दस बहादुर सैनिकों ने शहीद हो गए जब चीनी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की और 21 अक्टूबर, 1959 को हॉट स्प्रिंग्स (लद्दाख) में अपने गश्ती दल पर हमला किया। कच्छ में सरदार पोस्ट पर तैनात सीआरपीएफ की दो कंपनियों ने 9 तारीख को पाकिस्तानी सेना के एक ब्रिगेड के हमले को खारिज कर दिया। अप्रैल 1965। सरदार पोस्ट की लड़ाई को पुलिस बलों के इतिहास में अब तक लड़ी गई सबसे अच्छी लड़ाई के रूप में जाना जाता है। आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर इसने 13 दिसंबर 2001 को संसद हमले और 27 जुलाई 2005 को अयोध्या हमले को विफल किया।

सीआरपीएफ ने उड़ीसा सुपर साइक्लोन (1999), गुजरात भूकंप (2001), सुनामी (2004) और जम्मू–कश्मीर भूकंप (2005) जैसी विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भी बचाव और राहत अभियान चलाया। सीआरपीएफ ने श्रीलंका (1987), हैती (1995), कोसोवो (2000) और लाइबेरिया (महिला दल) (2007) जैसे विभिन्न विदेशी संयुक्त राष्ट्रों की तैनाती के दौरान भी यह साबित किया है।

अब तक 1997 में सीआरपीएफ के वीर जवानों ने देश की सेवा में अपने प्राणों की आहुति दे दी है। निष्क्रिय वीरता के प्रदर्शन के लिए इसे 01 जॉर्ज क्रॉस, 03 किंग्स पीएमजी, 01 अशोक चक्र, 01 कीर्ति चक्र, 01 वीर चक्र, 12 शौर्य चक्र, 1 पद्म श्री,

49 पीपीएफएसएमजी, 185 पीपीएमजी, 1028 पीएमजी, 5 आईपीएमजी, 4 विशिष्ट सेवा से अलंकृत किया गया है। मेडल, 1 युद्ध सेवा मेडल, 5 सेना मेडल, 91 च्ड पुलिस मेडल फॉर लाइफ सेविंग और 2 जीवन रक्षा पदक।
पिछले पांच वर्षों में सीआरपीएफ ने 715 उग्रवादियोंध्नक्सलियों को मार गिराया है, 10626 को पकड़ा है, 1994 के आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया है, 5176 हथियार, 162743 मिश्रित गोला–बारूद, 54394 किलोग्राम विस्फोटक, 2917 हथगोले, 2298 बम, 56 रॉकेट, 2063 आईईडी, 31653 डेटोनेटर बरामद किए हैं। 4084 जिलेटिन की छड़ें, 13850 किलोग्राम नशीला पदार्थ और 10 करोड़ से अधिक नकद।

चुनाव के दौरान भूमिका

- केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल वह एजेंसी है, जिस पर सरकार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए बहुत अधिक निर्भर करती हैः चाहे वह संसदीय हो या देश भर में विधानसभा चुनाव। केरिपुबल इस भारी जिम्मेदारी को बड़े गर्व और प्रतिबद्धता के साथ निभा रहा है।
- गृह मंत्रालय, भारत निर्वाचन आयोग, रेलवे बोर्ड और अन्य विभागों के साथ समन्वय।
- ''राज्य स्तरीय समन्वय समूह'' का गठन करके मतदान करने वाले राज्यों के साथ समन्वय करना।
- बल मुख्यालय और मतदान वाले राज्य में समर्पित 24'7 नियंत्रण कक्ष स्थापित करके चुनाव कर्तव्यों के लिए प्रतिनियुक्त सैनिकों की आवाजाही और तैनाती का समन्वय करता है।
- मतदान के लिए जा रहे राज्य की सुरक्षा रूपरेखा तैयार करना।
- राज्य प्राधिकरण के परामर्श से क्षेत्रध् बूथ की संवेदनशीलता के अनुसार सैनिकों की तैनाती की योजना बनाना।
- सभी बलों के लिए यूनिक आईडी बनानाध्जारी करना ताकि चुनाव वाले राज्यों के स्थानीय अधिकारी आराम से सैनिकों को पास में तैनात कर सकें ताकि सेना कमांडर के पास उचित कमान और नियंत्रण हो सके।
- चुनाव ड्यूटी के लिए तैनात जवानों को प्री–इंडक्शन ट्रेनिंग जिसमें राज्य की सुरक्षा रूपरेखा के मुताबिक जवानों को ट्रेनिंग ।

.

सीआरपीएफ की विशेष भूमिका

1 रैपिड एक्शन फोर्स

RAF का मतलब रैपिड एक्शन फोर्स है। एक विशेष बल, इसे अक्टूबर 1992 में 10 बीएन के साथ बनाया गया था जिसे अब बढ़ाकर 15 बीएन कर दिया गया है क्योंकि 01.01.2018 से 5 और इकाइयां जोड़ी गई हैं। इन इकाइयों की स्थापना दंगों और दंगा जैसी स्थितियों से निपटने, समाज के सभी वर्गों में विश्वास पैदा करने और आंतरिक सुरक्षा कर्तव्य को संभालने के लिए की गई थी।

आरएएफ एक शून्य प्रतिक्रिया बल है जो कम से कम समय के भीतर संकट की स्थिति में पहुंच जाता है, इस प्रकार आम जनता के बीच सुरक्षा और विश्वास की तत्काल भावना को उत्साहित करता है।

इस बल को शांति का प्रतीक एक अलग ध्वज रखने का श्रेय भी है और एसएच एल.के. आडवाणी, भारत के तत्कालीन उप प्रधान मंत्री, 7 अक्टूबर 2003 को अस्तित्व में आने के 11 वें वर्ष में राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा के लिए।

आरएएफ ने हर साल विभिन्न देशों (यानी हैती, कोसोवो, लाइबेरिया, आदि) में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए पुरुष और महिला टुकड़ियों को प्रशिक्षित किया, अपने उच्चतम व्यावसायिकता के लिए अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रशंसा और उत्कृष्टता अर्जित करना जारी रखा।

रैपिड एक्शन फोर्स का संगठन

इस विशेष बल में 15 बटालियन हैं जिनकी संख्या 99 से 108 और 83, 91, 97, 114, 194 है। इसका नेतृत्व महानिरीक्षक स्तर का एक अधिकारी करता है।बल में सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई एक निरीक्षक द्वारा निर्देशित एक 'टीम' होती है, जिसमें तीन घटक होते हैं जैसे दंगा नियंत्रण तत्व, आंसू धुआँ तत्व और अग्नि तत्व। इसे एक स्वतंत्र हड़ताली इकाई के रूप में संगठित किया गया है। आरएएफ की एक कंपनी में एक टीम महिला कर्मियों से युक्त होती है ताकि उस स्थिति से अधिक प्रभावी ढंग से निपटा जा सके जहां बल महिला प्रदर्शनकारियों को मजबूर करता है।

2 महिला बटालियन

महिला बटालियन सीआरपीएफ देश का एकमात्र अर्धसैनिक बल है जिसमें 06 महिला (महिला) बटालियन हैं। मार्च 1987 में अपने प्रशिक्षण के बाद, 88 (एम) बीएन ने मेरठ दंगों और बाद में श्रीलंका में आईपीकेएफ के साथ अपने काम के लिए प्रशंसा हासिल की। दूसरी महिला बटालियन (135 बीएन) के कर्मियों ने लोकसभा चुनाव 1996 के दौरान कई राज्यों में विश्वसनीय प्रदर्शन किया। वर्तमान में महिला कर्मियों को जम्मू–कश्मीर, अयोध्या, मणिपुर, असम और देश के अन्य हिस्सों में सक्रिय ड्यूटी पर तैनात किया गया है जहां वे सराहनीय काम कर रहे हैं। इसके अलावा प्रत्येक आरएएफ बटालियन में एक महिला (महिला) घटक होता है जिसमें 106 कर्मी होते हैं। इसके अलावा 241 बस्तरिया बीएन में 242 महिला कर्मियों को भी अधिकृत किया गया है।

राजनीति, आंदोलन और अपराध में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के साथ, पुलिसकर्मी महिला आंदोलनों को संभालने में खुद को विकलांग महसूस कर रहे हैं, खासकर क्योंकि महिलाओं से संबंधित किसी भी मामले से निपटने में उनकी ओर से एक छोटा, वास्तविक या कथित दुराचार भी गंभीर रूप ले सकता है। कानून व्यवस्था की समस्या। ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए सीआरपीएफ में पहली महिला बटालियन, 88 (एम) बटालियन को 1986 में दिल्ली में मुख्यालय के साथ बनाया गया था। 88 (महिला) बीएन के सफल प्रयोग और उभरती कानून और व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए महिला घटक की लगातार बढ़ती आवश्यकता के साथ–साथ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार के जोर ने दूसरी और तीसरी महिला बीएन यानी 1995 में गांधीनगर (गुजरात) में मुख्यालय के

साथ 135 (एम) बीएन और 201 एल में नागपुर (महाराष्ट्र) में मुख्यालय के साथ 213 बीएन।

इसके अलावा उपरोक्त अवधारणा को बढ़ाने के लिए 03 नई सीआरपीएफ महिला बीएन। यानी 232 (एम), 233 (एम) बीएन और 240 (एम) बीएन को भी क्रमशः 2014–15, 2015–16 और 2016–17 के दौरान उठाया गया।

3 कोबरा

सरकार भारत सरकार ने चरमपंथियों और विद्रोहियों आदि से निपटने के लिए गुरिल्लाध्जंगल युद्ध प्रकार के संचालन के लिए कमांडो बटालियन फॉर रेसोल्यूट एक्शन (कोबरा) की स्थापना को मंजूरी दी थी।

सरकार ने सीआरपीएफ में कोबरा की 10 अनासक्त बटालियनों को इन बटालियनों के लिए एक सेक्टर मुख्यालय के साथ एक महानिरीक्षक की अध्यक्षता में स्थापित करने की मंजूरी दी। बढ़ाने का कार्यक्रम नीचे दिया गया हैः–

2008–09ः 02 (दो) बटालियन और सेक्टर मुख्यालय, कोबरा
2009–10ः 04 (चार) बटालियन।
2010–11ः 04 (चार) बटालियन।

कोबरा सेक्टर ने डीटीई में काम करना शुरू कर दिया। श्री के दुर्गा प्रसाद, आईपीएस, आईजी, कोबरा सेक्टर की कमान के तहत जनरल, सीआरपीएफ, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली। बाद में, मार्च 2009 में, सेक्टर मुख्यालय को पुष्प विहार, नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया और 11.11. 2009 से यह पुराने सचिवालय, सिविल लाइंस दिल्ली–54 में कार्य कर रहा है।

सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.)

सीमा सुरक्षा बल का इतिहास –

1965 तक पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा राज्य सशस्त्र पुलिस बटालियन द्वारा संचालित थी। 09 अप्रैल, 1965 को पाकिस्तान ने कच्छ में सरदार पोस्ट, चार बेट और बेरिया बेट पर हमला किया। इसने सशस्त्र आक्रमण से निपटने के लिए राज्य सशस्त्र पुलिस की अपर्याप्तता को उजागर किया, जिसके कारण भारत सरकार को एक विशेष केंद्र नियंत्रित सीमा सुरक्षा बल की आवश्यकता महसूस हुई, जो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सशस्त्र और प्रशिक्षित होगा। सचिवों की समिति की सिफारिशों के परिणामस्वरूप, सीमा सुरक्षा बल 01 दिसंबर 1965 को अस्तित्व में आया, जिसमें श्री के एफ रुस्तमजी पहले प्रमुख और संस्थापक पिता थे। प्रारंभ में 1965 में, बीएसएफ को 25 बीएनएस के साथ उठाया गया था और समय बीतने के साथ, पंजाब, जम्मू–कश्मीर, उत्तर पूर्व क्षेत्र आदि में आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए राष्ट्र की आवश्यकता के अनुसार इसका विस्तार किया गया था। वर्तमान में बीएसएफ के पास 192 (03 एनडीआरएफ सहित) है। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में ससंद में एक विधेयक पास करके संघ के एक सशस्त्र बल के रूप में देश की सीमाओं की रक्षा के लिए की गई थी। केन्द्रीय गृह मंत्रालय में महानिदशेक के नेतृत्व में इसका जन्म 1 दिसम्बर, 1965 में हुआ। बी.एस.एफ. ने राज्यों की सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान से लगी अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं की चौकसी का दायित्व लेकर कार्य प्रारम्भ किया।

अपने अस्तित्व के इस छोटे से अरसे में सीमा सुरक्षा बल ने शान्ति और युद्धकाल में महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की हैं। वर्ष 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम के अवसर पर सीमा सुरक्षाबल के कार्य की सराहना प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भी की थी। प्रधानमंत्री ने सीमा सुरक्षा बल के तत्कालीन महानिदेशक श्री रूस्तम जी को अपने पत्र में लिखा था– हमारी रक्षा की प्रथम पंक्ति के रूप में सीमा सुरक्षा बल को ही शत्रु के आक्रमण का पहला झटका सहना पड़ा। सीमा सुरक्षा बल देश की पाकिस्तान, बंगलादेश और बर्मा के साथ लगने वाली सीमा तथा जम्मू और कश्मीर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात है और 7219 किलोमीटर लम्बी सीमा की देखभाल करता है। अंतरराष्ट्रीय सीमा की रखवाली करने वाली बीएनएस और 07 बीएसएफ आर्टि रेजिमेंट। इसके अलावा, बीएसएफ कश्मीर घाटी में घुसपैठ विरोधी भूमिका, उत्तर पूर्व क्षेत्र में काउंटर इंसर्जेंसी, ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्यों में नक्सल विरोधी अभियान और पाकिस्तान और बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एकीकृत चेक पोस्ट की सुरक्षा भी कर रहा है।

संगठन – सशस्त्र पाकिस्तानियों द्वारा रन ऑफ कच्छ में हुए आक्रमण ने यह सुझाया कि भारतीय सीमाओं की चौकसी के लिए एक विशेष बल होना चाहिए। तत्कालीन गृह सचिव श्री एल.पी. सिंह और सेना के मुख्य अधिकारी जनरल जे0एन0 चौधरी की परस्पर मंत्रणा के पश्चात् इस बल के गठन का निश्चय किया गया। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी श्री के0एफ0 रूस्तम जी को इसका सर्वप्रथम महानिदेशक नियुक्त किया गया। इस बल से अपेक्षा की गई कि सीमाओं पर रहने वाले नागरिकों में विश्वास और साहस पैदा करेगा तथा तस्करी और सीमा पार अपराधों को रोकने में अहम् भूमिका निभायेगा।

प्रारम्भ में भारतीय सीमाओं पर तैनात राज्यों की सशस्त्र बटालियनों का इस बल में विलय किया। अनेक राज्यों ने आरम्भ में अपने सशस्त्र पुलिस बटालियनों को देने में आनाकानी की परन्तु भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बाहदुर शास्त्री के हस्तक्षेप से इस समस्या का समाधान हो गया। सीमा सुरक्षा बल को सबल बनाने तथा उचित नेतृत्व देने हेतु अनेक विशिष्ट पुलिस तथा सेना अधिकारियों की सेवायें ली गईं। 1 दिसम्बर, 1965 को श्री रूस्तम जी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय के कानून अर्द्ध सैनिक बल के रूप में सीमा सुरक्षा बल ने अपना कार्य प्रारम्भ किया।

इस बल में सम्मिलित होने, वो राज्यों की बटालियनों का अपना प्रशिक्षण और कंट्रोल का ढंग था। सेना और पुलिस से अधिकारी लिए गए जिनका अपना दृष्टिकोण था। आवश्यकता थी उनमें एक भावना पैदा करना तथा कमाण्ड और कंट्रोल में एकरूपता लाना। प्रारम्भ में ही इसने रक्षा हेतु कार्य करने में लगे होने के कारण गौरवान्वित महसूस किया। यही देश प्रेम की भावना प्रत्येक जवान में थी जिस कारण उन्होंने उनके कठिनाईयों का सामना बड़ी बहादुरी से किया।

प्रारम्भ में इसकी संख्या राज्यों से प्राप्त 25 बटालियनों की थी। ये बटालियनें पंजाब, गुजरात, पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा राज्यों ने सीमा सुरक्षा बल में विलय के लिए दी थी। 1966 में इसके अतिरिक्त और बटालियनें भी खड़ी की गईं। इसके पश्चात् इसकी बटालियनों में भी बढ़ोतरी की गई। इसके बाद में बांग्लादेश से आये गैरकानूनी व्यक्तियों को रोकने, आतंकवाद से निपटने, जम्मू कश्मीर तथा पूर्वी क्षेत्र में विध्वंशकारी गतिविधियों को समाप्त करने हेतु इस बल की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई।

प्रभावी कंट्रोल और नेतृत्व के लिए सीमा को सीमान्तों में बांटा गया। उत्तरी सीमान्त श्रीनगर, पश्चिमी सीमान्त जालन्धर और पूर्वी सीमान्त कलकत्ता में महानिरीक्षक के पद के अधिकारियों के नेतृत्व में स्थापित किए गए। प्रशासनिक सुविधा और प्रभावी कंट्रोल हेतु इन सीमान्तों को आठ सेक्टरों में बांटा गया। प्रत्येक सेक्टर का मुख्य अधिकारी उप महानिरीक्षक पुलिस पद का अधिकारी है। सेक्टरों के अधीन बटालियनें सीमाओं की सुरक्षा

तथा अन्य कार्यों में लगी हुई है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगती अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा का कार्य बीएसएफ द्वारा किया जा रहा है।

बीएसएफ की भूमिका व कार्य –

1 शांति के समय :–

सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देना।

- सीमा पार अपराधों को रोकना, भारत के क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश या बाहर निकलना।
- तस्करी और किसी भी अन्य अवैध गतिविधि को रोकना।

2 युद्ध के समय :–

कम खतरे वाले क्षेत्रों में तब तक टिके रहें जब तक कि मुख्य हमला किसी विशेष क्षेत्र में विकसित न हो और यह महसूस किया जाए कि स्थानीय स्थिति बीएसएफ की क्षमता के भीतर है।

- दुश्मन कमांडोध्पैरा सैनिकों या छापे के खिलाफ महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों विशेष रूप से हवाई क्षेत्रों की सुरक्षा।
- सशस्त्र बलों की समग्र योजना के भीतर अर्धसैनिक या दुश्मन के अनियमित बलों के खिलाफ सीमित आक्रामक कार्रवाई।
- छापेमारी सहित खुफिया जानकारी से जुड़े विशेष कार्य करना।
- जिम्मेदारी के क्षेत्र में मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना जहां मार्ग ज्ञात हैं।
- सेना के नियंत्रण में प्रशासित शत्रु क्षेत्र में कानून–व्यवस्था बनाए रखना।
- युद्ध के पिंजरों में बंदियों की रखवाली।
- शरणार्थियों के नियंत्रण में सहायता।
- निर्दिष्ट क्षेत्र में घुसपैठ विरोधी ड्यूटी।

3 संयुक्त राष्ट्र मिशन में योगदान

बीएसएफ हर साल संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए अपने कर्मियों का योगदान देता है। कारगिल युद्ध 1999 के दौरान, बीएसएफ पहाड़ों की ऊंचाइयों पर बनी रही और सेना के साथ एकजुट होकर अपनी पूरी ताकत से देश की अखंडता की रक्षा की।

4 आंतरिक सुरक्षा में भूमिका

बीएसएफ के जवान पिछले 10 वर्षों से मणिपुर में आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी कर रहे हैं और उन क्षेत्रों में सफलतापूर्वक उग्रवाद से लड़ रहे हैं।

बीएसएफ मशहूर करतारपुर कॉरिडोर पर सुरक्षा मामलों को संभाल रही है। बीएसएफ को पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं पर विभिन्न आईसीपी और एलसीएस पर तैनात किया गया है।

5 कोविड महामारी के दौरान

बीएसएफ ने कोविड महामारी के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को संवेदनशील बनाया है और उन्हें नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम के तहत आवश्यक सहायता प्रदान की है।

6 प्राकृतिक आपदा के समय,

प्राकृतिक आपदा के समय, बीएसएफ तैनाती के क्षेत्रों जैसे 2014 में कश्मीर बाढ़, 2018 में केरल बाढ़ और 2013 में केदारनाथ त्रासदी में सहायता प्रदान करता है। 26 जनवरी 2001 को गुजरात में आए भूकंप के दौरान सबसे पहले बीएसएफ ने संकटग्रस्त लोगों की मदद की।

भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस

भारत–तिब्बत सीमा पुलिस का इतिहास

भारत–तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना 24 अक्टूबर, 1962 को भारत–तिब्बत सीमा पर स्थापित सीमावर्ती खुफिया और सुरक्षा को पुनर्गठित करने के लिए की गई थी। शुरू करने के लिए केवल चार बटालियनों को मंजूरी दी गई थी। ITBP को शुरू में CRPF अधिनियम के तहत खड़ा किया गया था। हालाँकि, 1992 में, संसद ने ITBPF अधिनियम बनाया और उसके तहत नियम 1994 में बनाए गए। समय–समय पर सीमा सुरक्षा, उग्रवाद विरोधी और आंतरिक सुरक्षा भूमिकाओं पर आईटीबीपी को सौंपे गए अतिरिक्त कार्यों के साथ, आईटीबीपी बटालियनों की संख्या में धीरे–धीरे वृद्धि हुई और आईटीबीपी में वर्तमान में 56 सेवा बटालियन, 4 विशेषज्ञ बटालियन, 17 प्रशिक्षण केंद्र और 07 रसद प्रतिष्ठान हैं। लगभग की ताकत 90,000 कर्मचारी।

वर्ष 2004 में, **"एक सीमा एक बल"** पर जीओएम की सिफारिशों के अनुसरण में, भारत–चीन सीमा के 3488 किलोमीटर के पूरे खंड को सीमा सुरक्षा ड्यूटी के लिए आईटीबीपी को सौंपा गया था और तदनुसार, आईटीबीपी ने सिक्किम में असम राइफल्स को बदल दिया था और 2004 में अरुणाचल प्रदेश बल का आदर्श वाक्य **"शौर्य–द्रिधाता–कर्म निष्ठा"** (वीरता – दृढ़ संकल्प – कर्तव्य के प्रति समर्पण) है। ITBP के सभी रैंक वीरता, दृढ़ संकल्प और कर्तव्य के प्रति समर्पण के साथ सीमाओं की रक्षा के लिए समर्पित हैं। .

प्राचीनकाल से ही हिमालय पर्वत भारतीयों की सांस्कृतिक एवं भौगोलिक सीमाओं का रक्षक/प्रहरी का कार्य करता रहा है। इसमें भी सन्देह की कोई गुन्जाइश नहीं है कि सन् 1962 में चीनी आक्रमण से पूर्व भारत की उत्तरी सीमाएं अजेय समझी जाती थीं, परन्तु चीनी आक्रमण ने भारतीय शासकों को यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि भारतीय तिब्बत सीमा सुरक्षित नहीं है। इसकी सुरक्षा करने के लिए एक ऐसे बल के गठन की आवश्यकता है जो प्रतिकूल और असामान्य परिस्थितियों का सामना करने और उत्तरी पूर्वी सीमाओं की सुरक्षा करने में पूरी तरह से दक्ष हो। इसी बात को ध्यान में रखकर सन् 1962 में भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय आर0के0 पुरम, नई दिल्ली में स्थित है। सुरक्षा की दृष्टि से भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस को सैक्टरों और रेंजों में विभाजित किया गया है। इस बल का सर्वोच्च अधिकारी महानिदेशक पद का अधिकारी होता है। प्रत्येक सेक्टर का इंचार्ज महानिरीक्षक तथा रेंज का इंचार्ज उप महानिरीक्षक पद का अधिकारी होता है। इस समय इस बल की लगभग 10 बटालियनें हैं। प्रत्येक बटालियन का इंचार्ज कमाण्डेन्ट होता है जिसके कानून दो सहायक कमाण्डेन्ट, एक एडज्युडेन्ट होता है तथा एक क्वार्टर मास्टर कार्य करता है। एडज्युडेन्ट एवं क्वॉटर मास्टर का पद उप पुलिस अधीक्षक रैंक का होता है। प्रत्येक बटालियन में 7 कम्पनियां होती हैं और प्रत्येक का कम्पनी कमाण्डर होता है। प्रत्येक कम्पनी में तीन प्लाटून होती हैं जिनके इंचार्ज प्लाटून कमाण्डर होते हैं। प्रत्येक प्लाटून में प्लाटून हवलदार होते हैं और प्रत्येक प्लाटून में तीन सैक्शन होते हैं और प्रत्येक सैक्शन में 9 सिपाही होते हैं। यह बल केवल भारतीय सीमाओं की सुरक्षा नहीं करता बल्कि तस्करी करने वालों की निगरानी एवं रोकथाम भी कर सकता है।

भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के कार्य

भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के कार्य अन्य अर्द्ध सैनिक बलों की भांति भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल केवल भारतीय सीमाओं की सुरक्षा ही नहीं करता अपितु आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस पुलिस बल द्वारा प्रायः निम्नलिखित कार्य सम्पन्न किए जाते हैं –

1. भारतीय तिब्बत सीमा की सुरक्षा एवं निगरानी रखना तथा अवैध घुसपैठ की रोकथाम करना है।
2. अवैध व्यापार एवं तस्करी करने वालों की निगरानी एवं रोकथाम करना है।
3. आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखने में केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों की सहायता करना है।
4. प्रजातांत्रिक प्रणाली के अन्तर्गत राजनैतिक चुनावों को शान्तिपूर्ण एवं वैध तरीके से सम्पन्न कराने में सहायता करना।
5. प्राकृतिक विपदाओं जैसे–बाढ़, भूकम्प एवं माहमारी के दौरान जनता की सहायता करना और उनकी जान और माल की सुरक्षा करना।
6. आपातकाल के दौरान कानून एवं शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने में सरकार की सहायता करना।
7. उत्तरी सीमाओं पर चौकसी, सीमा उल्लंघनों का पता लगाना और उनकी रोकथाम करना और स्थानीय लोगों में सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देना।
8. अवैध आव्रजन, सीमा पार तस्करी और अपराधों की जाँच करें।
9. संवेदनशील प्रतिष्ठानों, बैंकों और संरक्षित व्यक्तियों की सुरक्षा।
10. गड़बड़ी की स्थिति में किसी भी क्षेत्र में व्यवस्था को बहाल और संरक्षित करें।

कर्त्तव्य को सर्वोपरि मानकर साहस, ईमानदारी एवं निष्पक्षता से अपना कर्त्तव्य पालन करना ही भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस का प्रमुख ध्येय है।

ITBP की भूमिका

- वर्तमान में ITBP जम्मू–कश्मीर में भारत–चीन सीमा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में जम्मू और कश्मीर में काराकोरम दर्रे से लेकर अरुणाचल प्रदेश में जेचपला तक की रखवाली कर रहा है। आईटीबीपी बीओपी की ऊंचाई 9,000 फीट से 18,750 फीट तक होती है जहां तापमान (–) 45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है।
- ITBP बटालियन पूरे देश में राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान कर रही है, जिसमें राष्ट्रपति भवन, उपाध्यक्ष भवन, रुमटेक मठ (सिक्किम), तिहाड़ जेल (उत्तरी दिल्ली), LBSNAA (UKD) और चंडीगढ़ (पंजाब) में विभिन्न संवेदनशील प्रतिष्ठान शामिल हैं तथा जम्मू (जम्मू और कश्मीर)।
- देश के विभिन्न हिस्सों में बढ़ती माओवादी गतिविधियों को देखते हुए, नक्सल खतरे को विफल करने के लिए दिसंबर 2009 में जिला राजनांदगांव (छ.ग.) में आईटीबीपी को शामिल किया गया था। वर्तमान में, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, नारायणपुर और कोंडागांव जिलों में 8 बटालियन तैनात हैं।
- ITBP ने संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। बल के जवानों को अंगोला, नामीबिया, कंबोडिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, मोजाम्बिक और कोसोवो में शांति अभियानों के लिए तैनात किया गया था। यूएन मिशन में तैनाती के लिए भारतीय पुलिस अधिकारियों को व्यवस्थित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए

आईटीबीपी कैंप, तिगरी और नई दिल्ली में यूएनसीआईपीओएल प्रशिक्षण के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किया गया है।

- ITBP 1981 से वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को सुरक्षा, संचार और चिकित्सा कवर भी प्रदान कर रहा है। ITBP विदेश मंत्रालय और कुमाऊं के समन्वय में गुंजी से लिपुलेख दर्रे और वापस गुंजी तक यात्रियों को संचार, सुरक्षा और चिकित्सा कवर प्रदान करता है। मंडल विकास निगम। 2015 से कैलाश मानसरोवर यात्रा भी नाथुला मार्ग से संचालित की जा रही है और ITBP इस मार्ग में भी तीर्थयात्रियों के लिए समान सहायता प्रदान कर रहा है।
- हिमालय में प्राकृतिक आपदा के लिए पहली प्रतिक्रिया होने के नाते, आईटीबीपी ने 7 क्षेत्रीय प्रतिक्रिया केंद्रों की स्थापना की और सभी आपदा स्थितियों में कई बचाव और राहत कार्यों को अंजाम दिया, जो हमारे जिम्मेदारी के क्षेत्रों के साथ—साथ देश के अन्य हिस्सों में भी हुए। 2013 में एक ऐतिहासिक बचाव और राहत अभियान में, ITBP ने बल द्वारा 15 दिनों के बचाव प्रयास में उत्तराखंड में चार धाम यात्रा मार्गों से 33,009 तीर्थयात्रियों को गंभीर स्थिति से बचाया। 15 हिमवीरों ने 25 जून, 2013 को इस बचाव अभियान के दौरान एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी।
- आईटीबीपी दूरदराज के गांवों में नागरिक आबादी को मुफ्त और विशेषज्ञ चिकित्सा, स्वास्थ्य और स्वच्छता देखभाल प्रदान करने के लिए दूरस्थ सीमा और आतंकवादी/नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में चिकित्सा नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम आयोजित करता है।
- ITBP हिमालयी पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिए आंदोलन में सबसे आगे है। ITBP ने बड़े पैमाने पर हिमालयी क्षेत्रों को विशेष रूप से आंतरिक हिमालय में हरा—भरा करने का कार्य किया है। आगे के क्षेत्रों में एकमात्र मानवीय उपस्थिति होने के कारण, इसने वनस्पतियों और जीवों के नाजुक संतुलन को बनाए रखने का कार्य अपने ऊपर ले लिया है।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल — संगठन एवं कार्य

भारत सरकार के गृह मंत्रालय के कानून केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन 1968 में सशस्त्र बल के रूप में हुआ। इसका उद्देश्य राजकीय औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करना है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

जनवरी, 1964 में रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में लगी भयंकर आग से चालीस लाख रुपये की सम्पत्ति की क्षति हुई। इसके तुरन्त बाद ही रांची, राउरकेला, और जमशेदपुर में दंगे हुए। इन विषम परिस्थितियों की जांच हेतु न्यायमूर्ति श्री बी0 मुखर्जी के नेतृत्व में हुई न्यायिक जांच इस निष्कर्ष पर पहुँची कि यह सब काण्ड अन्तर्ध्वंस द्वारा ही संभव हुआ। उसने सुरक्षा की दयनीय दशा पर भी प्रकाश डालते हुए सरकारी प्रतिष्ठानों में सुव्यस्थित सुरक्षा पर बल दिया। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि समस्त भारत से भर्ती किए हुए व्यक्तियों का एक ''केन्द्रीय सुरक्षा बल'' का गठन किया जाए। यह शस्त्रों से लैस होने के साथ —साथ अग्नि शमन सेवाओं से भी सुसज्जित हो।

इन घटनाओं के पश्चात् केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के गठन पर विचार किया गया। अगस्त, 1966 में संसद के सम्मुख केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के गठन पर एक विधेयक प्रस्तुत किया गया। संसद द्वारा विधेयक पारित करने के पश्चात् 2 दिसम्बर, 1968 को इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रदान की गई। सन् 1969 में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

ने तीन बटालियनों से अपना कार्य आरम्भ किया। इस समय इसकी कुल संख्या लगभग 95,485 पहुँच गई है।

संगठनः– औद्योगिक सुरक्षा बल में एक रिजर्व बटालियन एक ट्रेनिंग कॉलेज, तीन रिक्रूट ट्रेनिंग स्कूल, एक सेन्ट्रल स्टोर और चार जोनल स्टोर हैं। भिलाई में एक ट्रेनिंग सेन्टर भी चलाया जा रहा है। देवली में हाल ही में एक अग्निशमन प्रशिक्षण केन्द्र प्रारम्भ किया गया है। इसकी सेवाओं का उपयोग 160 राजकीय उपक्रमों द्वारा किया जा रहा है लगभग 100 उपक्रमों ने इसकी सेवायें लेने के लिए आवेदन कर रखा है।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल केन्द्रीय सरकार के गृह मंत्रालय के कानून कार्यरत है। जिसका मुख्यालय सी0जी0ओ0 कॉम्पलैक्स नई दिल्ली में स्थित है। इसका प्रमुख निदेशक पद का अधिकारी है। कार्य की दृष्टि से सी0आई0एस0एफ0 को पांच जोनों (पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मध्य) में बांटा गया है। जिनके प्रमुख महानिरीक्षक पुलिस/उप महानिरीक्षक पुलिस रैंक के अधिकारी हैं।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्य– केन्द्रीय औधोगिक सुरक्षा बल के मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य हैं :–

1. महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुनियोजित आक्रमणों, तोड़फोड़ और अन्य प्रकार की क्षतियों से सुरक्षा।
2. प्रतिष्ठानों को चलाने वाले प्रबन्धकों की सुरक्षा के साथ साथ उनकी जानमाल की रक्षा करना।
3. प्रतिष्ठानों की सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम।
4. अपराधों में लगे व्यक्तियों की तलाशी लेना और उन्हें पकड़ना।
5. प्रतिष्ठानों की नगदी और बहुमूल्य माल उदाहरणतः हीरे, जवाहारात, रेडियम और अणु सामग्री के भण्डार और उसको लाते ले जाते समय सुरक्षा प्रदान करना।
6. गाड़ियों, रेल वाहनों, तेल टैंकरों आदि के आने–जाने की व्यवस्था और निरीक्षण करना।
7. प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की दृष्टि से स्थानों की सुरक्षा करना।
8. प्रबन्धकों को तकनीकी मामले जैसे भण्डारों का निरीक्षण, लेखा निरीक्षण, सुरक्षा पद्धति, महत्वपूर्ण वस्तुओं को सुरक्षित रखने आदि मामलों पर व्यावसायिक सलाह देना।
9. आने जाने कार्मिकों और सामान को लाने ले जाने के लिए पहचान पत्रों/अनुमति पत्रों को जारी करना।
10. इलैक्ट्रोनिक साधनों जैसे क्लोज सर्किट, टी0वी0, इन्फ्रारैड तथा चार दीवारी अलार्म आदि के स्थापित करने या उन्हें सुचारू रूप से चालू रखना।
11. प्रतिष्ठानों की सम्पत्ति को नष्ट करने वाले अपराधियों के बारे में सूचनाएं एकत्रित करना।
12. सरकार द्वारा समय–समय पर दिए गए आदेशों के अनुपालन में आपातकालीन स्थितियों में सशस्त्र बल की तरह गैर सैनिक प्राधिकारियों की सहायता करना।
13. 15 जून 1983 से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को भारत संघ का सशस्त्र बल घोषित किया गया। अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 45 अनुच्छेद (1) के तहत इस बल के किसी भी सदस्य का केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना अपने सरकारी कार्य निहित किए गए किसी भी कार्य के लिए पकड़ा नहीं जा सकता।

Railway Protection Force (RPF) -

रेल्वे सुरक्षा बल (RPF) का संगठन

1854 में रेल्वे की सुरक्षा के लिए जिन कर्मचारियों को नियुक्त किया गया उन्हें रेल्वे पुलिस कहा जाता था। सर्वप्रथम बंगाल में अलग रेल्वे पुलिस गठित की गई। 1870 में जी. आर.पी. को रेलगाड़ियों में कानून और व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई। रेल्वे कम्पनियों की निजी पुलिस रेल्वे की सम्पत्ति की रक्षा का कार्य देखती थी। 1902 में पुलिस आयोग ने रेल्वे को अपनी सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु 'वॉच एण्ड वर्क' रखने का अनुमोदन किया। 1907 में सरकारी रेल्वे पुलिस को दो वर्गों में विभाजित किया–

I. अपराध की रोकथाम एवं नियंत्रण

II. रेल्वे क्षेत्र मे कानून व्यवस्था बनाये रखना

1918 तक यह व्यवस्था चलती रही। 1921 से 1945 तक यही प्रथा सभी रेल्वे विभागों में लागू रही। देश की आजादी के बाद 1953 में रेल्वे ने वॉच एण्ड वर्क विभाग का पुनर्गठन किया। 24 मई 1954 से इस दल का नाम रेल्वे सिक्योरिटी फोर्स हो गया तथा इसके लिए बने इसके कर्मचारी न तो यूनियन में भाग ले सकते थे न ही उन पर मजदूर कानून होते थे। 13 जनवरी, 1956 को इसका नाम रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स बना दिया गया।

1957 में आर0पी0एफ0 एक्ट के तहत रेल्वे सम्पत्ति की सुरक्षा एवं बचाव के लिए इस बल को पाबंद किया गया। इस एक्ट के अनुसार इस बल का अधीक्षण केन्द्र सरकार के कानून निहित हुआ। इसका प्रशासन आई0जी0 के कानून रखा गया। प्रत्येक रेल्वे मण्डल में डी0आई0जी0 मुख्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया वह सम्बन्धित रेल्वे के महाप्रबन्धक के कानून कार्यरत था।

इस बल के अंगों में –

1. सशस्त्र सैनिक
2. वर्दीधारी सैनिक
3. सूचनाएं एकत्रित करने वाले
4. अग्निशमन सैनिक

इनका कार्य रेल्वे सम्पत्ति की सुरक्षा और रेल्वे सम्पत्ति को बिना रोक–टोक के लाना व ले जाना।

आर0पी0एफ0 एक्ट की धारा 12,13,14 के तहत उन्हें अपने कार्य के समय अपराधी को पकड़ने, तलाशी व माल बरामदगी के अधिकार प्राप्त हैं। 1955 में रेल्वे स्टोर एक्ट में और रेल्वे सम्पत्ति सम्बन्धी मामलों में अभियोजन का अधिकार भी प्राप्त था। रेल्वे सम्पत्ति एक्ट 1966 के अनुसार आर0पी0एफ0 के कर्मचारियों को उन स्थितियों में अपराधियों को पकड़ने अन्वेषण करने तथा अभियोजन के अधिकार दिए। इससे आर0पी0एफ0 का कर्मचारी, न्यायाधिकारी की आज्ञा के बिना भी अपराध की जांच कर सकता है।

वर्तमान भारतीय रेल्वे अधिनियम की धारा 150 से 153 की कार्यवाही जी0आर0पी0 करेगी व अन्य धाराओं में एफ0आई0आर0 दर्ज करना जांच करना, अपराधियों को गिरफ्तार करना तथा न्यायालय में चालान पेश करने का अधिकार आर0पी0एफ0 को अधिकार दिया गया है।

महानिदेशक एवं बल का मुख्यालय नई दिल्ली में है। बल के निम्न भाग हैं –

1. आसूचना शाखा
2. अभियोजन
3. विवेचन शाखा
4. अग्निशमन

सुरक्षा की दृष्टि से सभी भारतीय रेलों पर सभी क्षेत्र या मण्डल महानिदेशक के कानून कार्य करते हैं इस बल का मुख्य अधिकारी डी0जी0 रेल्वे बोर्ड का पदेन सदस्य भी होता है। कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक एडीजी तथा डी0आई0जी0 है जो

अलग–अलग आर0पी0एफ0 और रेल्वे सुरक्षा बलों का कार्य देखते हैं। 8 बटालियन विशेष सुरक्षा, आवश्यकतानुसार और संकट के समय उपयोग में लाई जाती है। रेल्वे सुरक्षा की दृष्टि से भारतीय रेल्वे को 16 मण्डलों में विभाजित किया गया है। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, उत्तर पूर्व मध्य, दक्षिण मध्य, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम आदि। यद्यपि आर0पी0एफ0 के प्रमुख का कार्यालय रेल्वे बोर्ड में उपस्थित होता है फिर भी प्रत्येक क्षेत्रीय रेल पर रेल्वे सुरक्षा बल के विभाग के मुख्य अधिकारी आई0जी0, ए0डी0जी0 या डी0आई0जी0 होते हैं जो उसी रेल्वे के महाप्रबन्धक के अधीक्षण में कार्य करते हैं। क्षेत्रीय रेल्वे को विभिन्न मण्डलों तथा उप मण्डलों में बांटा गया है। मण्डल का प्रमुख अधिकारी निरीक्षक, उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, मुख्य आरक्षी, नायक तथा आरक्षी आदि कार्यरत होते हैं। 20 सितम्बर, 1985 से रेल्वे सुरक्षा बल को भारत गणराज्य का सशस्त्र बल घोषित किया है।

रेल्वे सुरक्षा बल के उददेश्य

- रेल यात्रियों, यात्री क्षेत्र और रेलवे संपत्ति की सुरक्षा में अपराधियों के खिलाफ एक अथक लड़ाई जारी रखना।
- ट्रेनों, रेलवे परिसरों और यात्री क्षेत्र से सभी असामाजिक तत्वों को हटाकर यात्री–यात्रा और सुरक्षा को सुगम बनाना।
- महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए सतर्क रहें और रेलवे क्षेत्रों में पाए जाने वाले बेसहारा बच्चों के पुनर्वास के लिए उचित कार्रवाई करना।.
- भारतीय रेलवे की दक्षता और छवि को सुधारने में रेलवे के अन्य विभागों के साथ सहयोग करना।
- शासकीय रेलवे पुलिसध्स्थानीय पुलिस और रेल प्रशासन के बीच एक सेतु का कार्य करना ।
- इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सभी आधुनिक तकनीक, सर्वोत्तम मानवाधिकार प्रथाओं, प्रबंधन तकनीकों और महिला और बुजुर्ग यात्रियों और बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष उपायों को सक्रिय रूप से अपनाना।

रेल्वे सुरक्षा बल के कार्य

रेल्वे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 की धारा 11 के अन्तर्गत इनके कर्मचारियों के निम्न कर्त्तव्य हैं :–

- उन तमाम आदेश का तत्काल पालन करना जो उनके उच्च अधिकारियों द्वारा उचित रूप से जारी किये गये हों।
- रेल्वे सम्पत्ति की सुरक्षा एवं बचाव करना
- रेल्वे सम्पत्ति के यातायात में आने वाली रुकावटों को दूर करना।
- कोई ऐसा कार्य करना जो रेल्वे सम्पत्ति की सुरक्षा व बचाव के लिए अधिक उपयोगी हो।

आसूचना ब्यूरो (**आईबी**) –

आईबी अपने इतिहास का पता ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से लगाती है। हालांकि, सटीक वंश बहस का विषय है। 1857 में असफल सिपॉय के विद्रोह ने एक ऐसे खुफिया संगठन की आवश्यकता पैदा की जो संभावित अशांति के संकेतों पर नजर रख सके और भारत के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न शासकों की निगरानी कर सके। आईबी की स्थापना 23 दिसंबर, 1887 को लंदन में भारत के राज्य सचिव द्वारा ''केंद्रीय विशेष शाखा'' के रूप में की गई थी। कुछ लोगों का दावा है कि आईबी की उत्पत्ति का पता 1885 में मेजर जनरल सर

चार्ल्स मेटकाफ मैकग्रेगर द्वारा स्थापित भारत की पहली खुफिया इकाई से लगाया जा सकता है, जो भारतीय सेना के क्वार्टरमास्टर जनरल और खुफिया विभाग के प्रमुख हैं। हालाँकि, यह इकाई बाद में एक अलग सैन्य खुफिया इकाई में बदल गई। फिर भी एक अन्य समूह का दावा है कि आईबी 1835 का है जब ठगी और डकैती विभाग नामक एक पुलिस संगठन की स्थापना की गई थी। सेंट्रल स्पेशल ब्रांच की स्थापना भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थितियों पर समय पर जानकारी एकत्र करने, सामाजिक भावनाओं की निगरानी और सुरक्षा स्थिति की निगरानी के इरादे से की गई थी। प्रत्येक प्रांतीय सरकार के मुख्यालय में पुलिस विभाग की विशेष शाखाएँ भी स्थापित की गईं। केन्द्रीय विशेष शाखा का कार्य प्रांतीय विशेष शाखाओं द्वारा भेजी गई सूचनाओं का विश्लेषण करना था। नियत समय में, राजनीतिक खुफिया जानकारी का संग्रह भी केंद्रीय विशेष शाखा को सौंपा गया था।

1902–1903 के पुलिस आयोग की सिफारिशों पर कार्रवाई करते हुए, केंद्रीय विशेष शाखा का पुनर्गठन किया गया और इसका नाम बदलकर ''केंद्रीय आपराधिक खुफिया विभाग'' कर दिया गया। विभाग आपराधिक गतिविधियों के अलावा आंतरिक सुरक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार था। राष्ट्रीय सुरक्षा गतिविधियाँ नए संगठन का केंद्र बिंदु बन गईं, और 1918 में इसका नाम बदलकर ''केंद्रीय खुफिया विभाग'' (CID) कर दिया गया। बाद में 1920 में इसका नाम बदलकर ''खुफिया ब्यूरो'' (IB) कर दिया गया।

1935 से भारतीय राजनेताओं ने प्रांतीय सरकारों का नेतृत्व किया। तब यह निर्णय लिया गया कि खुफिया संग्रह प्रयासों को मजबूत करने के लिए प्रांतों में आईबी की पहुंच का विस्तार किया जाए। इसके परिणामस्वरूप एक केंद्रीय खुफिया अधिकारी के नेतृत्व में आईबी क्षेत्र इकाइयों का निर्माण हुआ। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद, ये इकाइयां बाद में राज्य आईबी इकाइयों में विकसित हुईं जिन्हें वर्तमान में सहायक खुफिया ब्यूरो (S.I.B.) के रूप में जाना जाता है।

आज काम कर रहे कुछ खुफिया और सुरक्षा संगठन आईबी में अपने मूल का पता लगाते हैं। 1968 तक, आईबी आंतरिक और बाहरी खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए जिम्मेदार था। हालाँकि, 1962 में चीन के खिलाफ युद्ध में अपनी विफलता के बाद, भारत ने 1968 में एक बाहरी खुफिया एजेंसी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) बनाई। भारत के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) से आया था। आईबी का औद्योगिक सुरक्षा फोकस। इसी तरह, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), भारत–तिब्बत सीमा पुलिस और विशेष सेवा ब्यूरो सभी आईबी के सीमा सुरक्षा कर्तव्यों के लिए अपने अस्तित्व का पता लगाते हैं। प्रधान मंत्री सहित वीवीआईपी की सुरक्षा के प्रभारी विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) का जन्म आईबी के वीआईपी सुरक्षा विंग से हुआ था।

इंटेलिजेंस ब्यूरो के कार्य

- ✓ इंटेलिजेंस ब्यूरो, आंतरिक सुरक्षा और खुफिया संगठन के रूप में, खुफिया संग्रह और प्रसार के साथ काम करता है और राज्य और संघीय सरकारों के लिए सुरक्षा सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है।
- ✓ **आतंकवाद विरोधी:** भारत को इस्लामी आतंकवाद के साथ–साथ अलगाववादी और साम्यवादी हिंसा से भी खतरा है। प्रमुख समूहों में लश्कर–ए–तैयबा, जैश–ए–मोहम्मद, हरकत उल–मुजाहिदीन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी), इंडियन मुजाहिदीन और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम शामिल हैं। आईबी भारत के अंदर खुफिया जानकारी एकत्र करता है, जिसमें आतंकवादी संबंधों के संदिग्ध व्यक्तियों, समूहों और संगठनों पर नजर रखना, ज्ञात व्यक्तियों के आंदोलनों

और संचार की निगरानी करना, स्रोतों की खेती करना और एकत्रित जानकारी का विश्लेषण और प्रसार करना शामिल है।

- ✓ राज्य के सहायक खुफिया ब्यूरो आईबी के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, खासकर पूर्वोत्तर में। आईबी विभिन्न एजेंसियों और सरकार की शाखाओं के साथ खुफिया समन्वय और साझा करने के लिए एक बहु–एजेंसी केंद्र का भी नेतृत्व करता है।
- ✓ **प्रति–खुफियाः** आईबी भारत में सक्रिय विदेशी और शत्रुतापूर्ण खुफिया संगठनों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए जिम्मेदार है। भारत के भीतर लगभग सभी प्रति–खुफिया कार्य आईबी द्वारा संचालित किए जाते हैं।
- ✓ **सीमा खुफिया संग्रहः** भारत पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, बर्मा और चीन के साथ झरझरा भूमि सीमा साझा करता है। 1951 हिम्मतसिंहजी समिति की सिफारिश के बाद, आईबी ने सीमावर्ती क्षेत्रों में खुफिया जानकारी एकत्र करने का काम में आईबी सीमा सुरक्षा बलों के साथ मिलकर काम करता है।
- ✓ **वीआईपी सुरक्षाः** आईबी की वीआईपी सुरक्षा इकाई वीआईपी की सुरक्षा के लिए चार्ज की जाती है। यह वीआईपी की वास्तविक सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने के लिए एक खतरे की रूपरेखा और सुरक्षा दिशानिर्देश (''ब्ल्यू बुक'') प्रदान करता है। आईबी ज्ञात खतरों और खुफिया जानकारी को विशेष सुरक्षा समूह, दिल्ली पुलिस और अन्य राज्य पुलिस संगठनों के साथ साझा करता है और सलाह देता है। हैं।
- ✓ आईबी को महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा, विशेष रूप से विमानन का काम सौंपा गया है। इस क्षेत्र में, यह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (एनटीआरओ) इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर के साथ मिलकर काम करता है। आईबी राजनयिकों, न्यायाधीशों और अन्य व्यक्तियों के लिए सुरक्षा मंजूरी के लिए पृष्ठभूमि की जांच भी करता है।
- ✓ भारतीय डाक घर अधिनियम के साथ मिलकर भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम ब्यूरो को संचार के सभी रूपों की निगरानी के लिए व्यापक और व्यापक शक्तियां प्रदान करता है। आईबी कथित तौर पर बिना वारंट के फोन को वायरटैप करता है और माना जाता है कि वह एक दिन में 5,000 पत्र खोल सकता है। यह सरकारी नीतियों के समर्थन में संपादकों को ऑप–एड और पत्र लिखकर जनमत को प्रभावित करने का भी प्रयास करता है।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई)

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि –

द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि के दौरान, युद्ध से संबंधित खरीद में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए 1941 में ब्रिटिश भारत के युद्ध विभाग में एक विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (एसपीई) का गठन किया गया था। बाद में इसे दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (डीएसपीई) अधिनियम, 1946 को लागू करके भारत सरकार की विभिन्न शाखाओं में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए भारत सरकार की एक एजेंसी के रूप में औपचारिक रूप दिया गया। सीबीआई को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 से जांच करने की शक्ति प्राप्त है। 1963 में, भारत सरकार द्वारा सीबीआई की स्थापना भारत की रक्षा से संबंधित गंभीर अपराधों, उच्च स्थानों पर भ्रष्टाचार, गंभीर धोखाधड़ी, धोखाधड़ी और गबन और सामाजिक अपराध, विशेष रूप से जमाखोरी, कालाबाजारी और मुनाफाखोरी से संबंधित गंभीर अपराधों की जांच के लिए की गई थी।

आवश्यक वस्तुएं, जिनका अखिल भारतीय और अंतर्राज्यीय प्रभाव है। विशेष पुलिस स्थापना को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में मिला दिया गया और यह उसका एक प्रभाग बन गया। जुलाई,1964 में (भारत सरकार संकल्प संख्या 24/66/64–ए.वी.डी.–2 दिनांक 29.02. 1964 द्वारा) इसमें एक आर्थिक अपराध सम्बन्ध जोड़कर ब्यूरो को सुदृढ़ किया गया। अगस्त, 1964 में एक खाद्य अपराध स्कन्ध भी खोला गया लेकिन उसे चौथी लोकसभा की आंकलन समिति (1968–69) की सिफारिश पर बन्द कर दिया गया है। समय बीतने के साथ, सीबीआई ने पारंपरिक अपराधों जैसे हत्या, अपहरण, अपहरण, चरमपंथियों द्वारा किए गए अपराधों आदि की जांच शुरू की।

सीबीआई की संरचना

सीबीआई का नेतृत्व एक निदेशक करता है। उन्हें एक विशेष निदेशक या एक अतिरिक्त निदेशक द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, इसमें कई संयुक्त निदेशक, उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक और पुलिस कर्मियों के अन्य सभी सामान्य रैंक हैं।

सीबीआई के निदेशक के रूप में पुलिस महानिरीक्षक, दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान, संगठन के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। सीवीसी अधिनियम, 2003 के अधिनियमन के साथ, दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान का अधीक्षण भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अपराधों की जांच को छोड़कर केंद्र सरकार के पास निहित है, जिसमें अधीक्षण केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास निहित है।

सीबीआई के निदेशक को सीवीसी अधिनियम, 2003 (विनीत नारायण केस) द्वारा कार्यालय में दो साल के कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है। सीवीसी अधिनियम सीबीआई के निदेशक और सीबीआई में एसपी और उससे ऊपर के रैंक के अन्य अधिकारियों के चयन के लिए तंत्र भी प्रदान करता है।

सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसमें अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सतर्कता आयुक्त, भारत सरकार के सचिव, गृह मंत्रालय के प्रभारी और सचिव (कैबिनेट सचिवालय में समन्वय और लोक शिकायत)। सी0बी.आई0 भारत सरकार के कार्मिक विभाग का एक संबद्व कार्यालय है। यह एक निदेशक के अधीन है जो साथ ही डी0एस0पी0ई0 ऐक्ट के अनुसार यथापेक्षित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के महानिरीक्षक के रूप में भी पदनामित है ताकि वह डी0एस0पी0ई0 प्रभाग पर नियंत्रण रख सके।निदेशक के अपने कार्य निर्वहण में सहायता के लिए अपर निदेशक/विशेष महानिरीक्षक, तीन संयुक्त निदेशक/विशेष महा निरीक्षक, कई उप महानिरीक्षक, उपनिदेशक, सहायक निदेशक/सहायक उप महानिरक्षक/ पुलिस अधीक्षक, विधि सलाहकार आदि हैं।

सी0बी0आई0 का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है । दिल्ली और अन्य राज्य मुख्यालयों में 19 क्षेत्रीय कार्यालय है। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास की चार महानगरीय ब्रांच एक–एक अतिरिक्त महानिदेशक/महानिरीक्षक (Joint Director) के रैंक के अधिकारी अधीन हैं और अन्य ब्रांच पुलिस अधीक्षक के अधीन है। आर्थिक अपराधों की जाँच के लिए चार क्षेत्रीय यूनीटें हैं, जो बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास में हैं। उनके अपने अधिकार क्षेत्र है और प्रत्येक पुलिस अधीक्षक के अधीन हैं। इनके अलावा मुख्यालय में 13 केन्द्रिय यूनिटें हैं जिनका अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण भारत है जो घूसखोरी और भ्रष्टाचार के बड़े–बड़े मामलों और खास किस्म के मामलों जैसे कम्पनी जालसाजी, नशीली वस्तुएं और मुद्रा आदि अपराध करने वालों की जाँच करती हैं।

सीबीआई का संगठन

वर्तमान में सीबीआई के निम्नलिखित विभाग हैं:

1. भ्रष्टाचार विरोधी विभाग
2. आर्थिक अपराध प्रभाग

3. विशेष अपराध प्रभाग
4. नीति और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग प्रभाग
5. प्रशासन प्रभाग
6. अभियोजन निदेशालय
7. केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला
8. 'इंटरपोल' प्रभाग

सीबीआई के कार्य

- ✓ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और कदाचार के मामलों की जांच करना
- ✓ राजकोषीय और आर्थिक कानूनों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करना, यानी निर्यात और आयात नियंत्रण, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयकर, विदेशी मुद्रा नियमों आदि से संबंधित कानूनों का उल्लंघन। हालांकि, ऐसे मामलों को या तो संबंधित विभाग के परामर्श से या अनुरोध पर लिया जाता है।
- ✓ पेशेवर अपराधियों के संगठित गिरोहों द्वारा किए गए गंभीर अपराधों की जांच, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव वाले।
- ✓ भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों और विभिन्न राज्य पुलिस बलों की गतिविधियों का समन्वय करना।
- ✓ राज्य सरकार के अनुरोध पर सार्वजनिक महत्व के किसी भी मामले को जांच के लिए उठाना।
- ✓ अपराध के आंकड़ों को बनाए रखना और आपराधिक जानकारी का प्रसार करना।
- ✓ सीबीआई भारत सरकार की एक बहु–विषयक जांच एजेंसी है और भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों, आर्थिक अपराधों और पारंपरिक अपराध के मामलों की जांच करती है।
- ✓ यह आम तौर पर भ्रष्टाचार विरोधी क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों और उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किए गए अपराधों तक सीमित रखता है।
- ✓ यह राज्य सरकारों के संदर्भ में या सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों द्वारा निर्देशित होने पर पारंपरिक अपराधों जैसे हत्या, अपहरण, बलात्कार आदि की जांच करता है।
- ✓ सीबीआई भारत में इंटरपोल के ''राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो'' के रूप में कार्य करती है। सीबीआई का इंटरपोल विंग भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों और इंटरपोल के सदस्य देशों से होने वाली जांच–संबंधी गतिविधियों के अनुरोधों का समन्वय करता है।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का भ्रष्टाचार निवारण प्रभाग निम्नलिखित प्रकार के मामलों में अन्वेषण का कार्य करता है :–

1. ऐसे मामले जिनमें केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन सरकारी कर्मचारी या तो स्वयं अथवा राज्य सरकार के कर्मचारियों और अथवा अन्य व्यक्तियों सहित शामिल हैं।
2. ऐसे मामले जिनमें केन्द्रीय सरकार , सांविधिक निगम अथवा भारत सरकार द्वारा स्थापित और वित्तपोषित निकाय के हित जुड़े हों।
3. ऐसे केन्द्रीय कानूनों जिनसे भारत सरकार विशेष रूप से सम्बन्धित हो को तोड़ने से सम्बन्धित मामले , उदाहरणार्थ –
   (a) आयात एवं निर्यात नियंत्रण आदेशों का उल्लंघन
   (b) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन सम्बन्धी गम्भीर मामले

(c) पासपोर्ट में धोखाधड़ी
(d) केन्द्रीय सरकार के कार्यों से सम्बन्धित सरकारी गोपनीयता अधिनियम के अन्तर्गत मामले
(e) भारत सुरक्षा अधिनियम अथवा नियमों के अन्तर्गत कुछ विशिष्ट प्रकार के ऐसे मामले जिनसे केन्द्रीय सरकार से विशेष रूप से सम्बन्धित हो।
(f) रेल अथवा डाक एवं तार विभाग से सम्बन्धित धोखाधड़ी अथवा ठगी के ऐसे गम्भीर मामले जिनमें विशेषकर अनेक राज्यों में कार्यरत पेशेवर अपराधी शामिल हों।
(g) खुले सागर (हाईसीज) सम्बन्धी अपराध
(h) हवाई कम्पनियों सम्बन्धी अपराध
(i) संघ शासित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण गम्भीर मामले विशेषकर पेशेवर अपराधियों द्वारा किए गए मामले।
(j) पब्लिक ज्वांइन्ट स्टोक कम्पनियों से सम्बन्धित ठगी धोखाधड़ी तथा गबन के गम्भीर मामले
(k) संगठित गिरोहों तथा पेशेवर अपराधियों द्वारा किये गये अन्य गम्भीर प्रकृति के मामले अथवा ऐसे मामले जो संघ शासित क्षेत्रों सहित अनेक राज्यों में हों, अवैध दवाओं के गम्भीर मामले, अपहरण के महत्वपूर्ण मामले (ये मामले केवल सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों के अनुरोध पर/अथवा उनकी सहमति से हाथ में लिए जाएंगे)
(l) सरकारी सेवाओं में तथा सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं और उद्यमों में भ्रष्टाचार के बारे में आसूचना एकत्र करना।
(m) इस प्रभाग द्वारा अन्वेषित मामलों में अभियोजन।
(n) जाँच अधिकारियों के समक्ष ऐसे मामले प्रस्तुत करना जिनमें इस प्रभाग की सिफारिश पर विभागीय कार्यवाही की जाती है।

सीबीआई द्वारा अनुसंधान योग्य मामले

भ्रष्टाचार विरोधी अपराध– भारत सरकार के स्वामित्व वाले या नियंत्रित केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निगमों या निकायों के सार्वजनिक अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामलों की जांच के लिए।

आर्थिक अपराध– प्रमुख वित्तीय घोटालों और गंभीर आर्थिक धोखाधड़ी की जांच के लिए, जिसमें नकली भारतीय मुद्रा नोट, बैंक धोखाधड़ी और साइबर अपराध, बैंक धोखाधड़ी, आयात निर्यात और विदेशी मुद्रा उल्लंघन, नशीले पदार्थों, प्राचीन वस्तुओं, सांस्कृतिक संपत्ति की बड़े पैमाने पर तस्करी से संबंधित अपराध शामिल हैं। और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं आदि की तस्करी।

विशेष अपराध– राज्य सरकारों के अनुरोध पर या उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के आदेश पर भारतीय दंड संहिता और अन्य कानूनों के तहत गंभीर और संगठित अपराध की जांच के लिए – जैसे आतंकवाद, बम विस्फोट, फिरौती के लिए अपहरण और अपराध के मामले माफियाध्अंडरवर्ल्ड द्वारा किया गया।

स्वतः मोटो मामले – सीबीआई केवल केंद्र शासित प्रदेशों में अपराधों की जांच स्वयं कर सकती है।

केंद्र सरकार सीबीआई को किसी राज्य में किसी अपराध की जांच के लिए अधिकृत कर सकती है लेकिन केवल संबंधित राज्य सरकार की सहमति से।

हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय राज्य की सहमति के बिना सीबीआई को देश में कहीं भी किसी अपराध की जाँच करने का आदेश दे सकते हैं।

एस.एस.बी. (सशस्त्र सीमा बल) –

एस.एस.बी. यानि सशस्त्र सीमा बल भी एक केन्द्रीय पुलिस संगठन है। इस बल को उसके कार्य के आधार पर स्पेशल सर्विस ब्यूरो के नाम से भी जाना जाता है। एस.एस.बी का गठन 1962 के भारत–चीन युद्ध के बाद सन् 1963 में किया गया था। सन् 1962 के युद्ध में चीन से धोखा खाने के बाद भारत सरकार द्वारा यह महसूस किया गया कि चीन सीमा पर चीन की सेना से सीधा मुकाबला करना कठिन होगा। अतः स्थानीय लोगों का साथ लेकर एक बल तैयार किया जाये जो गुरिला युद्ध पद्धति द्वारा चीनी सेना का मुकाबला कर सके। इस प्रकार सन् 1963 में एस०एस०बी० के नाम से एक नया केन्द्रीय पुलिस संगठन गठित किया गया। एस०एस०बी० एक अर्द्धसैनिक पुलिस संगठन है। उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। उसके सर्वोच्च अधिकारी महानिदेशक एस०एस०बी० होता है। यह गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधीन काम करता है।

एस०एस०बी० का कार्य क्षेत्र शुरू में चीन, नेफा आदि नोर्थ ईस्ट का क्षेत्र रखा गया था। बाद में धीरे–धीरे उसका कार्य क्षेत्र चढ़ाकर पूरा नोर्थ–ईस्ट, जम्मू–कश्मीर गुजरात एवं राजस्थान तक कर दिया गया।
एस०एस०बी० का मुख्य कार्य सीमा क्षेत्र के लोगों में देशभक्ति की भावना एवं लगाव पैदा करना है एस०एस०बी० के कर्मी लगातार सीमाक्षेत्र के लोगों के सम्पर्क में रहते हैं एवं उन्हें मोटीवेट करना, प्रशिक्षण देना और उनके विकास और कल्याण का कार्य करते हैं। एस०एस०बी० गठन के 40 वर्षों के अरसे में सीमा क्षेत्र के लोगों में, सेवा, सुरक्षा एवं भाईचारे के नाम की पहचान बनाई है। वर्ष 2001 जनवरी में Group of Ministers की सिफारिश पर एस०एस०बी० को इण्डो, नेपाल बोर्डर, "Border Guarding Force और (LIA) "Lead Intelligence Agency घोषित किया गया है, जो 1751 K.M. के Indo-Nepal Border की सुरक्षा का कार्य देखती है।

एस०एस०बी० संगठन का मुख्यालय स्तर जिसे फोर्स हैड क्वाटर के नाम से जाना जाता है। जो नई दिल्ली में है। महानिदेशक S.S.B. आईपीएस अधिकारी होते है, उनकी सहायतार्थ संगठन को फ्रन्ट हैड क्वाटर, सेक्टर हैड क्वाटर में बांटा गया है। तीन (FHQ) हैं जो DIGP रैंक के अधिकारी सुपरवाईज करते हैं। सेक्टरों में कई बटालियन तैनात हैं जो CO द्वारा कमाण्ड की जाती हैं। उपरोक्त सभी पद IPS अधिकारी के हैं। अन्य केन्द्रीय पुलिस संगठन की तरह ही बटालियन स्टाफ का संगठन होता है।

राज्य पुलिस का संगठन

महानिदेशक पुलिस, राजस्थान

महानिदेशक पुलिस, राजस्थान पुलिस विभाग के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं तथा विभाग के विभागाध्यक्ष हैं जिन पर विभाग के वित्तीय एवं प्रशासनिक नियंत्रण तथा राज्य में कानून व्यवस्था बनाये रखने का दायित्व है। इस दायित्व के निर्वहन के लिए पुलिस मुख्यालय स्तर पर कार्य को कई शाखाओं में विभाजित किया हुआ है। इन शाखाओं का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे जिनमें कई वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत हैं।

राज्य में चार महानिदेशक स्तर के अधिकारी जेल, होमगार्ड, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग एवं इन्टेलीजेन्स में भी पदस्थापित हैं।

- **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, महानिरीक्षक पुलिस, उप महानिरीक्षक पुलिस**

1. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, आयोजना, आधुनिकीकरण एवं कल्याण
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, प्रशासन, कानून एवं व्यवस्था
3. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, आसूचना
4. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, सतर्कता
5. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, पुर्नगठन/नियम
6. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, आवासन
7. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, एसडीआरएफ
8. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, कार्मिक
9. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, कम्यूनिटी पुलिसिंग
10. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, एटीएस/एसओजी
11. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, होमगार्ड
12. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, एसीबी
13. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, जेल
14. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भर्ती एवं पदोन्नति
15. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा
16. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, सिविल राईट/एएचटी
17. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, मुख्यालय
18. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, रेल्वे
19. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, प्रशिक्षण
20. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, सशस्त्र बटालियन
21. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस सह निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी
22. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, तकनीक एवं दूरसंचार/स्टेट क्राईम रिकार्ड ब्यूरो
23. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, यातायात
24. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, मानवाधिकार
25. निदेशक, पुलिस विधि विज्ञान प्रयोगशाला
26. पुलिस आयुक्त, जयपुर
27. पुलिस आयुक्त, जोधपुर
28. पुलिस महानिरीक्षक, जयपुर रेंज द्वितीय
29. पुलिस महानिरीक्षक, बीकानेर रेंज
30. पुलिस महानिरीक्षक, जोधपुर रेंज
31. पुलिस महानिरीक्षक, अजेमर रेंज
32. पुलिस महानिरीक्षक, उदयपुर रेंज
33. पुलिस महानिरीक्षक, कोटा रेंज
34. पुलिस महानिरीक्षक, भरतपुर रेंज
35. उप महानिरीक्षक पुलिस, कार्मिक

- **रेंज**

राजस्थान राज्य को 8 रेंजों एवं 2 पुलिस आयुक्तालयों में विभाजित किया गया है जो निम्नलिखित हैं :–

1. जयपुर शहर आयुक्तालय :–

1. जयपुर मुख्यालय
2. जयपुर पश्चिम
3. जयपुर शहर दक्षिण
4. जयपुर पूर्व
5. जयपुर उत्तर
6. जयपुर यातायात
7. अपराध
8. जयपुर मेट्रो

2. **जोधपुर आयुक्तालय** :– 1. जोधपुर मुख्यालय एवं यातायात 2. जोधपुर पूर्व 3. जोधपुर पश्चिम

रेंज हैड क्वाटर्स

1. जयपुर रेंज :–
   1. सीकर 2. झुन्झुनू 3. दौसा 4. अलवर 5. जयपुर ग्रामीण 6. भिवाड़ी
2. बीकानेर रेंज :–
   1. बीकानेर 2. श्रीगंगानगर 3. चुरू 4. हनुमानगढ़
3. जोधपुर रेंज :–
   1. जोधपुर ग्रामीण 2. पाली 3. सिरोही 4. बाड़मेर 5. जालौर 6. जैसलमेर
4. अजमेर रेंज :–
   1. अजमेर 2. भीलवाड़ा 3. नागौर 4. टोंक
5. उदयपुर रेंज :–
   1. उदयपुर 2. बांसवाड़ा 3. डूंगरपुर 4. राजसमन्द 5. चित्तौड़गढ़ 6. प्रतापगढ़
6. कोटा रेंज :–
   1. कोटा शहर 2. कोटा ग्रामीण 3. झालावाड़ 4. बूंदी 5. बारां
7. भरतपुर रेंज :–
   1. भरतपुर 2. सवाईमाधोपुर 3. धौलपुर 4. करौली
8. जी.आर.पी. रेंज (मुख्यालय जयपुर) :–
   1. जी.आर.पी. अजमेर 2. जी.आर.पी. जोधपुर

रेंज कार्यालय का गठन– रेंज में महानिरीक्षक पद का अधिकारी सर्वोच्च होता है। ये कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए उत्तरदायी है। ये जिलों का निरीक्षण करते हैं। गम्भीर घटना घटने पर दुर्घटना स्थल पर पहुँचते हैं और पुलिस अधीक्षक को निर्देश देते हैं। इनके कानून निम्नलिखित अधिकारी और शाखाएं होती हैं:–

1. लीव रिजर्व उप अधीक्षक पुलिस :'– जनता द्वारा प्रस्तुत परिवादों की जाँच करता है तथा कानून और व्यवस्था स्थापित करने में पुलिस की मदद करता है।
2. स्टाफ ऑफिसर :– यह निरीक्षक स्तर का अधिकारी होता है। अपराध शाखा के कार्य का परिवीक्षण करता है। तथा परिवादों का तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार करता है तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही को देखता है।
3. अपराध शाखा :– इसका प्रभारी रीडर होता है जो उपनिरीक्षक के पद का होता है। यह निम्नलिखित कार्यवाही करता है :–
   1. अनुशासनात्मक कार्यवाही 2. विशेष प्रतिवेदन 3. सम्मन वारण्ट
   4. संख्यिकी कार्य 5. विविध कार्य
4. फोर्स शाखा :– इसमें मंत्रालयिक कर्मचारी होते हैं। ये उपनिरीक्षकों का सेवाभिलेख तैयार करते हैं तथा स्थानान्तरण सम्बन्धी आदेश तैयार करते हैं।
5. लेखा शाखा :– इसमें कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, बिल आदि तैयार किये जाते हैं।

6. स्टेनो :– अर्द्धशासकीय पत्रों के उत्तर आदि भिजवाना तथा वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन तैयार करवाना, उनका अभिलेख रखना व अन्य महत्वपूर्ण कार्य करना।
7. कार्यालय सहायक :– यह वरिष्ठ लिपिक को पदोन्नति देकर बनाया जाता है। यह पूरे कार्यालय के कार्य के प्रति जिम्मेदार होता है तथा उनका पर्यवेक्षण करता है।

• जिला स्तर पर पुलिस संगठन :

प्रत्येक जिले की पुलिस का अध्यक्ष पुलिस अधीक्षक होता है जो जिले की पुलिस में अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी है। यह जिले में शान्ति स्थापित करने में जिला कलक्टर की सहायता करता है और कुछ मामलों में जिला कलक्टर के परामर्श एवं सहयोग से काम करता है। पुलिस अधीक्षक का मुख्यालय जिले का मुख्यालय होता है पुलिस अधीक्षक पुलिस सम्बन्धी कार्यों के लिए महानिरीक्षक रेंज के प्रति उत्तरदायी होता है। पुलिस अधीक्षक की सहायता के लिए अधिकारी व कर्मचारी भी होते हैं। संक्षेप में जिला स्तर पर संगठन निम्न प्रकार होता है :–

पुलिस अधीक्षक :– जिले का सर्वोच्च अधिकारी पुलिस अधीक्षक होता है। यह सम्पूर्ण जिले का पुलिस प्रशासन एवं कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होता है। महत्वपूर्ण घटनास्थल पर पहुँचकर निरीक्षण करता है। पुलिस स्टेशनों और पुलिस लाईन का भी निरीक्षण करते हैं।

1. **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) :–** इनका कार्यालय जिला पुलिस मुख्यालय पर होता है। मुख्यालय स्थित लेखा शाखा, सामान्य प्रशासन तथा पुलिस लाईन्स के कार्य को देखना मुख्य कर्त्तव्य है।
2. **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) :–** बड़े शहरों में कानून तथा शान्ति व्यवस्था बनाये रखने का दायित्व इन पर होता है। मध्यम श्रेणी के शहरों में यही कार्य अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (जिला) करते हैं।
3. **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) :–** बड़े जिलों को जब शहर और ग्रामीण भागों में बांटा जाता है तब ग्रामीण क्षेत्र का कार्य देखने का दायित्व इनका होता है।
4. **अपराध शाखा :–** इस शाखा का कार्य चार अपराध सहायक के जिम्मे होता है। ये पुलिस निरीक्षक के पद के होते हैं। इसमें उप निरीक्षक पद का रीडर होता है। यह अपराध शाखा के कार्य की रिपोर्ट तैयार करता है। इनके कार्य निम्न प्रकार हैं :–
   i. अनुशासनात्मक कार्यवाही
   ii. मुकदमों के विशिष्ट प्रतिवेदन
   iii. सम्मन वारण्ट
   iv. पुलिस स्टेशनों से प्राप्त माल को पुलिस विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भिजवाना
   v. अपराध सारणियां बनाना
   vi. निरीक्षण की अनुपालना करना
   vii. मेलों, हथियारों, जुलूसों आदि के लाईसेन्स बनाना
   viii. हरिजनों व दलित वर्गों के प्रति अत्याचार सम्बन्धी अपराधों की जानकारी प्राप्त करना।
   ix. अन्य विविध कार्य करना
5. **एम0ओ0बी0 (कार्य प्रणाली शाखा) :–** इस शाखा के प्रभारी उप निरीक्षक होते हैं। इसमें अपराधियों से सम्बन्धित कार्यप्रणाली का अभिलेख रखा जाता है। पुलिस स्टेशनों से आईपीसी के अध्याय 12 व 17 से सम्बन्धित अपराध पंजीयन होने पर एफआईआर, आरपीएम फार्म 10,13,13ए,11 एवं सर्च स्लिप एमओबी को प्रेषित की

जाती है। इसमें हिस्ट्रीशीटरों तथा उद्घोषित अपराधों का अभिलेख भी रखा जाता है। इस शाखा द्वारा पुलिस स्टेशनों को एमओबी टाईप के मामलों में अपराधियों को पकड़ने के सम्बन्ध में सुझाव भिजवाये जाते हैं।

6. **जिला विशेष शाखा :–** इस शाखा का प्रभारी पुलिस निरीक्षक होता है। इसके द्वारा सम्पूर्ण जिले की समस्त गोपनीय सूचनायें एकत्र की जाती हैं और पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत की जाती हैं। इस शाखा के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं :–
   i. साम्प्रदायिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करना।
   ii. असामाजिक तत्वों व तनाव उत्पन्न करने वाले तत्वों की निगरानी रखना।
   iii. राजनैतिक दलों के नेताओं की गतिविधियों की जानकारी रखना।
   iv. श्रमिक नेताओं की गतिविधियों पर नजर रखना, उनके भाषणों (भड़काने वाले) की रिपोर्ट तैयार करना।
   v. आम सभाओं में, सभा कक्षों में आयोजित सभाओं के वक्ताओं के भाषणों का अभिलेख रखना। जुलूसों, उत्सवों व मेलों आदि की सूचना एकत्र करना।
   vi. औद्योगिक प्रतिष्ठानों व उपक्रमों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र करना।
   vii. विशिष्ट व अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा करना।
   viii. पासपोर्ट सम्बन्धी पत्रों की जाँच करना।
7. **बल शाखा (Force Branch) :–** इसमें पूरा स्टाफ मंत्रालयिक कर्मचारियों का होता है। एक वरिष्ठ लिपिक इस शाखा का प्रभारी होता है इसके कानून कई कनिष्ठ लिपिक होते हैं। जिले के समस्त पुलिसकर्मियों की सेवा पंजीकायें तैयार की जाती हैं व उसका अभिलेख रखा जाता है।
8. **लेखा शाखा :–** इसमें पूरा स्टाफ मंत्रालयिक कर्मचारियों का होता है। लेखाकार इस शाखा का प्रभारी होता है। जिले के समस्त पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन, भत्ते आदि के बिल बनाना, पारित करवाना, भुगतान करना तथा लेखा सम्बन्धी अन्य कार्य करना है।
9. **स्टेनो :–** यह अधीक्षक महोदय के गोपनीय कार्य को देखता है, अर्द्धशासकीय पत्रों के उत्तर भिजवाता है, पत्र तैयार करता है। जिला पुलिस अधीक्षक के ग्रुप कोष के आय–व्यय का लेखा जोखा भी रखता है।
10. **कार्यालय अधीक्षक :–** मुख्य कार्य सम्पूर्ण कार्यालय का पर्यवेक्षण करना है।

पुलिस लाईन का संगठन –

पुलिस लाईन में सिविल पुलिस तथा सशस्त्र पुलिस (Armed Police) के कर्मचारी होते हैं। जब कभी भी जिले के किसी पुलिस स्टेशन या चौकी पर स्थान रिक्त होता है या किसी का स्थानान्तरण करना होता है तो पुलिस लाईन से ही ये पद भरे जाते हैं। सशस्त्र पुलिस का प्रमुख कार्य गार्ड ड्यूटी, गश्त ड्यूटी तथा शांति व्यवस्था बनाये रखने का होता है। पुलिस लाईन्स के कार्य को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए वहाँ निम्नलिखित विभाग होते हैं –

1. रिजर्व निरीक्षक का कार्यालय – रिजर्व निरीक्षक पुलिस लाईन्स का प्रभारी अधिकारी होता है। इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं

1 अनुशासन बनाये रखना।

2 कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करना तथा अन्य प्रकार के अवकाशों को अग्रेषित करना।

3. अर्दली कक्ष में कर्मचारियों को पेश करना।

4. परेड में उपस्थित होना।

5. साप्ताहिक गार्ड का निरीक्षण करना।
6. गार्ड ड्यूटी भिजवाना।
7. पुलिस लाईन्स की शाखाओं का पर्यवेक्षण करना।
8. सेरेमोनियल परेड का आयोजन करना।
9 कर्मचारियों को समय–समय पर विभिन्न ड्यूटियों पर भिजवाना।

रिजर्व उपनिरीक्षक – रिजर्व निरीक्षक के कार्यों में सहायक होता है। शस्त्रागाररू– इसमें समस्त शस्त्र सुरक्षित रूप से रखे जाते हैं। इन समस्त शस्त्रों की प्रविष्टि शस्त्र रजिस्टर में की हुई होती है। इनकी देख–रेख का कार्य उपनिरीक्षक या हैड कॉन्सटेबल करता है।

लेखा शाखा – इसका प्रभारी लेखाधिकारी होता है। यह पुलिस लाईन्स के कर्मचारियों के वेतन भत्तों आदि के बिल तैयार करवाता है, समस्त प्रकार के लेखा सम्बन्धी कार्य करता है राशि का वितरण करता है तथा रोकड़ बही लिखता है।

क्वार्टर गार्ड – पुलिस लाईन्स में 24 घंटे क्वार्टर गार्ड पर सन्तरी तैनात रहता है। उच्च अधिकारियों के आगमन पर गार्ड द्वारा सलामी दी जाती है।

स्टोर – इसका प्रभारी हैड कॉन्सटेबल होता है। यह स्टोर में उपलब्ध सामान का रजिस्टर के अनुसार उचित रखरखाव करता है। कर्मचारियों को आवश्यक सामान प्रदत्त करता है।

वाहन शाखा – इसका प्रभारी एम.टी.ओ. होता है, यहाँ की समस्त गाड़ियों की देख रेख इस शाखा के द्वारा होती है जिले के समस्त वाहनों की मरम्मत का कार्य भी इसी शाखा द्वारा किया जाता है।

शस्त्रों का वर्कशाप – पुलिस लाईन तथा जिले की पुलिस के समस्त शस्त्रों की मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य इसी शाखा में होता है

मैस – पुलिस लाईन्स के समस्त कर्मचारियों की भोजन की व्यवस्था करने का दायित्व इसी शाखा का है

कैन्टीन – इसमें समस्त कर्मचारियों की सुविधा के लिए चाय पानी तथा अल्पाहार के लिए व्यवस्था होती है। दैनन्दिन कार्यों में उपयोग में आने वाली वस्तुएँ भी उचित मूल्य पर इस शाखा द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है।

बैण्ड – पुलिस लाईन्स का स्वयं का एक बैण्ड होता है इसका उपयोग सेरेमोनियल परेड आदि अवसरों पर किया जाता है पुलिस अधीक्षक की अनुमति लेकर इसे निमयानुसार निजी व सार्वजनिक समारोहों में भी जा सकता है ।

अश्व शाला – घोड़ों के रखरखाव का कार्य इस शाखा का होता है इन घोड़ों का उपयोग नीड़ पर नियंत्रण करने हेतु तथा गश्त कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों की सुविधा के लिए नाई की दुकान, धोबी की दुकान, मोची, दर्जी, खाती व सफाई कर्मचारी व लांगरी, जलधारी इत्यादि भी होते हैं।

- **वृत स्तर –**

जिले के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसे कई सर्किल में बांटा जाता है प्रत्येक सर्किल में पुलिस स्टेशनों की निश्चित संख्या होती है। सर्किल का कार्य देखने के लिए सर्किल एकजुड़ेंट होता है। यह पयवेक्षण करने तथा निर्देश देने का कार्य करता है यह पुलिस उप अधीक्षक के रैंक का होता है।

कार्य :–

1. अपने सर्किल में शान्ति तथा कानून व्यवस्था बनाये रखना तथा जनता के जान माल की रक्षा करना।
2. पुलिस स्टेशनों के प्रभारी अधिकारियों को नवीनतम आदेशों को संसूचित करना तथा उनकी पालना करवाना
3. अपराधों पर नियंत्रण करवाना।

4. पुलिस स्टेशनों से प्राप्त प्रथम सूचना प्रतिवेदन, केस डायरी को डाईजेस्ट रजिस्टर में प्रविष्ट करना।
5. अनुसंधान कार्य में दिशा निर्देश देना, गम्भीर अपराध के मामलों में घटनास्थल पर पहुँचना तथा अनुसंधान करना।
6. हरिजनों के प्रति अत्याचार के मामलों में विशेष अनुसंधान करना।
7. पुलिस स्टेशनों का निरीक्षण करना, निरीक्षण प्रतिवेदन भिजवाना व उसकी अनुपालना करवाना।

पुलिस स्टेशनों से आने वाली डाक का नियमन करना, निर्देश देना सम्बन्धित पत्र व्यवहार व उसके रिकार्ड का रखरखाव करवाना।

- **पुलिस स्टेशन –**

1. प्रभारी अधिकारीः– पुलिस स्टेशन पर एस.एच.ओ. मुख्य अधिकारी होता है, यह क्षेत्र में शान्ति बनाये रखने का एवं जनता के जानमाल की सुरक्षा के प्रति पूर्णतः उत्तरदायी होता है। यह प्रभारी अधिकारी मुख्य अनुसंधान अधिकारी भी होता है इसके प्रमुख कार्य अनुशासन बनाये रखना तथा मातहतों को निर्देश देना है बड़े पुलिस स्टेशनों पर प्रभारी अधिकारी निरीक्षक स्तर का तथा छोटे पुलिस स्टेशन पर प्रभारी अधिकारी उप निरीक्षक स्तर का होता है।
2. सहायक उप निरीक्षकः– पुलिस स्टेशन पर प्रभारी अधिकारी की सहायता के लिए सहायक उप निरीक्षक नियुक्त होता है, यह अनुसंधान का कार्य भी करता है।
3. हैड कांस्टेबलः– इनके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं –
    1. पुलिस स्टेशन में रखे जाने वाले रजिस्टरों व पत्रावलियों को सुचारू रूप से रखना, उनमें आवश्यक प्रविष्टियां करना, रोजनामचा आदि लिखना।
    2. कानि0 की ड्यूटी निर्धारित करना।
    3. पुलिस स्टेशन के माल खाने के कार्य को करना। माल का निस्तारण व सुरक्षा करना।
    4. कांस्टेबलः– सम्मन, वारण्ट की तामील, गश्त, बदमाशों व दुश्चरित्र व्यक्तियों की निगरानी व संतरी के कर्त्तव्य का निष्पादन

सी0आई0डी0(सी0बी0) –

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस

महानिरीक्षक पुलिस

उप महानिरीक्षक पुलिस

पुलिस अधीक्षक(प्रथम) **पुलिस अधीक्षक (द्वितीय)** **पुलिस अधीक्षक (तृतीय)**

इनके प्रभारी अतिरिक्त महानिदेशक होते हैं। इसमें पूरे प्रदेश में कहीं पर भी पंजीबद्ध अपराध का अनुसंधान किया जा सकता है। मुख्यालय के अलावा रेंज मुख्यालयों पर शाखाओं के रूप से संगठित किया हुआ है।

ये रेंज शाखायें निम्नलिखित हैं :–

1. जयपुर 2. भरतपुर 3. कोटा 4. अजमेर 5. जोधपुर 6. उदयपुर 7. बीकानेर

रेंज शाखा के प्रभारी अति0 पुलिस अधीक्षक होते हैं। इनके अधीन सहायता हेतु उप अधीक्षक, निरीक्षक व अन्य स्टाफ होता है। रेंज सेल का कार्य महानिरीक्षक पुलिस रेंज देखते हैं तथा शेष समस्त प्रशासनिक कार्य अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (अपराध) द्वारा किया जाता है।

प्रमुख कार्य :–

i. अनुसंधान करना।

ii. जनता द्वारा परिवाद प्राप्त होने पर उसकी जाँच करना एवं जाँच प्रतिवेदन भिजवाना।

iii. पूरे प्रदेश में कहीं भी किसी अपराध के घटित होने पर सूचना प्राप्त होने पर वहां पर कार्यवाही की जा सकती है तथा अपराधी को गिरफ्तार किया जा सकता है।

सी.आई.डी.(एस.एस.बी.) –

Addl. D.G.P. (Int.)

I.G.P. (Int.) **I.G.P. (Operation)** **I.G.P. (Security)**

Dy.I.G.P.(Int.) Dy. I.G.P.(Operation) Dy.I.G.P. (Security) S.P.

(Security)

1. SP (Int.) Jaipur.

2. SP (SB.) Jodhpur.

3. SP (SB.) Jaipur.

4. SP Zone Kota.

इन्टेलीजेन्स ब्रांच की कार्यक्षमता व कुशलता को बढ़ाने के लिए राजस्थान राज्य को विभिन्न जोन में विभक्त किया गया है :–

1.कोटा 2.जोधपुर 3.श्रीगंगानगर 4.बीकानेर 5.अजमेर 6. उदयपुर 7.भरतपुर

8. जयपुर शहर 9. जयपुर ग्रामीण

कार्य:–

राजनैतिक असन्तोष, छात्र असंतोष, श्रमिक असंतोष व सुरक्षा के संबंध में जनहित के मामलों में आवश्यक सूचनाओं को एकत्रित करना, संकलित करना, राजनैतिक दलों धार्मिक संगठनों के सबंध में सूचनाओं को एकत्रित करना,उनका प्रतिवेदन तैयार करना तथा अपने उच्च अधिकारियों की मार्फत राज्य सरकार को स्थिति से अवगत करना ।

1. दूसरे राज्यों की राज्य विशेष शाखा को प्रमुख घटनाओं की जो उनसे संबंधित हो,जानकारी देना।
2. रेंज के महानिरीक्षक,पुलिस अधीक्षक आदि को उनसे संबंधित सूचनाये भिजवाना ।
3. सामयिकी तैयार करना।
4. राजनैतिक आन्दोलनों एव उनकी गतिविधियिों तथा प्रगति का प्रतिवेदन तैयार करना व अभिलेख रखना।
5. राजनैतिक मामलों से संबंधित घटित अपराधों के मामलों में सिविल पुलिस को सहायता उपलब्ध करवाना
6. राजनैतिक व विध्वंसकारी गतिविधियों का रिकार्ड रखना ।
7. स्वयंसेवी संस्थाओं की गतिविधियों एवं प्रगति का रिकार्ड रखना ।
8. युवा संगठनों की गतिविधियों एवं प्रगति का रिकार्ड रखना।
9. छात्र संगठनों की गतिविधियों एवं प्रगति का रिकार्ड रखना ।
10. धार्मिक संगठनों की गतिविधियों एवं प्रगति का रिकार्ड रखना।
11. साम्प्रदायिक गतिविधियों ,दंगों, झगड़ों आदि का रिकार्ड रखना।
12. श्रमिक संगठनों की गतिविधियों एवं प्रगति का रिकार्ड रखना।
13. सुरक्षा योजनायें तैयार करना जैसे– औद्योगिक सुरक्षा, विभागीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, वी.आई.पी.सुरक्षा आदि ।
14. राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों का रिकार्ड रखना।
15. विदेशी जो देश में भ्रमण,पर्यटन आदि के लिए आये हों उनके द्वारा की जाने वाली राष्ट्र विरोधी–गतिविधियों पर नजर रखना।
16. राजनैतिक मामलों से संबंधित गोपनीय जाँच करना।
17. राजनीति में संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों का रिकार्ड रखना।
18. पार्टी गतिविधियों से संबंधित पत्रादि का रखरखाव करना।
19. सरकारी कर्मचारियों की वफादारी में संदेह होने पर निगरानी रखना।
20. समाचार पत्रों की कटिंग रखना।

सूचनायें एकत्रित करने का तरीका

1. **सार्वजनिक सभायें** :– किसी राजनैतिक दल द्वारा जब सार्वजनिक सभा की जाती है तो उस सभा की दिनांक समय,स्थान,अध्यक्ष कौन था,श्रोताओं की संख्या,वक्ताओं के नाम,भाषण का प्रभाव आदि के बारे में रिपोर्ट तैयार की जाती है उस दल के उद्देश्य,तैयारी योजना आदि का पता भी लगया जाता है । वक्ताओं के भाषण यदि राष्ट्रद्रोही हो तो उस पर गवाहों के हस्ताक्षर भी लिये जाते हैं ।

2. **समाचार पत्र तथा पेम्पलैट** :– प्रायः सभी राजनैतिक दल अपने कार्यक्रमों की जानकारी जनता तक पहुँचाने के लिए पम्पलेट आदि छपवाते हैं तथा समाचार पत्रों में विज्ञापन भी देते हैं इनसे उस दल की नीतियाँ आदि भी उजागर होती है ।

3. **एजेन्ट या अन्य स्रोत** :– जनता में ऐसे एजेन्ट पुलिस द्वारा नियुक्त होते हैं ये अनुभवी होना चाहिए इनकी विश्वसनीयता जगजाहिर नहीं होनी चाहिए, इनसे प्राप्त सूचना की सत्यता का भी पता लगाना चाहिए। ये एजेन्ट तीन प्रकार के होते हैं :–

   1. स्थायी 2. अस्थायी 3. आकस्मिक

4. **निगरानी** :–दुश्चरित्र व्यक्ति,राजनैतिक आन्दोलन करने वाले,जासूस विदेशी,विध्वंसकारी व्यक्ति आदि की निगरानी करनी चाहिए । निम्नलिखित बातों का पता लगाना चाहिए–

   i. किस संस्था का सदस्य है।
   ii. वारदात में किन तरीकों को काम में लेता है।
   iii. छिपने के उपाय।
   iv. बचने के उपाय।
   v. गतिविधियों व कार्यक्रम।
   vi. आदतें
   vii. उठ बैठ
   viii. मेल मिलाप
   ix. रीति रिवाज
   x. लगाव
   xi. विचार धारा आदि।

5. **पूछताछ** :– सी0आई0डी0 (आई0बी0) के महानिरीक्षक पुलिस महोदय द्वारा एक दल का गठन किया जाता है यह दल पूछताछ के लिए विशेष स्टाफ लगाया जाता है। राजनैतिक षड्यंत्र की बू आने पर इन्टेलीजन्स ब्यूरो की सहायता प्राप्त की जाती है।

राजस्थन सशस्त्र दल (आर.ए.सी./एम.बी.सी.)

- अति. महानिदेशक पुलिस

महानिरीक्षक पुलिस (प्रथम) महानिरीक्षक पुलिस (द्वितीय)

नोट – आर.ए.सी में कुल 12 बटालियन हैं। प्रत्येक बटालियन का प्रमुख कमांडेन्ट कहलाता है। आर.ए.सी. की सभी बटालियनों का मुख्यालय निम्नानुसार हैं :–

Ist	जोधपुर
IInd	कोटा
IIIrd	बीकानेर
IVth	जयपुर (चैनपुरा)
Vth	जयपुर (घाटगेट)
VIth	धौलपुर
VIIth	भरतपुर
VIIIth	दिल्ली
IXth	टोंक
Xth	बीकानेर
XIth	दिल्ली
XIIth	दिल्ली
XIIIrd	जयपुर
M.B.C	खैरवाडा

इसका गठन भारत पाक अन्तराष्ट्रीय सीमा पर निगरानी हेतु तथा सीमा सुरक्षा के लिए किया गया था। बाद में राजस्थान के सीमावर्ती प्रान्त उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश से लगे क्षेत्रों में डाकू उन्मूलन कार्य तथा कानून– व्यवस्था बनाये रखने में तैनात किया जाने लगा। 1965 व 1971 में भारत पाक युद्ध में शौर्य व वीरता का उदाहरण प्रस्तुत किया है।

बटालियन का संरक्षक कमाण्डेन्ट होता है और उसके सहायक अधिकारी निम्नानुसार हैं।

(अ) क्वार्टर मास्टर (उप अधीक्षक) एक
(आ) कम्पनी कमाण्डर (निरीक्षक) 6 या 7
(इ) प्लाटून कमाण्डर (उप निरीक्षक) 18–21
(ई) सूबेदार एडजुटेन्ट (उप निरीक्षक) एक
(उ) सूबेदार एम.टी.ओ. (उप निरीक्षक) एक
(ऊ) सूबेदार क्वार्टर मास्टर (उप निरीक्षक) एक
(ए) मुख्य आरक्षक 139 या 161
(ऐ) आरक्षक 656 या 867

उपरोक्त बटालियन से 4 बटालियन देश की सुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से देश के किसी भी भाग में तैनात की जा सकती हैं।

बटालियन का संगठन :– प्रत्येक बटालियन के प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिये एक पुलिस अधीक्षक या अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बतौर कमाण्डेन्ट आदेशक तैनात किया जाता है। आदेशों की पालना सहायता के लिये पुलिस उप अधीक्षकों, कम्पनी कमाण्डरों, प्लाटून कमाण्डरों, हैड कानि. तथा सिपाहियों के अलावा पर्याप्त संख्या में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। प्रत्येक बटालियन में सात कम्पनियां होती हैं।

एक कम्पनी मुख्यालय पर मौजूद रहती है जबकि अन्य कम्पनियां राज्य में कानून व्यवस्था कायम रखने में अपना कर्त्तव्य पालन करती है।

जिला पुलिस कार्यालय व लाइन की भांति कमाण्डेन्ट के कार्यालय में भी अंग्रेजी शाखा, सेना शाखा, लेखा शाखा, स्टेनों, क्वाटर मास्टर शाखा, फुटकर भण्डार व वस्त्र भण्डार, परिवहन शाखा, कोत तथा लाइन कार्यालय की स्थापना की गई है ताकि किसी कार्य में कोई कठिनाई उत्पन्न ना हो।

राजकीय रेल्वे पुलिस (जी.आर.पी.) –

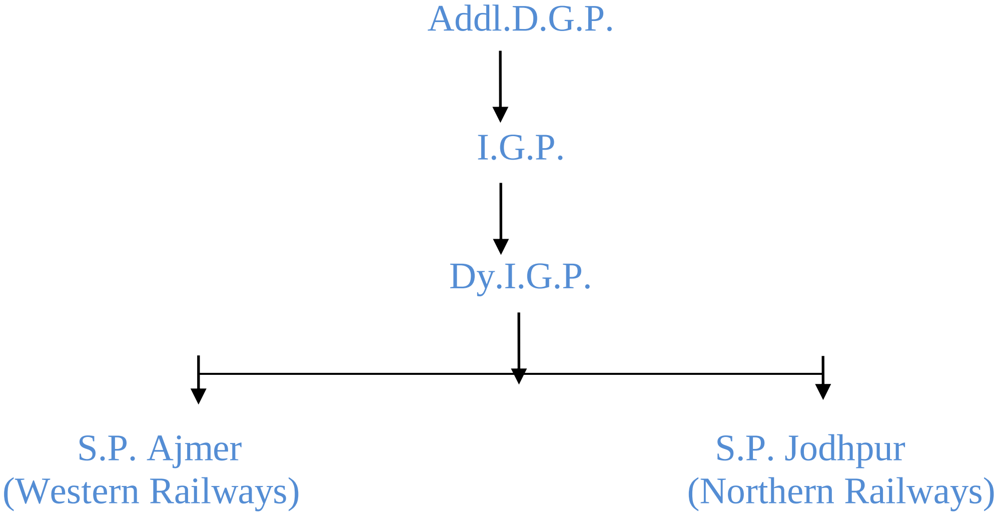

जी.आर.पी में भी सर्किल, पुलिस स्टेशन व चौकियां होती हैं। इनका सी.पी. की तरह ही कार्य होता है।

कार्य – 1. अपराध अनुसंधान सम्बन्धी कार्य 2. शांति व्यवस्था सम्बन्धी कार्य।

शांति व्यवस्था के कार्य :–

1. स्टेशन की सीमा के भीतर यात्रियों के आवागमन की व्यवस्था विशेषतया प्लेटफार्मो पर, टिकट घरों पर, प्रतीक्षालयों में, आने जाने वाले फाटकों पर तथा अन्य आवश्यकताओं पर जिसकी रेल्वे अधिकारियों ने मांग की हो।
2. स्टेशन पर आवागमन के साधनों पर नियंत्रण रखना।
3. गाड़ी ठहरने पर आवागमन के साधनों पर नियंत्रण रखना ।
4. स्टेशन पर यात्रियों की जान, माल की सुरक्षा करना।
5. समाज कंटकों की निगरानी व प्रभावी कार्यवाही करना।
6. जिनको संक्रामक रोग हो उनको पृथक करना।
7. भिक्षुओं को स्टेशन की सीमा से बाहर करना।

आतंकवाद निरोधक दस्ता (ATS) –

देश में आतंकवादी घटनाओं से निपटने तथा उन पर प्रभावी नियंत्रण रखने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस में आतंकवाद निरोधक दस्ता (Anti terrorist Squad) पूर्णकालिक संस्था का गठन किया गया है। प्रारम्भ में दिनांक 04.09.2008 को सी.आई.डी.(सी.बी.) के

अधीन आतंकवाद निरोधक दस्ता का गठन किया गया था परन्तु अब एक अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस के अधीन यह दस्ता स्वतंत्र तौर पर कार्य कर रहा है।

आतंकवाद एवं राष्ट्र विरोधी सूचनाओं का संकलन करने एवं जिला पुलिस एवं पुलिस की अन्य इकाईयों से समन्वय स्थापित कर आतंकवादी व राष्ट्रविरोधी तत्वों के विरुद्ध प्रभावी कारवाई करना इसका मुख्य उद्देश्य है।

आतंकवादी घटना होने पर तत्काल राहत एवं प्रतिरोधात्मक कारवाई करने के लिए राजस्थान आर्म्ड पुलिस (आर०ए०सी०) की 9 Emergency Response Team (ERT) टीम (त्वरित कारवाई दल) ए०टी०एस० के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। जिन्हें संभावित हमले के मध्यनजर विशेष इमारतों एवं सरकारी कार्यालयों का परिचयकरण कराया जा रहा है तथा नियमित रूप से अभ्यास/कवायद कराई जा रही है।

उदयपुर, कोटा, अजमेर व जोधपुर में ए०टी०एस० यूनिट्स स्थापित है जो आतंकवाद विरोधी कार्य सुचारू रूप से कर रही है जिसे हाल ही वित्तीय स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है। जोधपुर में ए0टी0एस0 चौकी पूर्व से ही कार्य कर रही है। ए०टी०एस० नवम्बर 2009 से स्वतंत्र पूर्णकालिक संगठन के रूप में कार्य कर रहा है।

ए.टी.एस. का प्रशासनिक ढ़ांचा –
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्तर के अधिकारी को ए०टी०एस० का प्रभार सौंपा गया है। इनके अधीन महानिरीक्षक पुलिस उप महानिरीक्षक तथा पुलिस अधीक्षक का पद भी सृजित किया गया है। पुलिस अधीक्षक स्तर से कानि0 तक कुल 274 पद पुलिस कर्मियों के स्वीकृ त हैं।

विशेष – जयपुर सीरीयल बम ब्लास्ट एवं अजमेर बम ब्लास्ट का अनुसंधान किया गया। प्रतिबंधित संगठनों एवं संभावित आतंकवादी संरक्षकों के बारे में सूचनाओं का संकलन/डोजियर तैयार किये जाते हैं। ताकि आतंकवादी घटनाओं पर प्रतिरोधात्मक कारवाई की जा सके।

स्पेशल ओपरेशन ग्रुप (एस०ओ०जी०) –

गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा देश आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने, जाली, ड्रग्स हथियार, तस्करी, आर्थिक अपराध व अन्य संगठित अपराध से निपटने के उद्देश्य से देश के समस्त राज्यों में सी.आई.डी. (सी.बी.) के अधीन स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप प्रस्ताव किया गया।

महानिदेशक पुलिस राजस्थान के आदेश क्र० 194 दिनांक 27.01.2003 के द्वारा एस०ओ०जी० (स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप) का गठन सी०आई०डी० (सी०बी०) के अधीन किया गया था परन्तु अब यह अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस ए.टी.एस के अधीन कार्यरत है। एस०ओ०जी० कार्यालय घाटगेट, जयपुर स्थित है।

एस०ओ०जी० का प्रभार अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस को सौंपा गया है जिन्हें ए०टी०एस० का प्रभार भी सम्मिलित रूप से दिया गया है। महानिरीक्षक पुलिस एस०ओ०जी० एवं उप

महानिरीक्षक पुलिस तथा पुलिस अधीक्षक ए०ओ०जी० का पद भी सृजित किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर से कानि० तक 134 पुलिसकर्मियों के पद स्वीकृत हैं।

ए०ओ०जी० की चौकियाँ नई दिल्ली, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर एवं कोटा में कार्यरत हैं। ए०ओ०जी० मुख्य रूप से निम्नलिखित अपराधों पर अपनी गतिविधियों केन्द्रित करती हैं।

1. जाली नोट
2. नारकोटिक्स
3. विस्फोटक
4. भू माफिया
5. हथियार तस्करी
6. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन
7. आई0टी0 एक्ट के विषय
8. बड़े पैमाने पर आर्थिक अपराध
9. अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर किए अपराध
10. अपहरण

उक्त के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण विषय भी शामिल हैं जो जन–सुरक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा सम्बन्धित हैं।

नवम्बर 2009 से ए०ओ०जी० सी०आई०डी० (सी०बी०) के नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य कर रही है। जिसका प्रभार ADGP ATS & SOG के पास है।

स्टेट क्राइम रिकार्ड ब्यूरो –

स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो
(State Crime Record Bureau)
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस

↓

निदेशक (I.G.P.)

↓

Dy.I.G.P.

↓

S.P

↓ ↓ ↓

Dy.S.P **Dy.S.P(FPB)** **Manager (MOB)**

SCRB :

पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र फरवरी 1980 से कार्यरत है। इसके प्रभारी महानिरीक्षक पुलिस (एससीआरबी) हैं। अपराधों को रोकने एवं अपराधियों को पकड़ने में यह केन्द्र अनुसंधानकर्ताओं को मदद करता है।

कम्प्यूटर फाइलों में अब तक लगभग 1.50 लाख कार्यप्रणाली अपराधों तथा लगभग दो लाख से ज्यादा अपराधियों का रिकार्ड उपलब्ध हैं, जिसकी सहायता से अनुसंधान को अपराध निवारण में सहायता दी जा रही हैं।

कार्यप्रणाली के अलावा अंगुल चिन्हों के आधार पर अनुसंधान अधिकरियों को अपराधियों के बारे में जानकारी देने के अगुंल चिन्हों का रिकार्ड भी कम्प्यूटर फाइलों पर रखा जा रहा है।

इसके अलावा नाम, हुलिया एवं पहचान के चिन्हों के आधार पर भी अपराधियों की जानकारी देने के लिए आंकड़े कम्प्यूटर पर रखे जा रहे हैं।

पुराने प्रचलित पुलिस प्रपत्रों व कम्प्यूटर फार्मों के रख–रखाव में होने वाली कठिनाईयों व उनसे पुलिस कार्यों में वांछित व सामयिक सहायता प्राप्त न होने के कारण निम्न नवीनीकृत पुलिस प्रपत्रों का सृजन किया गया है–

1. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (एफआईआर)
2. घटना स्थल का रेखाचित्र व वर्णन (नक्शा मौका)
3. गिरफ्तार व न्यायालय में अर्भ्यपण पत्र।
4. अंतिम परिणाम (एफ आर)
5. सम्पत्ति अभिग्रहण पत्र।
6. न्यायालय निपटान पत्र।

कम्प्यूटर का उपयोग अपराध सम्बन्धी आंकड़ों के अतिरिक्त पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन वितरण एवं सेवा अभिलेख सम्बन्धी व्यक्तिगत सूचनाओं को संकलित करने के लिए भी किया जा रहा है।

राज्य आपदा प्रतिसाद बल (SDRF)–

राजस्थान राज्य में औपचारिक रूप से राज्य आपदा प्रतिसाद दल (SDRF) का गठन राज्य सरकार के आदेश कमांक एफ 27 (क)ग (6) गृह–2/2010 दिनांक 10.07.2012 के द्वारा हुआ। राजस्थान राज्य में होने वाली प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं से निपटने के लिए 800 आरक्षकों की भर्ती की गई। एसडीआरएफ का मुख्यालय गाड़ोता, बगरू, जयपुर में स्थित है।

आपदा प्रतिसाद बल के कार्य –

उचित आपदा प्रबन्धन एवं समय पूर्व चेतावनी ।

प्रभावी प्रतिक्रिया एवं सुरक्षित संचार प्रणाली ।

जनजागरूकता अभियानों का संचालन।

आपदा पीडितों/प्रभावित लोगों तक तत्काल पहुॅच एवं आवश्यक चिकित्सा सेवाये उपलब्ध कराना।

आपदा प्रभावित क्षेत्र से मलबे को हटाकर, मृत एवं घायल व्यक्तियों की निकासी।

स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर आपदा पीडितों तक राहत सामग्री पहुॅचाना एवं पीड़ितों के मनोबल को ऊँचा रखते हुए पुनर्निर्माण के कार्यों में सहयोग करना।

राहत एवं बचाव कार्य में लगी सभी एजेन्सीज में प्रभावी समन्वय स्थापित करना।

एस.डी.आर.एफ. की संरचना–

एस.डी.आर.एफ. बटालियन में कुल आठ कम्पनियां है प्रत्येक कम्पनी के प्रभारी रूप सहायक कमाण्डेन्ट स्तर के अधिकारी नियुक्त हैं जो पुलिस उपाधीक्षक स्तर के होगें तथा प्रत्येक कम्पनी के अन्तर्गत चार टीमें होगी, जिनके प्रभारी प्लाटून कमाण्डर होगें। प्रत्येक टीम की कुल नफरी 45–47 होगी। एसडीआरएफ बटालियन के प्रथम प्रभारी कमाण्डेंट होंगे। डिप्टी कमाण्डेंट प्रथम (प्रशासन ऑपरेशन्स) एवं द्वितीय (क्वार्टर मास्टर व प्रशिक्षण) कमाण्डेंट के पर्यवेक्षण में दायित्व निर्वहन करेंगे।

पुलिस दूरसंचार

(POLICE TELE COMMUNICATIONS)

↓

Addl.D.G.P.

↓

Director Wire Less

SP-I SP-II

पुलिस वायरलैस शाखा का मुख्यालय जयपुर है। यह राजस्थान की पुलिस संचार व्यवस्था उपलब्ध करवाने में कार्यरत है। राज्य में एच.एफ., वी.एच.एफ. मिडबेंड, टेलीप्रिन्टर सहित लगभग 3200 केन्द्र कार्यरत हैं। राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों और संवेदनशील व महत्वपूर्ण चौकियों पर वायरलैस सेट उपलब्ध है। घाटगेट, जयपुर में वायर लैंस प्रशिक्षण केन्द्र है।

पुलिस वायर लैस राज्य प्रशासन को कई संकटकालीन कार्य जैसे– बाढ़, उपद्रव, वीआईपी., के आगमन पर समय–समय पर विशिष्ट सुविधायें उपलब्ध कराते हैं। सीमावर्ती राज्यों के पुलिस वायरलैस केन्द्रों से सम्पर्क कर आतंकवादी व अन्य अपराध सम्बन्धी सूचनायें पहुँचाने में सहायता करते हैं। राज्य में वायरलैस दो भागों में बांटा हुआ हैं–

- तकनीकी पुलिस
- सामान्य पुलिस

राजस्थान में पुलिस आयुक्त प्रणाली –

राजस्थान राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ. 18(9)गृह 3/ 2006 पार्ट 2 दिनांक 04.01.2011 द्वारा जयपुर एवं जोधपुर महानगर क्षेत्रों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की गई। इसके अन्तर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता, आयुध अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम, प्रेस पुस्तक रजिस्ट्रेशन अधिनियम, राजस्थान नाटकीय प्रदर्शन एवं मनोरंजन अधिनियम, राजस्थान सिनेमा विनियमन 1952, राजस्थान अभ्यस्त अपराधी अधिनियम, राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975, पशु क्रुरता निवारण अधिनियम एवं राजस्थान पशु एवं पक्षी बली (निषेध) अधिनियम सहित 25 अधिनियमों के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली शक्तिया पुलिस आयुक्त एवं उनके अधीन अति0 आयुक्त पुलिस, उपायुक्त पुलिस, अति0 उपायुक्त पुलिस तथा सहायक पुलिस आयुक्त को प्रदान की गई है।

जयपुर महानगर क्षेत्र को उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम 4 पुलिस जिलों में बांटा गया है। प्रत्येक जिले का प्रभारी अधिकारी पुलिस उपायुक्त है। इनके अलावा पुलिस उपायुक्त यातायात, पुलिस उपायुक्त मेट्रो, पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) एवं पुलिस उपायुक्त अपराध के पद हैं। पुलिस उपायुक्त के अधीन उनके सहयोग हेतु एक–एक अति0 पुलिस उपायुक्त के पद हैं। थानों का पर्यवेक्षण वृत स्तर पर होता हैं, जिसके प्रभारी अधिकारी सहायक पुलिस आयुक्त हैं। कार्यपालक मजिस्ट्रेट के कार्यों के संपादन हेतु प्रत्येक पुलिस जिले में सहायक पुलिस आयुक्त (मुख्यालय) एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट का न्यायालय गठित किया गया है। पुलिस आयुक्त की सहायतार्थ दो अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, प्रथम एवं द्वितीय के पद हैं। लाईसेंसिंग कार्यों के संपादन हेतु अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त लाईसेंसिंग एवं लीगल का पद सृजित किया गया है। एक अतिरिक्त उपायुक्त इन्टेलीजेन्स एवं सिक्योरिटी है। जोधपुर आयुक्त क्षेत्र में तीन पुलिस जिले है जिनमें मुख्यालय एवं यातायात, पूर्व एवं पश्चिम पुलिस जिला है।

जयपुर एवं जोधपुर महानगरों में नयी आयुक्त प्रणाली दिनांक 1.4.2011 से प्रारम्भ हो चुकी है। इस प्रणाली द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाहियों के द्वारा

समाज में शांति कायम रखने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने से सम्बन्धित कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ पुलिस अधिकारियों के पास होने से बेहतर समन्वय द्वारा प्रभावी क्रियान्वयन हो सकेगा। शस्त्र अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम इत्यादि अधिनियम के अन्तर्गत अनुज्ञापन सम्बन्धी शक्तियों का प्रयोग पुलिस आयुक्त द्वारा किया जा रहा है।

विभिन्न संगठनों के बारे में संक्षिप्त जानकारी –

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो –

(Anti Curruption Bureau)के प्रभारी महानिदेशक (**ACB**) हैं। इनकी सहायतार्थ एक अतिरिक्त महानिदेशक (**ACB**) हैं। दो महानिरीक्षक पुलिस प्रथम एवं द्वितीय हैं तथा चार उप महानिरीक्षक पुलिस हैं जिनमें से दो मुख्यालय जयपुर तथा एक जोधपुर व एक उदयपुर में पदस्थापित हैं। 6 पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी होते हैं जिनमें से दो जयपुर (प्रथम एवं द्वितीय), भरतपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा में पदस्थापित हैं। 16 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी हैं। 12 चौकियां के प्रभारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी होते हैं जो निम्नलिखित हैं –

1. जयपुर शहर प्रथम	5. जयपुर शहर द्वितीय	9. जयपुर ग्रामीण
2. कोटा	6. उदयपुर	10. बीकानेर
3. श्री गंगानगर	7. अजमेर	11. भीलवाड़ा
4. भरतपुर	8. अलवर	12. जोधपुर

इसके अतिरिक्त 18 चौकियां और हैं जिनमें उप अधीक्षक पद के प्रभारी हैं जो निम्नलिखित हैं –

1. बूंदी	5. झालावाड़	9. बांसवाड़ा	13. चित्तौड़गढ़	17. पाली
2. बाड़मेर	6. सिरोही	10. हनुमानगढ़	14. चुरू	18. झुन्झूनू
3. सीकर	7. टोंक	11. नागौर	15. सवाई माधोपुर	
4. बारां	8. राजसमन्द	12. जैसलमेर	16. धौलपुर	

इसके अतिरिक्त मुख्यालय जयपुर पर विशेष अनुसंधान विंग भी है जो आय से अधिक सम्पत्ति व परिवादों की जाँच करते हैं।

कार्य :– लोकसेवकों के भ्रष्टाचार से सम्बन्धित मामलों, रिश्वत लेने, रिश्वत की मांग करने वालों को रंगे हाथों पकड़ना तथा जाँच करना। प्रत्येक मामले में अभियोग का पंजीकरण महानिदेशक के आदेश से ही होता है तथा अंतिम रिर्पोट भी उन्ही के आदेश से लगाई जाती है।

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला –

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के सर्वोच्च अधिकारी निदेशक होते हैं। इनका मुख्यालय जयपुर में है। इस प्रयोगशाला का मुख्य उद्देश्य साक्ष्य की श्रृंखला में अधिकारिक स्रोतों की आपूर्ति करना, दोषी अथवा साक्षी द्वारा दिये गये दस्तावेजों की जाँच करना तथा अन्वेषण अधिकारी को घटनास्थल से प्राप्त पदार्थों का वैज्ञानिक विधि से परीक्षण कर सहयोग प्रदान करना है। प्रयोगशाला की निम्न आठ मुख्य शाखायें है –

1. प्रलेख खण्ड,

2. रसायन खण्ड,
3. जैविक खण्ड,
4. भौतिक खण्ड,
5. बैलास्टिक खण्ड,
6. विष खण्ड,
7. सीरम खण्ड,
8. फोटो खण्ड,

प्रयोगशाला के वैज्ञानिक घटनास्थल का निरीक्षण कर अन्वेषण में वैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराते हैं। न्यायालयों में विशेषज्ञ साक्षी के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं।

गृह रक्षा दल एवं नागरिक सुरक्षा –

HOME GUARD & CIVIL DEFENCE

D.G.(C.D. & H.G.)
↓
Addl. D.G. (C.D.&H.G.)
↓
Dy.Director (C.D.&H.G.)

S.S.O Store	S.S.O Home Guard	S.S.O Civil Defence

जिले में सिविल डिफेन्स का नियंत्रण जिलाधीश (COLLECTOR) होता है। इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं :–

1. प्रशिक्षण
2. डिपो एवं ट्रांसपोर्ट
3. संचार
4. खाद्य एवं आपूर्ति
5. बाढ़ एवं आपातकालीन सेवायें जैसे– भूकम्प आदि प्राकृतिक प्रकोप की स्थिति में सेवायें
6. फायर सर्विस
7. प्राथमिक चिकित्सा सहायता इत्यादि।

इसका मुख्यालय जयपुर में है तथा राज्य के कई स्थानों पर इनकी शाखायें हैं।

होम गार्ड (HOME GURD) गृह रक्षा दल

होम गार्ड की तीन विंग हैं –

1. शहरी होम गार्ड
2. ग्रामीण होम गार्ड
3. बॉर्डर होम गार्ड

होम गार्ड का कमाण्डेन्ट जिले का पुलिस अधीक्षक होता है तथा असिस्टेंट कमाण्डेन्ट होम गार्ड का अधिकारी होता है। बोर्डर होम गार्ड का कमाण्डेन्ट होम गार्ड का अधिकारी होता हैं। होम गार्ड में स्वयंसेवकों की भर्ती होती है जिन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। जब भी इनकी सेवाओं की आवश्यकता होती है इन्हें ड्यूटी पर बुलाया जाता है जो आमतौर पर पुलिस कर्मचारियों को मदद प्रदान करते हैं बोर्डर होम गार्ड की 6 कम्पनी एक यूनिट में होती हैं। इनका मुख्य कार्य सीमाओं की सुरक्षा कर रहे सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की मदद करना है।

होम गार्ड के कार्य– होमगार्ड के निम्नलिखित कार्य हैं –

1. पुलिस के कार्यों में सहायता करना।
2. अधिकारी तथा कर्त्तव्यों की पूरी जानकारी रखना।
3. मेलों में पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करना।

4. थानों में पुलिस के साथ गश्त करना ।
5. ड्यूटी के समय निर्धारित वर्दी पहनना।
6. सड़कों में यातायात व्यवस्था को कायम रखना।
7. प्राकृतिक प्रकोपों जैसे – महामारी, संक्रामक रोग, बाढ़ आदि में जनता की सहायता करना।
8. निर्वाचन के समय पुलिस के साथ ड्यूटी करना।
9. जुलूसों में ड्यूटी करना।
10. बलवे में शांति–व्यवस्था बनाए रखना।

कारागार (जेल) प्रशासन –

महानिदेशक, जेल

↓

महानिरीक्षक जेल (राजस्थान कारागार सेवाएं)
उप महानिरीक्षक जेल (प्रशासन)

उप महानिरीक्षक जेल (बंदी)
प्रथम श्रेणी के आठ जेल अधीक्षक
द्वितीय श्रेणी के जेल अधीक्षक
↓
उप अधीक्षक,जेल
↓
जेलर
↓
उप जेलर
↓
सहायक जेलर
चीफ वार्डन
↓
वार्डन

प्रत्येक राज्य में अपराधियों को सुधारने के लिए कारागार या सुधार गृहों का निर्माण किया गया है। कारागारों का मूल उद्देश्य अपराधी को पश्चाताप करने का अवसर प्रदान करने के साथ समाज को अपराध मुक्त करना था। जिन अपराधियों के मामले विचारधीन होते हैं उन्हें सुधार गृहों में रखा जाता है। कारागार दो प्रकार के होते हैं – बन्द कारागार और खुले कारागार। इनका मुख्य उद्देश्य अपराधियों को सुधार कर एक सभ्य नागरिक बनाकर उसकी समाज में वापसी करना है।

राज्य में 8 केन्द्रीय जेल, 3 प्रथम श्रेणी के जिला जेल, 22 द्वितिय श्रेणी के जेल, 22 उपकारागार, 59 लॉक–अप, एक महिला बंदी सुधार गृह (जयपुर), एक किशोर बंदी सुधार गृह (अजमेर), दस खुली जेल तथा कारागार प्रशिक्षण संस्थान अजमेर में स्थित है।

अग्निशमन सेवा –

शहरी क्षेत्रों में अनियंत्रित आग जीवन और माल के लिए एक बड़ा संकट बन सकती है और अग्निशमन कर्मी (Fire Fighters) इस खतरे से बचाव करते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में आग पर काबू पाकर उसे बंद करने के लिए बहुत–सी तकनीके सीखनी

पड़ती हैं और उन कठिन परिस्थितियों में जाकर उन्हें झेलने के लिए शारीरिक क्षमता भी जरूरी है। अग्निशमन के लिए विशेष सामान और यंत्रों का प्रयोग भी होता है। इसमें पानी, आग निरोधक रसायन अग्नि कवच अग्निशमकों की आग–निरोधक पोशाकें जल गिराने वाले विमान, अग्निशमकों के विशेष वाहन, वगैरहा शामिल हैं। अलग–अलग तरह की आग के लिए अग्निशमक भिन्न चीजों का प्रयोग करते हैं, मसलन बिजली से लगी आग के लिए पानी का प्रयोग नहीं किया जाता अग्निशमन यंत्र आग से बचाव की एक युक्ति है जिसकी सहायता से छोटे आकार की आग को बुझाया जा सकता है या उसे नियंत्रित किया जा सकता है। यह प्रायः आपातकालीन स्थितियों में उपयोग किया जाता है। किन्तु यह ऐसी आग के बुझाने या नियंत्रण के लिये प्रयुक्त नहीं होता जो बहुत विकराल रूप ले चुकी हो। प्रायः अग्निशमन यंत्र में एक बेलनाकार दाब– पात्र (Pressure Vessel) होता है जिसमें एक ऐसा पदार्थ भरा रहता है जिसे छोड़ने पर वह आग बुझाने में सहायक होता है।

संगठन अग्निशमन सेवा

↓

डायरेक्टर (निदेशक) –सम्पूर्ण फायर सर्विस का इंचार्ज होता है।

↓

चीफ फायर ऑफिसर –एक महानगर की फायर सर्विस का इंचार्ज होता है।

↓

डिप्टी सीएफओ –

↓

डीएफओ – डिवीजन का ईचार्ज होता है।

↓

फायर ऑफिसर

शाखाये–

ट्रेलर पम्प – 50,000 हजार की आबादी पर छोटी ट्रेलर पम्प होता है।
पम्पिंग यूनिट – एक लाख की आबादी पर एक फायर टेण्डर (अग्निशमन वाहन) होता है। औद्योगिक क्षेत्र में यह नियम लागू नहीं होता है। जयपुर में 12 अग्निशमन केन्द्र है व अन्य 4 निर्माणाधीन हैं।

स्टाफ (कर्मचारी)

ट्रेलर पम्प व एक अग्निशमन वाहन पर 04 फायरमैन, एक लीडिंग फायरमैन, एक ड्राईवर इस प्रकार 06 आदमियों को मिलाकर 01 क्रू (यूनिट) बनता है 25 प्रतिशत स्टॉफ रिजर्व में रहता है। अग्निशमन सेवा का डायरेक्टर नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा विभाग के अधीन है भर्ती इसी विभाग के अधीन होती है व यह नियमित राजकीय सेवा है इनको हार्ड ड्यूटी भत्ता मिलता है। इसमें आग बुझाने के लिए जैसी आग होती है, वैसे वाहन की व्यवस्था होती है।

वाहनों के प्रकार

1. वाटर टेण्डी– पानी फेंकता है।
2. मल्टीपरपज क्रास टेण्डर– पानी + फोम + CO_2 + Dry Chemical power फेंकता है।
3. DCP टेण्डर – DCP फेंकता है।

4. CO_2 टेण्डर – CO_2 फेंकता है।
5. फोम टेण्डर– फोम + पानी फेंकता है।
6. हाइड्रोलिक प्लेटफार्म (स्नकिल लैडर) – हाइराईज बिल्डिंग की आग बुझाने के काम आता है। (40 से 200 फीट तक)
7. टर्नटेबल लैडर TTL – हार्डराईज बिल्डिंग की आग बुझाने के काम आती है।
8. हजमत वाहनः– (रेस्क्यू टेण्डर)– बिल्डिंग गिरने आदि की स्थिति में काम आती है। हाइड्रॉलिक जैक कटर आदि उपकरणों से लैस होती है।

पुलिस के रैंक व बैजेज –

नाम/पद	बैज	रिबन	स्टार	बिसल कोड	टोपी	मोनोग्राम
कॉन्सटेबल	राज0 पुलिस	–	–	खाकी	खाकी	राज. पुलिस
हैड कानि.	राज0 पुलिस	–	तीन फीत	खाकी	खाकी	राज. पुलिस
ए.एस.आई.	राज0 पुलिस	लाल, नीली	एक	खाकी	खाकी	राज. पुलिस
उ.नि.	राज0 पुलिस	लाल, नीली	दो	खाकी	खाकी	राज. पुलिस
पुलिस निरीक्षक	राज0 पुलिस	लाल, नीली	तीन	खाकी	खाकी	राज. पुलिस
उप अधीक्षक	आर0पी0एस0	–	तीन	नीली	नीली	आर.पी.एस.
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	आर0पी0एस0	–	अशोक स्तम्भ	नीली	नीली	आर.पी.एस.
नोटः– सलेक्शन ग्रेड पर अति0पुलिस अधीक्षक के एक स्टार व अशोक स्तम्भ लगता है।						
पुलिस अधीक्षक	आई0पी0एस0	–	एक स्टार, अशोक स्तम्भ	नीली	नीली	आई.पी.एस.
नोटः– सलेक्शन ग्रेड पर पुलिस अधीक्षक (एस.एस.पी.) के दो स्टार, एक अशोक स्तम्भ व कॉलरैब लगता है।						
उप महानिरीक्षक पुलिस	आई0पी0एस0	कॉलरैब	तीन स्टार, अशोक स्तम्भ	नीली	नीली	आई.पी.एस.
महानिरीक्षक	आई0पी0एस0	कॉलरैब	बेटन क्रॉस	नीली	नीली	आई.पी.एस.

पुलिस			व एक स्टार			
अति. महानिदेशक पुलिस	आई0पी0एस0	कॉलरैब	बेटन क्रॉस, अशोक स्तम्भ	नीली	नीली	आई.पी.एस.
महानिदेशक पुलिस	आई0पी0एस0	कॉलरैब	बेटन क्रॉस, अशोक स्तम्भ	नीली	नीली	आई.पी.एस.

अधिकारियों, विशिष्ट व्यक्तियों के वाहनों पर लगने वाले झण्डे, तारे व चिन्ह –

कारों के फ्लेग व स्टारः

1. उप महानिरीक्षक पुलिस के कार के आगे

   व पीछे एक स्टार तथा तिकोना फ्लेग

2. महानिरीक्षक पुलिस की कार के दो स्टार व फ्लेग

3. महानिदेशक पुलिस के कार के तीन स्टार

व आयताकार फ्लेग

गणमान्य व्यक्तियों जो अपने वाहन पर राष्ट्रीय ध्वज लगा सकते हैं –

1. भारत के राष्ट्रपति
2. भारत के उपराष्ट्रपति
3. गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स
4. विदेशों में भारतीय मिशन के प्रमुख
5. प्रधानमंत्री और अन्य कैबिनेट मंत्री
6. संघ के राज्य मंत्री और उप मंत्री
7. राज्य का मुख्यमंत्री और राज्य और संघ शासित प्रदेशों के अन्य कैबिनेट मंत्री
8. राज्य सरकार में राज्य मंत्री और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उप मंत्री
9. लोकसभा के अध्यक्ष
10. राज्य सभा के उपाध्यक्ष
11. लोक सभा के उपाध्यक्ष
12. राज्यों में विधान परिषदों के अध्यक्ष
13. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधान सभाओं के अध्यक्ष
14. राज्यों विधान परिषदों के उपाध्यक्ष
15. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधान सभा के उपाध्यक्ष
16. भारत के मुख्य न्यायाधीश
17. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश
18. उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश
19. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश